उन्नति विचार

वर्ष : 8 अंक : 2 अप्रैल-जून, 2003

## अनुक्रम

**संपादकीय** 1

**विकास विचार** 2
विपत्ति का सामना करने की तैयारीः प्रश्न और अभिगम

**नज़रिया** 8
आंतकवाद और अमेरिका का ईराक के विरुद्ध युद्धः आधारभूत प्रश्न

**आपके लिए** 16
लोकतंत्र में लोगों की सत्ता

असंगठित क्षेत्र और सामाजिक सुरक्षा के बारे में मज़दूर आयोग कि सिफारिशें 23

**अपनी बात** 25
विपत्ति का सामना करने की समुदाय आधारित तैयारीः सामुदायिक आकस्मिकता योजना

**गतिविधियां** 37

**संदर्भ सामग्री** 46

**अपने बारे में** 48

**संपादकीय टीम :**
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25/- रु. मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संस्थान, अहमदाबाद के नाम भेजें।

**केवल सीमित वितरण के लिए**

## संपादकीय

### विपत्ति में मानव विकास की चिंता

प्राकृतिक विपत्ति में वंचित लोगों के विकास की क्षमता व तैयारी घट जाती है क्योंकि गरीब और वंचित लोग वैसे भी निर्बल होते हैं और विपत्तियां उनकी निर्बलता को और भी तीव्र बना देती है। जिस प्रकार वंचितों और गरीबों को विकास की प्रक्रिया में लक्ष्य बनाये जाने की आवश्यकता है, उसी प्रकार विपत्ति के समय भी उन्हें लक्ष्य-समूह बनाने की जरूरत पड़ती है। स्पष्ट है कि गरीब और वंचित लोग विकास हेतु पर्याप्त भौतिक आधार नहीं रखते, वे सामाजिक दृष्टि से निष्कासित होते हैं तथा एक तरफ धकेल दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, उनके पास निर्णय प्रक्रिया में अपनी कोई आवाज नहीं होती। अतः विशेष रूप से जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक विपदाएं बार-बार आने की आशंका रहती है, वहां मानव का विकास कर पाना एक बड़ी चुनौती बन जाती है।

हाल ही में 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' (यू.एन.डी.पी.) के द्वारा जो ताज़ा 'मानव विकास प्रतिवेदन' प्रकाशित किया गया है, उसमें मानव विकास के मामले में भारत का स्थान थोड़ा नीचे आ गया है, जिसका मुख्य कारण यही है कि बार-बार आने वाली विपत्तियों ने विकास की गति को धीमा कर डाला है। इस संदर्भ में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि विपत्तियों के विरुद्ध हमारी प्रतिक्रिया और उसके मुकाबले की तैयारी समग्र विकास प्रक्रिया का हिस्सा बने। अतः प्राकृतिक विपत्तियों का तत्काल प्रत्युत्तर दिया जाना ही पर्याप्त नहीं होता। विपत्तियों का सामना करने की शक्ति के साथ मानव विकास जुड़ा हुआ है, यही समझ लेना चाहिए। विपत्तियां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अन्न-सुरक्षा आदि मामलों में कमजोर लोगों को और ज्यादा कमजोर बनाती हैं जिससे मानव-विकास घटता है। अतः यथा समय अनेक क्षेत्रों में एक साथ विपत्तियों का प्रत्युत्तर दिया जाना चाहिए। अतएव विपत्ति निवारण तंत्र सक्षम होना चाहिए।

विपत्तियों का सामना करने की जो व्यवस्था अभी बनी हुई है, उसमें ऊपर से नीचे का अभिगम अंगीकार किया हुआ है। इस अभिगम को बदल कर लोक-भागीदारी पर आधारित सामुदायिक अभिगम अपनाये जाने की जरूरत है। विपत्तियों का मुकाबला करने की लोगों की क्षमता तभी बढ़ सकती है, जब सामना करने की तैयारी में लोगों को खुद शामिल होने दिया जाए। तभी विपत्ति का सामना करने हेतु जो उपाय किये जायेंगे वे लोगों की जरूरत के मुताबिक होंगे। अनुभव बताता है कि विपत्ति का सामना करने हेतु सरकारें अधिकांशतया जो राहत कार्य चलाती हैं, वे रोजगारलक्ष्यी होते हैं। पर बहुधा पीने का पानी भी रोजगारी के बजाय अधिक जरूरी विषय हो जाता है। अकाल में पेयजल लाने के लिए दूर-दूर जाने वाली गर्भिणी महिलाएं कम वजन के बच्चों को जन्म देती हैं, क्योंकि वे स्वयं कुपोषण से पीड़ित होती हैं। अतः यह स्वाभाविक है कि मात्र रोजगार सृजन ही विपत्ति का सामना करने की तरीका नहीं बन सकता।

उपर्युक्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट लगता है कि विपत्ति का सामना करने हेतु लोगों को ही ज्यादा से ज्यादा शामिल करना चाहिए, ताकि वह अधिक प्रभावी तरीके से हो सके। यह सामना आवश्यकता आधारित होगा और साथ ही साथ मानव विकास की चुनौतियों को झेलने वाला होगा।

# विपत्ति का सामना करने की तैयारीः प्रश्न और अभिगम

अप्रैल २००३ में राजकोट में 'कंसर्न वर्ल्डवाइड' द्वारा 'विकासलक्ष्यी कार्यक्रमों' में आपदा संचालन विषय पर दो-दिवसीय एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। उसके प्रतिवेदन के आधार पर **श्री हेमंतकुमार शाह** द्वारा यह लेख तैयार किया गया है। इसमें आपदा संचालन के भाग के रूप में विपत्ति का सामना करने की तैयारी और उसकी व्यूह रचना में लोक भागीदारी के प्रश्नों पर विशद चर्चा की गई है।

## प्रस्तावना

२००१ के गणतंत्र दिवस के रोज समग्र गुजरात में ६.९ रिक्टर स्केल का भयानक भूकंप आया था। जान-माल की जबरदस्त हानि हुई थी। ढांचागत सुविधाओं और पशुओं का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ था। गुजरात के २५ में से २१ जिलों और उनकी १८१ तहसीलों तथा ७६३३ गांवों पर भूकंप का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। भूकंप के बाद गुजरात में देश-विदेश से राहत एवं पुनर्वास हेतु बहुत मदद आई। लंबी अवधि की पुनर्वास आवश्यकता के संदर्भ में अब भी कई संस्थाएं मदद दे रही हैं और इस दिशा में सक्रिय हैं। राहत, पुनर्वास और पुनर्रचना के लिए बहुत काम हुआ है परंतु भावी विपत्तियों का सामना करने की तैयारी हेतु बहुत कम काम हुआ है। लंबी अवधि के विकास संबंधी प्रश्नों और विपत्ति में दिये जाने वाले प्रत्युत्तर - इन दोनों के बीच लगता है मानो गहरी खाई पैदा हो रही है। सरकारी और गैर-सरकारी दोनों स्तरों पर होने वाले विकास संबंधी प्रयासों में साफ दिखता है कि विपत्ति का मुकाबला कैसे किया जाए, इस विचार का समावेश उन प्रयासों में नहीं किया गया। विकास और विपत्ति के मुकाबले के बीच के संबंध को अनेक संस्थाएं अभी तक नहीं समझ सकीं। विशेष रूप से जिन प्रदेशों में बार-बार विपत्ति आती है, वहां तो यह अनिवार्य होना चाहिए कि विकास कार्यक्रमों में विपत्ति का सामना करने की तैयारी को उसके एक अनिवार्य अंग के रूप में शामिल किया जाए। इससे विपत्ति का सामना करने की समुदाय आधारित तैयारी एक महत्वपूर्ण विषय बन जाती है और वह विकास की प्रक्रिया का एक अंगभूत पहलू बन जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में आपदा संचालन, विपत्ति का सामना करने की तैयारी, विकास और विपत्ति के बीच के संबंध तथा समुदाय-आधारित पुनर्वास को समझने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। सरकारी व स्वयंसेवी संस्थाओं के विकासलक्ष्यी कार्यक्रमों में विपत्ति का सामना करने की तैयारी का समावेश हो, यह जरूरी हो जाता है।

## आपदा संचालन

आपदा संचालन में चार बातों का समावेश होता हैः (१) राहत (२) पुनर्वास (३) निवारण एवं विपत्ति का सामना करने की तैयारी (४) अत्यावश्यकता। आपदा संचालन में इन चारों बातों का विविध स्तरों पर समावेश करने की जरूरत पड़ती है। सामान्यतया जब विपत्ति आती है तब लोगों की जागृति बहुत बढ़ जाती है, पर समय बीतते-बीतते वह घट भी जाती है और जब फिर से विपत्ति आती है तो वह फिर से बढ़ जाती है। अतः चुनौती यह है कि जागृति का स्तर नीचे न जाए वरन् सतत लंबी अवधि तक टिका रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि दाता संस्थाओं में भी जागृति का स्तर घट जाता है। विपत्ति आने पर जागरूकता का स्तर बढ़ जाता है, और फिर उनमें भी वह घट जाता है। अतः उनमें भी जागृति का स्तर बना रहे, साथ ही साथ विपत्ति का सामना करने का काम जारी रहे, यह आवश्यक हो जाता है। वैसे, कई बार ऐसा भी होता है कि विपत्ति के समय दाता-संस्थाओं का धन-प्रवाह बढ़ जाता है और विकास संबंधी नियमित कार्यों के लिए राशि कम आवंटित की जाती है। लेकिन आपदा संचालन एक निरंतर उभरने वाली प्रक्रिया है। अतः आपदा संचालन के लिए कोई निर्धारित माडल या अभिगम नहीं हो सकता। किस तरह की विपत्ति है और उसका संचालन कौन-किस तरह करता है, इसी पर बहुत कुछ निर्भर रहता है।

## विकास और विपत्ति के मुकाबले के बीच संबंध

सामान्यतया विपत्ति एक अलग घटना के रूप में देखने-समझने में

आती है। परंतु वह विकास की प्रक्रिया में विक्षेप डालती है और विकास प्रक्रिया पर विपरीत असर डालती है। अतः विकास के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों और विपत्ति का सामना करने की तैयारी के बीच के सह-संबंध में जीवन निर्वाह की सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, सामाजिक सुरक्षा के उपायों का क्रियान्वयन न होना, कमजोर वर्ग का अपने मूलभूत अधिकारों के बारे में संगठित प्रयास नहीं करना, संसाधनों की प्राप्ति और उन पर नियंत्रण का अभाव, कमजोर व असरहीन शासन इत्यादि का समावेश होता है। इन समस्याओं के संदर्भ में विपत्ति का सामना करने की तैयारी करनी पड़ती है। विपत्ति का सामना करते समय जो समस्याएं पीड़ा देती हैं उनमें पानी, घास-चारा व अनाज पर्याप्त न मिलना, रोजगार के अवसर का अभाव, सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का प्रभावहीन क्रियान्वयन, कमजोर वर्गों को एक तरफ कर देना, विविध संस्थाओं के बीच समन्वय का अभाव, विविध संस्थाओं तथा समुदायों के बीच विपत्ति का सामना करने की तैयारी को लेकर अल्प समझ, स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का अलग हो जाना इत्यादि बातों का समावेश होता है। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट देखा जा सकता है विपत्ति का सामना करने की तैयारी और विकास के बीच, विशेष रूप से लंबे समय के विकास के बीच संबंध है। यह भी कहा जा सकता है कि दोनों के प्रश्न अलग-अलग नहीं, वरन् घनिष्ट रूप में जुड़े हुए हैं। मात्र उनके प्रभाव और प्रत्युत्तर अलग-अलग होते हैं। ऐसा होता है कि विपत्ति के समय विकास के प्रश्नों की तीव्रता व जटिलता बढ़ जाती है। अतः विपत्ति का सामना करने के लिए अधिक क्षमता उत्पन्न करने की जरूरत होती है।

इस प्रकार विपत्ति ओर विकास दोनों परस्पर प्रभाव डालते हैं। विपत्ति से सामान्य जीवन में विक्षेप उत्पन्न होता है। उससे जान माल की हानि होती है और साथ-साथ समतापूर्ण विकास के लिए नयी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। विपत्तियों से अर्थतंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और विकास हेतु नये सवाल खड़े होते हैं। अतः विपत्ति संभावित क्षेत्रों की तरफ अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। कभी-कभी विकास भी विविध समुदायों के लिए कमजोरी पैदा कर देता है। स्थलांतरण और उसकी वजह से खड़े होने वाले प्रश्न ऐसी कमजोरी उत्पन्न करते हैं।

### विपत्ति संचालन के अंगभूत तत्व

विपत्ति संचालन में निम्न मुद्दों का समावेश होता है:

(१) समुदाय की भागीदारी के साथ जोखिम का अंदाजा लगाना।

(२) विशेषज्ञों के ज्ञान को समुदाय तक ले जाना।

(३) लंबी अवधि तक विपत्ति का सामना करने की तैयारी करना और उसे निरंतर चालू रखना।

(४) अत्यावश्यकता होने से पहले समन्वय स्थापित कर लेना।

(५) सरकार के पास बहुत संसाधन होते हैं अतः उस पर प्रभाव डालने के लिए विविध स्तरों पर समर्थन करना।

(६) संगठन की क्षमता विकसित करने के लिए विपत्ति का मुकाबला करने की तैयारी के बारे में एक आंतरिक दस्तावेज तैयार करना। समय-समय पर संगठन के प्रयासों की समीक्षा करना।

(७) आपदा संचालन संबंधी अभिगम में बदलाव की क्षमता रखना।

## स्थानीय लोगों की भागीदारी

कई बार बाहर के लोग जिसे निर्बलता (वल्नरेबिलिटी) समझते हैं और लोग जिसे 'जोखिम' समझते हैं, इन दोनों के बीच मेल नहीं बन पाता। गरीब लोग सबसे ज्यादा निर्बल होते हैं। उनको रोजाना रोजगार, आय, अन्न का अभाव, रोग आदि का सामना करना पड़ता है। उनके लिए विपत्ति का जोखिम कदाचित इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं होता। निर्बलता और जोखिम का अनुमान लगाने में गरीब लोग शायद ही भागीदार होते हों। सरकार तथा दाता संस्थाओं की मार्फत विपत्ति का जोखिम घटाने हेतु बहुत राशि खर्च की जाती है, परंतु कई बार तो उससे नुकसान ही होता है, क्योंकि गरीब लोगों के जिंदगी के जोखिमों के बारे में नितांत भिन्न-भिन्न विचार हाते हैं। उनके लिए पीने के पानी तथा स्वास्थ्य की उत्तम देखभाल के सवाल रोजमर्रा के ज्यादा जोखिम उत्पन्न करते हैं।

गरीबों की जीवन स्थिति उनको विपत्ति का उचित प्रत्युत्तर देने से रोकती है। इस अर्थ में देखें तो विकास संबंधी प्रयासों के साथ यदि

### आपदा संचालन के साथ जुड़ा समर्थन

आपदा संचालन के साथ जुड़े समर्थन (एड्वोकेसी) के मुद्दे निम्न प्रकार से हैं:

(१) गुजरात राज्य के आपदा निवारण कानून का जो मसौदा तैयार हुआ है उसके बारे में।

(२) विपत्ति के मुकाबले की उत्तम तैयारी हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं और सरकार के बीच प्रभावी समन्वय के बारे में।

(३) आपदा के संचालन तथा विपत्ति के सामने की तैयारी के विषय में सरकारी तथा स्वयंसेवी संगठनों के बीच समान समझ उत्पन्न करने के बारे में।

(४) आपदा निवारण हेतु स्थानीय कोष स्थापित करना।

(५) विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना।

(६) विपत्ति अधिक तीव्र बने ऐसी स्थानीय एवं वैश्विक प्रक्रियाओं पर प्रभाव डालना।

(७) पंचायतें और पालिकाएं आपदा संचालन में प्रभावी रूप से भागीदार बनें और उस संदर्भ में उनकी जिम्मेदारी हो, इस लिए।

(८) औपचारिक शिक्षण व्यवस्थआ में आपदा संचालन का समावेश।

(९) किसी भी विपत्ति में नुकसान का अनुमान करने के लिए सहभागी पद्धति।

विपत्ति के जोखिम के घटाने को जोड़ दिया जाए तो उससे उनको लाभ होता है। इस अर्थ में गरीबों की निर्बलता घटाना - यह विकास का प्रश्न है और इसमें लोगों की भागीदारी अनिवार्य है।

अपने क्षेत्र, उसमें आने वाली विपदाओं का ज्ञान और समय गुजर जाने के साथ विपदाओं से मुकाबले की लाचारी या कमजोरी किस तरह बदली, इसके बारे में स्थानीय लोग पूरा ज्ञान रखते हैं। परिणाम स्वरूप उनके जीवन को प्रभावित करने वाली बातों के बारे में लिये जाने वाले निर्णयों में भागीदार होने का उन्हें अधिकार है। लोक भागीदारी एक बुनियादी चीज है, क्योंकि सुरक्षा, जीवन-निर्वाह की स्थिरता, कल्याण और विपत्ति संचालन आदि उनकी चिंता के भी विषय हैं, सिर्फ विशेषज्ञों या वैज्ञानिकों के ही विषय नहीं हैं। यहां लोक भागीदारी केवल चर्चा-परिचर्चा के लिए ही जरूरी हो ऐसा नहीं। लेकिन नुकसान का अनुमान लगाना, किस तरह की मध्यस्थता की जाए और आयोजन के क्रियान्वयन - इन सभी मसलों में लोगों की सहभागिता अनिवार्य हो जाती है।

## विपत्ति का सामना करने की तैयारी

विपत्ति का सामना करने की तैयारी के संदर्भ में दो बातें समझने की जरूरत है: (१) विपत्ति क्या है? (२) उसके मुकाबले की तैयारी का मतलब क्या है? विपत्ति की व्याख्या निश्चित करने में नीचे लिखे मुद्दों का समावेश हो सकता है: (१) विपत्ति एक ऐसी घटना है कि जिसमें जोखिम है (२) विपत्ति जान-माल की तथा जीवन निर्वाह की हानि के साथ संबंधित होती है (३) विपत्ति इस प्रकार की परिस्थिति है जिसका मुकाबला समुदाय अकेला नहीं कर सकता, वरन् उसे बाहरी मदद की जरूरत पड़ती है (४) विपत्ति का विपरीत प्रभाव लंबे समय तक रहता है और वह निर्बलता बढ़ाता है (५) विपत्ति आकस्मिक हो सकती है, उसकी अग्रिम सूचना मिल सकती है और न भी मिले, और वह धीमे-धीमे भी आ सकती है।

विपत्ति का सामना करने की तैयारी का अर्थ यह है कि उसका सामना करने की लोगों की क्षमता बढ़ाना। ऐसी क्षमता बढ़ाने हेतु लंबी अवधि के विकासलक्ष्यी कार्यक्रमों में आपदा संचालन का समावेश करना चाहिए। इस संदर्भ में जोखिम का अनुमान और उसके मुकाबले की व्यवस्था सोचनी पड़ेगी। उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे इस प्रकार हैं:

(१) कितने प्रकार के संकट कितनी बार आ सकते हैं, उनकी भविष्यवाणी करके लोगों के साथ ही जोखिमों का अनुमान करना। स्थानीय ऐतिहासिक जानकारी तथा प्रभावित होने वालों के अनुभव उसमें महत्वपूर्ण स्रोत बनते हैं। इस प्रक्रिया में समुदाय की जितनी ज्यादा भागीदारी होगी, उतनी ही उसमें सावधानी और प्रभावोत्पादकता ज्यादा होगी।

(२) आपदा निवारण करने संबंधी तथा उनके मुकाबले की तैयारी करने की दिशा जोखिम के अनुमान से तय होती है।

(३) कितनी बार विपत्ति आती है, उनकी संभावनाएं कितनी हैं तथा उनका प्रभाव कैसा होता है, इसके आधार पर विपत्तियों का

| विकासलक्ष्यी कार्य और विपत्ति के समय की जाने वाली कार्यवाही के बीच का संबंध | | |
|---|---|---|
| **सामान्य विकासलक्ष्यी कार्य** | **अधिक कार्यवाही हेतु जरूरत** | **विपत्ति का प्रत्युत्तर** |
| जीवन निर्वाह की सुरक्षा | | अन्न, पानी, घास-चारा आदि अकाल के दौरान न मिल पाना/रोजगार के अवसरों का अभाव |
| बुनियादी सुविधाओं की प्राप्ति का अभावः स्वास्थ्य, पानी, सफाई, शिक्षा | | बुनियादी सुविधाओं की अप्राप्तिः स्वास्थ्य, पानी, सफाई, शिक्षा |
| सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन न होना | तीव्रता बढ़ती है | सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों की प्रभावहीनता |
| कमजोर समूहों के बुनियादी अधिकारों हेतु संगठित प्रयासों का अभाव | | कमजोर समूह और उनके संगठन एक तरफ धकेल दिए जाते हैं। |
| कमजोर व प्रभावहीन शासन | | स्थानीय स्वशासी संस्थाएं अलग पड़ जाती हैं। |
| विकासलक्ष्यी कार्य में शामिल विविध संस्थाओं के बीच समन्वय का अभाव | जटिलता बढ़ती है | विपत्ति का प्रत्युत्तर देने में शामिल विविध संस्थाओं के बीच समन्वय का अभाव |
| विकासलक्ष्यी सवालों के बारे में समान समझ का अभाव | | आपदा संचालन के बारे में समान समझ का अभाव |
| निर्बल परिवारों को संसाधन कम मिलते हैं और उन पर वे कम अंकुश रखपाते हैं | अधिक क्षमता की जरूरत | निर्बल परिवार कम संसाधन रखते हैं और उन पर उनका कम अंकुश होता है। |

वर्गीकरण होता है। ऐसा हो सकता है कि किसी इलाके में किसी विपत्ति के आने की संभावना कम हो, पर जोखिम ज्यादा हो। जबकि किसी क्षेत्र में किसी विपत्ति के आने की संभावना अधिक हो, पर संभव है जोखिम कम हो। जाति, व्यवसाय तथा कमजोरी के अनुपात के आधार पर अलग-अलग लोगों पर विपत्ति का असर अलग-अलग होता है।

(४) सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पी.आर.ए.) के आधार पर विपत्ति के अलग-अलग प्रकारों को पहचान लेना। इस संदर्भ में विपत्तियों के निम्न प्रकार किये जा सकते हैं:

(अ) अधिक जोखिम वाली विपत्तियां: पांच वर्षों में दो

## विपत्ति का सामना करने की व्यूह-रचना

विपत्ति का मुकाबला करने की तैयारी हेतु खास व्यूह-रचना बनानी पड़ती है। इस व्यूह-रचना में निम्न बातों का समावेश होता है:

(१) जरूरी वस्तुएं सुरक्षित रहें और जो मिलें उनके लिए व्यवस्था बनाना।
(२) उसके लिए सहयोग प्राप्ति की जानकारी और संबंध निश्चित करना।
(३) गहनों व प्राणियों के रूप में सम्पत्ति प्राप्त करना।
(४) विपत्ति के समय जो सहायता कर सकें उन व्यक्तियों और वैसी संस्थाओं को तय करना।
(५) विपत्ति की परिस्थिति के अनुसार जीवन-शैली बदलने हेतु प्रेरणा देना।
(६) विपत्ति का सामना करने संबंधी व्यूह रचना के संबंध में जागृति पैदा करना।
(७) विपत्ति का सामना करने के लिए लोगों ने कैसी व्यवस्था निर्मित की, उसकी ध्यानपूर्वक जांच करना। जरूरी नहीं कि सारी परंपरागत रीतियां उत्तम ही होती हैं।
(८) परंपरागत रीतियां समानता पर आधारित हैं या शोषण पर, यह पता लगाना। वह टिकाऊ भी है या नहीं, इसको जांचना।
(९) कर्त्तव्य निभाने वाले सभी लोगों को उत्तरदायी बनाना।
(१०) सामान्य समय में और विपत्ति के समय में सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का लाभ निर्बल लोगों को मिले, इसके लिए उन पर प्रभाव डालना।
(११) विपत्ति का सामना करने की तैयारी-योजनाएँ तभी टिकाऊ बनती हैं, जब वे विकास की कार्यसूची का भाग बनती हैं। विपत्ति के समय की जाने वाली तमाम कार्यवाही विकास के सवालों के साथ जुड़ी हुई है, इस संबंध में एक प्रकार की सामान्य समझ लोगों में उत्पन्न करने की आवश्यकता है।
(१२) विपत्ति के सामने की तैयारी हेतु नई और श्रेष्ठ विधियां अपनाये जाने की जरूरत है।

बार आएं, सम्पूर्ण गांव पर प्रभाव डाले, स्थलांतर हो, अकाल व पानी का प्रभाव इस प्रकार की विपत्तियां है।

(आ) मध्यम जोखिम वाली विपत्तियां: पांच वर्षों में एकाध बार आए, सम्पूर्ण गांव पर प्रभाव डाले, तूफान, पानी की खाराश, फसल के रोग आदि इस प्रकार की विपत्तियां हैं।

## विपत्ति का सामना: स्वैच्छिक संस्थाओं के समक्ष सवाल

(१) स्वैच्छिक संस्थाओं की संस्थागत क्षमता बढ़ाना।
(२) स्वैच्छिक संस्थाओं के अभिगम में परिवर्तन।
(३) विपत्ति का सामना करने की तैयारी एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है, अतः उसे लंबी अवधि की पैरवी की आवश्यकता है।
(४) वित्तीय अवरोध एवं दबाव।
(५) व्यापक प्रतिक्रिया से उत्पन्न होने वाली प्रतिकूलताएं।
(६) स्वैच्छिक संस्थाओं तथा सरकारी संगठनों के बीच समन्वय की मुश्किलें।

(इ) कम जोखिम वाली विपत्तियां: दसेक वर्षों में एकाध बार आए। गांव के किसी अंचल पर या किन्हीं लोगों पर ही प्रभाव डाले। भूकंप, प्राणियों के रोग, युद्ध, सर्पदंश, जमीन की खाराश आदि इस प्रकार की विपत्तियां हैं।

यहां विपत्तियों के मुकाबले की तैयारी दो स्तरों पर होती है (१) समुदाय स्तर। इसमें तीन बातों का समावेश होता है: जागृति, निवारण, तैयारी। (२) संगठन स्तर। इसमें जागृति व तैयारी दो महत्वपूर्ण घटक हैं।

विपत्ति के मुकाबले के लिए संगठन स्तर पर दो प्रकार के समूह महत्वपूर्ण हैं: (१) अत्यावश्यकता की परिस्थिति में तत्काल कार्यवाही करने वाला समूह (२) लंबी अवधि के विकास के संदर्भ में कार्यवाही करने वाला समूह। ये दोनों प्रतिभाव विकास के साथ विपत्ति को जोड़ने हेतु महत्वपूर्ण हैं तथा दोनों समूहों के बीच समन्वय हो, यह महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में ये मुद्दे महत्व के हैं: (१) विपत्ति से मुकाबले की तैयारी हेतु दाता संस्थाओं के बीच अधिक बेहतर समन्वय की जरूरत है। (२) उसमें वैश्विक प्रक्रियाओं को भी ध्यान में रखकर नहीं, लंबी अवधि की समतापूर्ण विकास की प्रक्रिया को भी ध्यान में रखकर आयोजन होना चाहिए।

## विपत्ति के मुकाबले की तैयारी की योजना

विपत्ति का सामना करने की तैयारी हेतु सर्वांगीण योजना के

महत्वपूर्ण घटकों की सूची यहां दी गई है। विपत्ति का प्रतिरोध तथा नुकसान में कमी, तत्काल की जाने वाली प्रवृत्तियां, बचाव या पुनः प्राप्ति की कार्यवाही, तथा हानिग्रस्त सामग्री का पुनर्वसन आदि का इसमें समावेश होता है। ऐसी योजना उपयोगी हो सकती है, जिसमें ये तमाम तत्व हों। वैसे विपत्ति के मुकाबले की तैयारी हेतु चरणबद्ध प्रवृत्तियों के अभिगम को भी अपनाया जा सकता है। जो बातें ज्यादा चिंताजनक हों, उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए और बाद के चरण में अन्य मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है।

## योजना का ढांचा

(१) विपत्ति के पश्चात् तत्काल उठाये जाने वाले कदमों और जिन व्यक्तियों से सम्पर्क करना हो, उन की सूची एक पन्ने पर तैयार करना।

(२) योजना का हेतु, उसे तैयार करने वाला संगठन और अंत में आखिरी ब्यौरा।

(३) संचार की योजना। जिनसे सम्पर्क साधना हो, उनके नाम, पते, कार्यालय व घर के फोन नंबर, उनसे सम्पर्क करने की व्यूह रचना और उपयोग में लाए जाने वाले वाहन।

(४) संस्था के अंदर संग्रह की प्राथमिकता, स्थान, नाम व फोन नंबर के साथ वस्तुओं के संग्रह करने की सूची।

(५) प्रतिरोध या संरक्षण की व्यूह रचना। रिवाज के मुताबिक परीक्षण व जांच हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों, कार्यवाही और उनके समयचक्र के साथ सूची।

(६) विपत्ति से पूर्व के कार्य। बाढ़ या तूफान की चेतावनी दी जाए तब करने वाले कार्यों की रूपरेखा। कोई कार्यवाही कौन करेगा, यह तय करना।

(७) विपत्ति के समय जान-माल को बचाने के कौन-कौन से जरूरी कदम उठाये जाएं।

## महत्वपूर्ण बातें

(१) बचाव कार्यवाही दल के सदस्यों के घर व कार्यलय के पते, और फोन नंबरों की सूची। उनके उत्तरदायित्व और उनके अधिकार और जिसके प्रति वे उत्तरदायी हों, उन्हें तय करना।

(२) वस्तुओं का संग्रह करने वाले की विस्तार से सूची बनाना।

(३) प्रतिरोध या संरक्षण हेतु जांच।

(४) बचाव कार्यवाही चरणवार कैसे की जाए, उसका ब्यौरा। आग, बाढ़, गैस रिसाव मामलों में यह काम कैसे करना, उसकी जानकारी एकत्र करना।

(५) लंबी अवधि के पुनर्वास हेतु सूचनाएं। निशान लगाने, लेबल लगाने, मरम्मत के काम करने इत्यादि।

(६) निर्माण कार्य की ब्यौरेवार योजनाएं। प्रवेश, संग्रह का स्थान, खिड़कियां, अग्निशामक, स्विच आदि का स्थान बड़े भवनों में जरूरी हो, वहां सोचना-विचारना। छोटे मकानों में ये जरूरतें बदल जाएंगी।

(७) संसाधनों की सूची। स्थानीय रूप से प्राप्त संसाधन, क्रय करने हों तो कहां से करे, किन वस्तुओं को क्रय करना, क्रय कौन करे, भुगतान की शर्तें तय करना।

(८) बीमे की व्यवस्था। किन-किन बातों को शामिल किया गया है, दावा पेश करने की व्यवस्था क्या है, दस्तावेजों की सुरक्षित संभाल की व्यवस्था क्या है।

(९) जिनकी आकस्मिक परिस्थितियों में जरूरत पड़ती हो, उन कार्यालयों के नाम-पतों की सूची तैयार होनी चाहिए।

उपर्युक्त बातें विपत्ति आने से पूर्व उसका सामना करने की तैयारी के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। इनमें स्थानीय समुदाय को जितनी अधिक मात्रा में शामिल किया जा सके, शामिल किया जाना चाहिए। उनके पास विपत्ति के मुकाबले के संदर्भ में आवश्यक सभी सूचनाएं होनी आवश्यक हैं।

## स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं और आपदा-संचालन

भारत में ७३ वें और ७४ वें संविधान संशोधन से १९९२ में पंचायतें और पालिकाएं तीसरे स्तर की सरकार बन चुकी हैं। आपदा संचालन में वे स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। ये संस्थाएं संवैधानिक दर्जा रखती हैं और लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये सीधे-सीधे लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं। फिर इनका कार्यक्षेत्र भी निश्चित है और बड़ी आसानी से वे लोगों के बीच, याने अपना सम्पर्क आसानी से साध सकती हैं। तभी तो उनके पास लोगों से जुड़ी तमाम समस्याओं

**शेष पृष्ठ 22 पर**

# आंतकवाद और अमेरिका का ईराक के विरुद्ध युद्धः आधारभूत प्रश्न

अफगानिस्तान और ईराक पर अमेरिका के युद्ध ने आंतकवाद, आधुनिक युद्ध और आधुनिकता के विचार के पश्चिमी उपयोग के विरुद्ध इस्लामी धर्मांधता की भूमिका और उत्तरी-दक्षिणी गोलार्ध की चर्चाओं में साम्राज्यवादी फौजी व आर्थिक आक्रमण की प्रासंगिकता को लेकर अनेक प्रश्न खड़े किए हैं। विशेष रूप से ईराक के विरुद्ध अमेरिकी युद्ध के बारे में दुनिया भर में भारी ऊहापोह हुआ था। अमेरिका में भी युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान विशाल प्रदर्शन हुए थे। अमेरिका के प्रशासनतंत्र में भी खलबलाहट मच गई और कई अधिकारियों ने त्यागपत्र भी दे दिये थे। उस अवधि में लोगों ने वैश्विक स्तर पर भारी लाचारी महसूस की थी। स्वैच्छिक संस्थाओं का कर्तव्य क्या हो सकता है, इस बारे में भी चर्चा शुरू हुई थी। इस बारे में तीन मंतव्य यहां दिये जा रहे हैं।

**इंस्टिट्यूट फॉर इंटरनेशनल कोओपरेशन ऑफ द जर्मन एडल्ट एज्युकेशन एसोसिएशन**

ईराक के लोग इस धरती पर हुए सबसे शक्तिशाली युद्धतंत्र के शिकार बने हैं। वे एक सर्वसत्ताधीश अधिनायक के युद्ध का ग्रास बने हैं - ऐसे युद्ध जो दुनिया भर के लोगों की इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। वे ऐसे युद्ध के ग्रास बने हैं कि जिसके लक्ष्य संदिग्ध, विरोधाभासी और सतत परिवर्तित होते रहे हैं और वे अविश्वसनीय दस्तावेजों, बनावटी सबूतों और खड़े किये गए प्रपंची विश्व मत को आधार पर तय किये गये थे। यह युद्ध लोगों को मुक्त करने का दावा करता है, जबकि इन्हीं लोगों के देश पर रॉकेट वर्षा और बमवर्षा की जाती है, जिसका नतीजा अनिवार्यतः मोत ही है। पिछले कई महीनों से यह युद्ध ईराक की जनता में भय पैदा करता रहा है। इस युद्ध में दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलोजी ऐसे लोंगों के खिलाफ उपयोग में ली जा रही है कि जिनके पास युद्ध के बाद पानी भरने के लिए बरतन भी नहीं रहेंगे। यह एक ऐसा युद्ध होगा कि जो, जिस किसी आतंकवाद के विरुद्ध जंग लड़ने का दावा करता है, उस आतंकवाद को ही प्रोत्साहन देगा। वह अंतरराष्ट्रीय कानून भंग करता है और इस युद्ध की तैयारी ने यूरोप के देशों को विभाजित कर दिया है और 'नाटो' की प्रासंगिकता को संकट में डाल दिया है।

अमेरिका के दबाव और मांगों के परिणाम स्वरूप एक के बाद एक देश मुसीबत में फंसा जा रहा है। पाकिस्तान के नेता लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए नहीं है, पर उनको भी अमेरिका के साथ अफगानिस्तान और तालिबान के खिलाफ हाथ मिलाने के बदले में अपनी ही मुस्लिम जनता को समझा पाने में नाक में दम आ गया था। ३० अरब डालर का ऋण और अनुदान तुर्की की संसद को अपनी धरती पर ६०,००० सैनिकों को आने की इजाजत देने में सामर्थ्यवान नहीं बना सका। और अब अपनी ९० प्रतिशत जनता की इछा के विरुद्ध जाकर तुर्की की सरकार ने अमेरिका की हवाई सेना को अपनी हवाई सीमा का उपयोग करने की अनुमति दे डाली। दूसरे अनेक देशों के लोग अपनी सरकारों को अमेरिका के सामने घुटने टेकते देखते रहे। पोलैंड के लोगों ने अपनी सरकार के सामने नाराजगी प्रकट की थी कि वह बुश के प्रशासन तंत्र के सामने झुक गई। वह अमेरिका को फौजी ठिकाने का उपयोग करने देने तथा प्रतीकात्मक रूप से सैनिक भेजने के विरुद्ध विरोध था। स्पेन में ९० प्रतिशत लोग ईराक के खिलाफ युद्ध का विरोध करते थे और उन लोगों को इस बात पर आश्चर्य हुआ था कि स्पेन के अटलांटिक महासागर के तट पर तेल के कीचड़ से फैले प्रदूषण को दूर करने का काम एक किनारे रखकर उनके प्रधान मंत्री ने यूरोप के छह नेताओं द्वारा अमेरिकी नीति का समर्थन करने वाले पत्र पर हस्ताक्षर किये थे। इससे भी बढ़कर उसने बुश और ब्लेयर को एज़ोरस में शिखर वार्ता हेतु आमंत्रित किया था, जहां युद्ध करने का निर्णय लिया गया था और वह भी सुरक्षा परिषद की अनुमति के बगैर।

हम अंतरराष्ट्रीय कानूनों और प्रणालियों को व्यवस्थित रूप से भंग होते देख रहे हैं, आलोचनात्मक अभिप्रायों को दबाने के

लिये अपमानजनक राजकीय युक्तियों का उपयोग हो रहा है, विनाश के लिए फौजी निवेश में करोड़ों डालर बरबाद किये जा रहे हैं, जबकि विकास, रोग-नियंत्रण व शिक्षा के लिए बहुत कम राशि की सहायता दी जा रही है। एक ही वंश के, धार्मिक व राष्ट्रीय पूर्वाग्रह फिर से सिर उठा रहे हैं, जिनका मर्दन करने की हमने शुरूआत की थी। आर्थिक विकास संबंधी डर से शेयर-बाजारों में मंदी आई है और करोड़ों लोग अपनी बचत को बरबाद होते देख रहे हैं। अतः इस स्तर पर अनेक सवाल उभरते हैं: हमें लोकतांत्रिक पद्धति के सिद्धांत किसलिए सिखाने चाहिए, जबकि हमारे नेता जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी इच्छा के खिलफ निर्णय ले लेते हैं? किसलिए हमें यह सिखाना चाहिए कि समाज के सशक्त लोग निर्बल वर्गों का आदर करें, कि जब सत्ता में बैठे ताकतवर लोग कमजोर लोगों के अधिकार छीन लेते हैं? किसलिए हमें एक किनारे पड़े लोगों को मुख्यधारा में लाने हेतु लड़ना चाहिए, जबकि उनकी आवाज और उनके हितों को पीछे धकेल दिया जाता है? किसलिए हमें विचारों की स्वतंत्रता, तार्किकता और आत्मनिर्माण को प्रोत्साहन देना चाहिए कि जब लोगों को सूचना व जानकारी ही न दी जाती हों या फिर गलत सूचनाएं दी जाती हों तथा स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति से लोगों को वंचित किया जाता हो? लोकतांत्रिक समाज निर्मित करने और नागरिकों की सहभागिता निर्मित करने का काम हमें क्यों इतना महत्त्वपूर्ण समझना चाहिए कि जब राजकीय निर्णयों को बाजार के द्वारा नियंत्रित होता हम खुल्लमखुल्ला देख रहे हो? किसलिए हम लोगों को यह दिखायें कि वे खुद आत्मनिर्भर हो सकते हैं, कि जब उनके बालकों को ही गलत कारणों से मार दिया जाता है, और गरीब व मृत्यु के बीच लोग जीवित रहते हैं? पड़ोसियों, देशों, लोगों और धर्मों के बीच सहिष्णुता सहअस्तित्व के लिए जरूरी है, ऐसा हम क्यों मानते हैं कि जब बहुत थोड़े से लोगों के मृत्यु और फैसले लोगों के बीच घृणा व तिरस्कार उत्पन्न करते है? ये तमाम प्रश्न वर्तमान आपातकाल में हम कितने सत्ताहीन है, इस तरह की हताशा भावना से जन्मे हैं। सच्चाई यह है कि हमारा काम तो चालू ही रहेगा लेकिन उसका महत्त्व बढ़ता जाएगा और नये काम उभरते जायेंगे।

यह युद्ध पूरा होगा तब ईराक का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। ईराक के लोगों को अस्तित्व के नये मार्ग बनाना सीखना पड़ेगा, शिया, सुन्नी व कुर्द लोगों को सहिष्णुता के साथ रहना सीखना पड़ेगा। इसके लिए धन और सहयोग चाहिये। परंतु आगामी दिनों में मात्र ईराक में ही वैश्विक व्यवस्था नहीं बदलेगी। अमेरिका ने 'संयुक्त राष्ट्र' के प्रति जो अनादर दर्शाया है, उससे लोगों और राष्ट्रों के बीच शांतिमय सह अस्तित्व की नींवें हिल गई हैं। अमेरिकी नेताओं और उसके साथियों ने जो जड़तापूर्ण गफलत भरा निर्णय लिया है, उसकी वज़ह से ऐसा हुआ है। उनके कार्यों का जो जोखिम भरा संकेतार्थ है उसके प्रति सभी का ध्यान खींचना पड़ेगा। जहां भी सरकारें लोगों की इच्छा के विरुद्ध बर्ताव करती है, वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा करना पड़ेगा ताकि लोगों का विश्वास फिर से लौटे । प्रत्येक आवाज का महत्त्व है और उसे सुना ही जाना चाहिए।

हम जो कुछ करते हैं उसके बारे में अधिक स्पष्ट बनना सीखना चाहिये और हमें जो कुछ कहा जा रहा है उसे ध्यान देकर सुनना सीखना चाहिये। प्रश्न कैसे पूछने और उत्तर कैसे जांचना, यह भी हमें सीखना होगा। अपनी सरकारों पर ज्यादा से ज्यादा उम्दा नियंत्रण रखना हमें सीखना होगा। यदि वे लोगों के हित में ही काम करने का दावा करती हों तो हमें यह देखना होगा कि उन कार्यों के परिणाम स्वरूप लोगों के हित पूरे हों। उनके दावों से हम आकृष्ट न हो जाएँ। आक्षेप और सबूत बहुधा सिर्फ सत्य की झूठी प्रस्तुति होते हैं, यह हम जानते है। इसी से हमें जो कुछ कहा जाता है, उसके बारे में समीक्षात्मक रूप से जांच करनी चाहिए।

हमने देखा कि अलग-अलग देशों पर किस तरह दबाव डाला जाता है। सुरक्षा परिषद की अनैतिक हेतु के लिए नैतिक स्वीकृति प्राप्त करने यह दबाव डाला गया था। परिणामतः हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारी सरकार खरीदी न जाए, किसी एक महासत्ता के द्वारा भी नहीं। हमारे सह-अस्तित्व को संभव बनाने वाले नियमों को अस्वीकार करना सरकारें किस तरह पसंद करती हैं, यह भी हमने देखा है। वे मनोनुकूल धर्म अपनाते हैं। उनका उदाहरण एक प्रणाली न बन जाए, यह हमें देखना पड़ेगा। पारस्परिक आदर व सहिष्णुता जरूरी है। लोगों व सरकारों के मंतव्य अलग-अलग

हों, तब भी वे एक ही हैं। ऐसा कई बार देखने में आता है। अतः वे हमसे अलग हैं, उनको आदर देना हमें सीखना पड़ेगा। एक बार हम एक-दूसरे को ज्यादा जानेंगे तो गलत प्रचार और विकृत हकीकतों के तले हमें दब नही जाना चाहिए।
(दिनांक २१-३-२००३ को उप निदेशक डॉ. माइकल सेम्लोवस्की द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को लिखे पत्र में से)

## एक अमेरिकी अधिकारी ने विदेश मंत्री को लिखा त्यागपत्र

प्रिय मंत्री श्री पावेल,

मैं जब आपसे जनवरी २००२ में काबुल में मिली, तब आप अमेरिकी राजदूत कार्यालय के विधिवत उद्घाटन हेतु आये थे, जिसकी पुनर्स्थापना करने के लिए दिसंबर २००१ में मैंने प्रथम राजकीय अधिकारी के रूप में मदद की थी। उस समय मैंने कल्पना तक नहीं की थी कि एक वर्ष के बाद मैं अमेरिकी नीतियों की वजह से विदेश सेवा से त्यागपत्र लिखूंगी। अपने पूरे प्रौढ़ जीवन काल में मैं अमेरिकी सेवा में रही हूं। मैं १५ वर्षो तक राजदूत रही हूं और सियेरा लियोन, माइक्रानेशिया, अफगानिस्तान और मंगोलिया में अपने राजदूत कार्यालय में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रही हूं। मैंने सोमालिया, उजबेकिस्तान, किर्गिस्तान ग्रेनेडा और निकारागुआ में भी काम किया है। १९९७ में सियेरा लियोन त्यागते समय चार्ज डी अफेयर्स के रूप में किये गए काम के बदले मुझे विदेश विभाग का 'एवार्ड फोर हिरोइज्म' भी मिला है। अमेरिकी फौज और आर्मी रिजर्व में मैंने २६ वर्षों तक सेवाएं दी हैं तथा ग्रेनेडा, पनामा और सोमालिया में फौजी दायित्व के बाद पुनर्रचना का काम भी किया था। मेरी सैन्य-सेवा के दौरान मुझे कर्नल की पदवी दी गई थी। अमेरिका की सेवा के दौरान अपने कई वर्षों के दौरान मुझे इस बार पहली बार ऐसा लगा है कि मैं अमेरिकी प्रशासन तंत्र की नीतियों का प्रतिनिधित्व करने की दशा में नहीं हूं। मैं प्रशासनिक तंत्र की ईराक, इज़राइल-फिलस्तीन संघर्ष, उत्तर कोरिया संबंधी नीतियों और अमेरिका में ही नागरिक स्वतंत्रता में की गई कटौती के प्रति असहमत हूं। मैं मानती हूं कि अमेरिकी प्रशासन तंत्र की नीतियां दुनिया को सुरक्षित नहीं वरन् अधिक भयग्रस्त बना रही हैं। इन नीतियों के बारे में मुझे अधिक गहन व सुदृढ चिंताएं, कि जिसका मैं बचाव कर सकने और क्रियान्वयन कर सकने की दशा तक में नहीं हूं। ऐसा मेरा नैतिक व व्यावसायिक दायित्व है, ऐसा मुझे लगता है।

मुझे त्यागपत्र क्यों देना चाहिए, इस बारे में स्पष्टीकरण को आप समझेंगे, ऐसी मेरी आशा है। अपने देश की सेवा के ३० वर्षों के बाद त्यागपत्र देने का मेरा निर्णय एक बड़ा कदम है, और यह मुझे क्यों उठाना पड़ा है, इस बारे अपने कारणों के बारे में मैं स्पष्ट करना चाहती हूं। मैं ईराक के बारे में अमेरिकी प्रशासन तंत्र की नीतियों के साथ असहमत हूं। यह पत्र मैने पांच सप्ताह पहले लिखा था और इस उम्मीद में पड़ा रखा था कि प्रशासन तंत्र इस बार 'संयुक्त राष्ट्र' की सुरक्षा परिषद् की स्वीकृति के बिना ईराक के विरुद्ध युद्ध नहीं छेड़ेगा। मैं दृढ़तापूर्वक ऐसा मानती हूं कि यह युद्ध किये जाने से दुनिया ज्यादा सुरक्षित नहीं बल्कि ज्यादा संकटग्रस्त बन जाएगी। इसमें कोई शंका नहीं कि सद्दाम हुसैन एक धिक्कारने योग्य अधिनायक है और ईराकी प्रजा तथा इस प्रदेश के अन्य लोगों को उसने भारी नुकसान पहुंचाया है। सद्दाम का शासन जन-विनाश के शस्त्र नष्ट करे ऐसी दुनिया भर की मांग का मैं पूर्ण समर्थन करती हूं।

यद्यपि, मैं मानती हूं कि सद्दाम वैसा करे तो उसके लिये हमें अमेरिकी फौज का उपयोग 'संयुक्त राष्ट्र' की सुरक्षा परिषद की सहमति के बिना नहीं करना चाहिए। इस वक्त फौजी कार्यवाही करने की जल्दबाजी में हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गहरा जख्म पहुंचाया है और महत्त्वपूर्ण वैश्विक संगठनों को हानि पहुंचाई है। हमारी नीतियों ने हमारे अनेक साथियों को हमसे अलग किया है और दुनिया के बहुत सारे भागों में हमारे प्रति चिढ़ पैदा हुई है। अमेरिका पर ११ सितंबर के अल-कायदा के हमले की प्रतिक्रिया के रूप में अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले को दुनिया के देशों ने समर्थन दिया था। तदुपरांत ईराक के प्रति हमारी नीति की वजह से अमेरिका ने दुनिया के देशों की सहानुभूति इस तरह गंवा दी कि मानने में नहीं आएगा। अधिकांश दुनिया ईराक संबंधी हमारे निवेदनों को झूठे, अभिमानी और किसी प्रच्छन्न काम के मुखौटा वाला मानती है। उदारवादी मुस्लिम/ अरब देशों के नेता हमें, यदि अमेरिका मुस्लिमों/ अरबों के बचाव हेतु नहीं वरन् उन पर आक्रमण करने के हेतु से किसी अरब देश में प्रवेश करे

तो उन देशों के युवकों के संभावित रोष तथा आक्रोश के बारे में चेतावनी देते हैं। अभी ईराक में सद्दाम के शासन पर हमला हमारे १० वर्ष पहले कुवैत से उसे बाहर निकालने हेतु किए गए हमले से नितांत भिन्न है।

मैं यह दृढ़ता से मानती हूं कि यदि अमेरिका 'संयुक्त राष्ट्र' की सुरक्षा परिषद की स्वीकृति के बिना ईराक में प्रवेश करेगा तो दुनिया के मुस्लिमों और इस प्रदेश के अधिकांश अरबों की संभावित प्रतिक्रिया अमेरिका और अमरीकियों का लिए असाधारण रूप से खतरनाक होगी। अतः 'संयुक्त राष्ट्र' का शस्त्र निरीक्षण जारी रहने दिया जाए और बाद में जरूरी हो तो सुरक्षा परिषद की स्वीकृति के साथ कदम उठाया जाना ही उचित होगा। मैं दृढ़तापूर्वक यह मानती हूं कि सद्दाम जन-विनाश के शस्त्रों का उपयोग करे, ऐसी संभावनाएं कम हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसे शस्त्रों का उपयोग तत्काल कड़ी और उचित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पैदा करेगा। ऐसे समय तो सद्दाम के खिलाफ कदम उठाये जाने का विरोध हो भी नहीं सकेगा। ईराक पर चला कर हमला करने के विषय में मैं दृढ़तापूर्वक असहमत हूं। मैं मानती हूं कि ऐसा हमला अमेरिका और अमेरिकी नागरिकों पर हमला बोलने वाले समूहों और व्यक्तियों को उचित कारण देगा और वही नीति इसी रूप से हमारे विरुद्ध उपयोग में ली जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय फौजी जमाव उन पर दबाव डालता है कि जिससे धीमे-धीमे ही जन-विनाश के शस्त्र बाहर आएं। हमें शस्त्र-निरीक्षकों को उनका काम करने का समय देना चाहिये। हमें अतिवादी मुस्लिमों या अरबों को अमेरिका को ज्यादा धिक्कारने के लिये या उदारवादी मुस्लिमों को अतिवादियों के साथ जुड़े जाने हेतु ज्यादा कारण नहीं देना चाहिए। साथ ही, अपनी फौजी टुकड़ियों को मध्य-पूर्व में और विशेष रूप से सऊदी अरब में रखने के बारे में भी फिर से विचार करना चाहिए। सऊदी अरब की पवित्र इस्लामी धरती पर उनकी उपस्थिति से अमेरिका विरोधी भावनाएं वे जब तक वहां रहेंगे, तब तक भड़केंगी और उनकी दृष्टि में अमेरिका और अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ आक्रमण के लिए वह मजबूत कारण बनेगा। मैं दृढ़तापूर्वक मानती हूं कि ईराक में फौजी कदम उठाने के लिए सही समय अभी नहीं आया, फिर भी, अनेक फौजी कार्यविधियों में शामिल एक सैनिक के रूप में मैं आशा करती हूं कि जनरल फ्रेन्क्स को अमेरिका और साथी दल जो काम सौंपेंगे उसे, वे नागरिकों या सैनिकों की जनहानि के बिना पूरा करेंगे और ईराकी जनता के मकानों और जीवन निर्वाह के साधनों को नष्ट किए बिना सम्पन्न करेंगे। मैं विदेश विभाग से एक बार फिर विनती करती हूं कि वह 'संयुक्त राष्ट्र' की सुरक्षा परिषद की स्वीकृति के बिना ईराक पर फौजी हमला करने की और ले जाने वाली नीति छोड़ दे। समय अत्यंत महत्त्वपूर्ण है और फौजी कार्यवाही के लिए अभी परिपक्व नहीं हुआ। इजरायल-फिलस्तीन संघर्ष हल करने के लिए प्रशासन तंत्र प्रयास नहीं करता, इससे मैं अपनी असहमति प्रकट करती हूं। इसी भांति इजरायल फिलस्तीन के बीच की शांति-प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाले उसके बहुत अल्प प्रयासों का भी मैं समर्थन नहीं कर सकती। फिलस्तीनी आत्मघाती इजरायल निवासियों को मार डालते हैं और इजरायली फौजें फिलस्तीन वासियों को मारती हैं, उनके नगरों को नष्ट करती हैं। इस हिंसा को रोकने के लिये अमेरिकी प्रशासन तंत्र ने कुछ नहीं किया। इजरायली नगरों को नष्ट न करें और फिलस्तीनी युवक आत्मघाती बोम्बर न बनें, इसके लिये हमें अपना आर्थिक प्रभाव डालना ही चाहिए। मुझे आशा है कि प्रशासन तंत्र लंबे समय से जिसकी जरूरत थी, ऐसे उसके 'शांति मार्ग' हेतु मानव-संसाधनों को लगाएगा और राजनीतिक प्रभाव डालेगा।

साथ ही उत्तर कोरिया के बारे में प्रशासन तंत्र की प्रवृत्ति का मैं समर्थन नहीं कर सकती। शस्त्र, बम और प्रक्षेपात्रों के साथ उत्तर कोरिया जबरदस्त जोखिम खड़ा कर रहा है और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मैं दृढ़तापूर्वक ऐसा मानती हूं कि पिछले दो वर्षों के दौरान अमेरिका के प्रशासन तंत्र ने उचित चर्चा, संवाद और सहभागिता का अभाव दर्शाया है, जिससे कोरिया अंतरीप व प्रदेश में सुरक्षा के लिए संकट पैदा हो गया है। फिर, अमेरिका में नागरिक अधिकारों पर जो गैर-जरूरी कटौती प्रशासन तंत्र ने लगाई है, उसका मैं समर्थन नहीं कर सकती। आतंकवादी संगठनों के साथ शंकास्पद संबंधों की पड़ताल बहुत महत्वपूर्ण है परंतु २०० वर्षों से अमेरिकी कानून व्यवस्था खास सिद्धांतों पर आधारित है जो जांच की अवधि के दौरान व्यक्तियों के अधिकारों

की रक्षा करती है। कानूनी सहायता के बिना व्यक्ति को अकेले कैद करके रखा जाए, तो हमारा देश जिस बुनियाद पर खड़ा है, उस कानून की बुनियाद को ही तोड़ डालेगा है। साथ ही, मैं ऐसा मानती हूं कि अदालती प्रक्रिया में प्रशासन तंत्र ने जो गुप्तता रखी है, उसने अधिकारों की रक्षा में की गई कटौती के खिलाफ बोलने में भय उत्पन्न किया है, और उसी रक्षा पर तो अमेरिका का नींव है तथा अन्य देश अपने नागरिकों को उसकी रक्षा प्रदान करें, इसके लिए अमेरिका उन्हें प्रोत्साहन देता है। मैंने लगभग ३० वर्षों तक विश्व के सबसे खतरों वाले और कई दूर के इलाकों में अपने देश की सेवा की है। मैं अमेरिका की सेवा जारी रखना चाहती हूं। जबकि मैं प्रशासन तंत्र की नीतियों को नहीं मानती। न उनका बचाव कर सकती, न क्रियान्वयन कर सकती है। भारी हृदय के साथ मुझे अमेरिका की सेवा का समापन करना पड़ रहा है और प्रशासन तंत्र की नीतियों के कारण मैं उससे त्यागपत्र दे रही हूं।

माननीय मंत्रीश्री, आखिर में एक निजी बात कहूं। अपने नेतृत्व के अधीन विदेश सेवा और विदेश विभाग के प्रशासन और संगठन को सुधारने में हमने बहुत प्रगति की है। आपके इन अप्रतिम प्रयासों के लिए मैं आपका आभार मानती हूं। विदेश सेवा को छोड़ना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी छोड़ रही हूं। आपको और आपके साथियों को मेरी शुभकामनाएं।
आदरपूर्वक

**मेरी ए. राइट**
एफओ.०१ डिप्टी चीफ ऑफ मिशन, अमेरिकी राजदूत कार्यालय
उलानबतुर, मंगोलिया

## आधुनिकता, आतंकवाद और संघर्ष का नाच
## - श्री अनिरुद्ध देशपांडे

### पश्चिम का समकालीन युद्ध

बहुधा अंतर-विग्रह न हों तो युद्ध वे देश का अपना सृजन नहीं होते। लेकिन अंतर-विग्रह फौजी संघर्ष बन जाता है और उसके दूरगामी परिणाम आते हैं। संक्षेप में यों कहा जा सकता है कि युद्ध और पहचान के संघर्ष एक दूसरे को सुदृढ़ बनाते हैं। जो युद्ध देश की सामाजिक रचना से उत्पन्न होते हैं और जो युद्ध विदेशी आक्रमण के कारण होते हैं, इन दोनों के बीच के अंतर को भलीभांति समझा जाना चाहिए। पिछली सदी के दो विश्वयुद्ध साम्राज्यवादी देशों के बीच की स्पर्धा की वजह से जन्मे थे और जो लोग उन युद्धों में जुड़ना नहीं चाहते थे, ऐसे अनेक देशों पर भी वे लादे गए थे। इसी भांति २०वीं सदी की साम्राज्यवादी सत्ताओं - अमेरिका, जापान व फ्रांस - द्वारा वियतनाम युद्ध प्रभावित जनता पर ठोक बैठाया गया था। वे युद्ध अभूतपूर्व रूप से विनाशकारी थे। उनकी अनेक समाजों पर स्थायी छाप रह गई और वर्तमान बहुत सारी वैचारिक व पहचानपरक समस्याएं उसी से उत्पन्न हुई थीं।

पराजित लोगों पर विदेशी वर्चस्व का प्रभाव सामान्यतया बहुत अधिक होता है। आक्रमणकर्ता हमेशा नितांत विचित्र कारणों से आक्रमण को उचित ठहराने का प्रयास करता है। वियतनाम पर अमेरिकी कब्जा, अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का कब्जा आदि जैसे आधुनिक युद्ध क्रमशः लोकतंत्र और समाजवाद के नाम पर हुए। हालांकि विदेशी आक्रमण के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिणाम सर्वत्र एक से रहते हैं। संस्थानों में अहिंसक असहयोग और सशस्त्र लड़ाइयों के बीच के अंतर को उसके आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि वे आक्रमणों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में उपस्थित होते हैं। १९४०-४५ के दौरान नाजियों के आक्रमण के सामने यूरोप का प्रतिकार, १९३९-४५ के दौरान जापानियों के आक्रमण के सामने चीनियों का प्रतिकार और १९७५-८९ के दौरान सोवियत आक्रमण के विरुद्ध अपमानों के प्रतिकार अलग-अलग थे। इजराइल के सामने फिलीस्तीनवासियों की लड़ाई भी इसी तरह की है और थे सभी लड़ाइयां पहचानपरक संघर्षों संबंधी हमारी समझ को विस्तृत बनाती हैं।

विदेशी वर्चस्व या वर्गीय वर्चस्व के सामने की सभी लड़ाइयों में अलग-अलग आंतकवादी प्रतिभाव रहा है। उसकी मांग स्वतंत्रता और प्रगति की रही है। रूस में नारोदनिक्स, भारत में क्रांतिकारी, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी आदि उनके उदाहरण हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो आतंकवाद की समस्या उभरती व संगठित होती पहचान के साथ संबंधित है। समाज के अंदर व अलग-अलग समाजों के मध्य सामाजिक-आर्थिक अंतर व संघर्ष उसमें शामिल

होते हैं। अफगान युद्ध, इस्लामी धर्मांतरण और साम्राज्यवादी नीति और कई आधुनिक ऐतिहासिक घटनाओं का इस संदर्भ में मूल्यांकन करना होगा।

**आधुनिकता और युद्ध**

युद्धों की समग्र उपयोगिता की जांच ऐतिहासिक व मानवीय ढांचे में रहते हुए करनी पड़ती है। युद्धों के नकारात्मक एवं सकारात्मक परिणामों के बारे में इतिहासकार चर्चा किया करते हैं। परंतु समाज, संस्कृति, राजनीति और सभ्यता के विचार पर युद्धों ने प्रभाव डाला ही है। यद्यपि, यह प्रभाव बहुआयामी रहा है। युद्ध अच्छे के लिये हुआ था या बुरे के लिये, यह भी एक चर्चा योग्य बात है। बहुधा आप जिस पक्ष में होते हों, उस पक्ष के आधार पर आपका युद्ध के बारे अभिप्राय निर्मित हो जाता है। समाज और सामाजिक प्रवृत्तियों पर युद्ध का प्रभाव निर्विवाद रूप से होता है। विविध समाजों के शासक वर्गों ने इस प्रभाव का उपयोग किया है और अपने स्थापित वर्गीय हितों को आगे बढ़ाया है। अंतर-सामाजिक और अंतर्सामाजिक हितों को ध्यान में लिये बिना युद्धों का विश्लेषण नहीं हो सकता। बहुधा वर्चस्ववादी हितों को आगे बढ़ाने और उचित ठहराने के लिए युद्ध हुआ करते हैं।

साम्राज्यवादी सत्ता का हित पूंजीवादी था तो सोवियत संघ की पक्षीय और अमलदारी था। लगभग सभी राज्यों में फौजी नेता युद्ध का भव्य चित्रण करते हैं और उसको राष्ट्रीय कर्तव्य गिनाते हैं। इससे आधुनिक युद्धों में जो ऐतिहासिक और वैचारिक पहलू हैं, उनको ध्यान में लाना पड़ता है और पहचानलक्ष्यी राजनीति की तो उपेक्षा की ही नहीं जा सकती। १९वीं सदी में जो दो अफगान युद्ध हुए थे, उनमें अथवा पश्चिम एशिया के युद्धों में जातिवादी, युद्धोपजीवी, आदिवासी या मुस्लिम क्या होते हैं, उनकी व्याख्या को आकार मिला। बाहरी आक्रान्ताओं के बारे में विदेशी कब्ज़े, अराजकता, मृत्यु, लूटपाट और बलात्कार के आधार पर विचारधारा बनी। अफगानिस्तान इसका एक सरल उदाहरण है। १९वीं सदी के दो अफगान-ब्रिटिश युद्धों ने अफगानों और अंग्रेजों दोनों पक्षों के सम्मुख मंतव्य खड़े किए। बाहर वालों के बारे में अफगानों के दिमाग में संस्थानवादी समय से ही संशय पैदा हो चुका था। साम्राज्यवादी आक्रमण और संस्थानवादी शोषण जहां-जहां हुए वहां-वहां ऐसे भाव उत्पन्न होते ही गए।

अमेरिका इस्लामी धर्मान्धों को हरा दे तो विविध पहचानों के बीच का विरोध शांत हो जाएगा, ऐसा मान लेना बचपना होगा। अमेरिका पहचानों का संघर्ष मिटाने के लिए ये युद्ध करता है, यह भी नहीं मानना चाहिए। वास्तव में, हकीकत इससे नितांत प्रतिकूल है। १९वीं और २०वीं सदी में युद्ध के विचारधारापरक पहलू अधिक महत्त्वपूर्ण बने हैं। लेकिन युद्ध और पहचान की समस्या बहुत पुरानी है। विविध वर्ग संरक्षण, सुरक्षा, वंशीयता, धर्म और राष्ट्र के लिए युद्ध करते हैं, पर युद्ध सभी जगह बड़े-बड़े सवाल खड़े करते हैं। सभी धार्मिक समूह दूसरों के बारे में जो विचार रखते हैं, वे आधुनिक समय में लोकतंत्र और शांति के लिए बहुत बड़े अवरोध हैं। मध्ययुग के धर्मयुद्ध इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। ऐसा कहा जाता रहा है कि ये युद्ध इसलिए हुए कि अरबों की सत्ता और इस्लाम का प्रभाव यूरोप में न फैले। ऐसा कहा जाता रहा है कि ईसाई दूसरे तमाम से श्रेष्ठ हैं, ऐसी मान्यता इस विवेचन के पीछे रही है। अमेरिका का इतिहास काले गुलामों और रेड-इंडियनों के रक्त से लिखा हुआ है, और वे इस विवेचन से सहमत हुए हैं। ये धर्मयुद्ध ईसाई जगत के शासक सामंतों के द्वारा लड़े गए थे। लेकिन वे कितने फलदायी रहे, इसके बारे में शंका है। यूरोप के सामंतशाही राज्यों के बीच के विरोध की वजह से पैदा हुए हों, अरबों के खतरे की वजह से नहीं, यह संभव है। ईसाई योद्धाओं के समूह के रूप में अपनी नई पहचान देने हेतु सामंतों ने यह किया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यूरोप अरबों के सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव से अलग नहीं रह सका। यूरोप की भाषाओं, समाजों, जीवन शैली और स्थापत्य पर अरबों का प्रभाव तो पड़ा ही है।

विदेशी प्रभाव के खिलाफ युद्ध लड़ने की मानसिकता आज के जिहादी मन के जैसी है। हिंदुत्व, गोरों की सर्वोच्च या जाओनिष्ट विचार भी उसी प्रकार के हैं। भारत का इतिहास हिन्दू प्राचीन, मुस्लिम मध्ययुग और अंग्रेज आधुनिक युद्ध में विभक्त हुआ, इसका कारण भी इस प्रकार का विवेचन है। १९४७ में भारत का विभाजन हुआ और द्विराष्ट्र का सिद्धांत उद्‌भूत हुआ, उसने परिस्थिति को अधिक बिगाड़ दिया। आधुनिक धार्मिक जुनून द्वारा

नए विचार उत्पन्न हुए, और सभ्यताओं के बीच के संघर्ष के विचार में वे समाविष्ट हो गए। ११वीं सितंबर २००१ की घटना ने उसे और ज्यादा उजागर कर दिया। ऐसा माना जाने लगा कि तालिबान जैसे धार्मिक संगठनों ने दशा बिगाड़ी और सभ्यताओं के बीच का संघर्ष मानों अनिवार्य बन गया। विविध पहचानों के बीच के विरोध का विरोध सार्वत्रिक मानववाद, तर्क और बहुवाद तथा समान विकास के आधार पर ही हो सकता है। इसके लिए तीन काम करने पड़ेंगे: (१) ऐसे धार्मिक और वैचारिक भाव का प्रतिकार कि सिर्फ वही सही हैं। (२) पश्चिम की पूंजीवादी आधुनिकता की चर्चा में से सार्वत्रिक प्रबुद्धता के मूल्यों को बचाना। (२) दुनिया के अनेक भागों में जो अमेरिका विरोधी विचार फैले हैं, उनका दुरुपयोग करने वाले आतंकवादियों को ललकारना।

पिछली सदी में युद्ध ने ऐसे ही सवाल और समस्याएं खड़ी की थीं। नाजी जर्मनी और उसकी भयानकता के बारे में सोचे बिना हम इजरायल के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकेंगे। विस्तारवादी इजरायल के सिवा कदाचित फिलीस्तीन की समस्या ही खड़ी न हुई होती। अमेरिका के समर्थन के बिना और अरबों के बीच की फूट के बिना इजरायल का अस्तित्व टिका ही न होता। पश्चिम का सतत समर्थन मिलने पर ऐसी धारण बन गई है कि इजरायल अजेय है। मुस्लिम आतंकवादी के विरुद्ध साथियों की तलाश की जाए, भारत में भी दुर्भाग्यवश इसी तरह माना जा रहा है।

दूसरी ओर, इस्लाम जिसे स्वीकृति नहीं देता, ऐसी राजाशाही को सऊदी अरब में अमेरिका ने समर्थन दिया। उससे इस्लामी असंतोष जन्मा और आतंकवादी संगठनों ने उसे अपना लिया। कार्यकारण संबंधों की श्रृंखला बहुत लंबी होती गई। अगर फिलीस्तीन की समस्या ही न होती तो इस्लामी आतंकवाद भी इतना खतरनाक न होता। अंतरराष्ट्रीय कानून का भंग होता रहा है। ये तमाम प्रश्न पश्चिम-एशिया संबंधी पश्चिम की नीति के साथ संबंधित बीच के संघर्ष का सच्चा स्वरूप समझने के लिए इन तमाम प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यहां यह याद रखना जरूरी है कि साम्राज्यवाद, संस्थानवाद और 'राष्ट्रसंघ' (लीग आंफ नेशंस) (यूनाइटेड नेशंस - यू.एन.) की निष्क्रिता हमारे भविष्य के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है। तीसरी दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों में १९८० के दशक के बाद अमेरिका की आलोचना करना मुश्किल होता गया है। 'तुम या तो हमारे साथ हो, अथवा हमारे विरोध में हो' - की मानसिकता इन अभागी घटनाओं का परिणाम है। सोवियत संघ ने १९८९ में अफगानिस्तान से अपनी सेना वापिस बुला ली थी, उसके बाद से यह रूझान विकसित होता गया।

यदि नयी विश्व व्यवस्था में अमेरिका असहमति हेतु गुंजाइश नही रहने देगा तो भविष्य में पहचानपरक संघर्ष बढ़ते जाएंगे। यदि जाओनिज्म और अन्य प्रकार का आतंकवाद घटेगा नहीं तो मुस्लिमों में इस्लामवाद बढ़ता जाएगा। परिणामस्वरूप आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाइयां बढ़ती जाएंगी। एक तरफ अमेरिका और उसके साथी देश हैं तो दूसरी तरफ, उनके विरोधी देश हैं जो लोग दबे हुए, कुचले हुए, गरीब हैं, उनके लिए आतंकवाद आक्रोश को व्यक्त करने का एक साधन बन गया है। उससे अमेरिकी नीतियों का तर्क-आधारित विरोध घटता जाता है। ईराक में अमेरिका के हाल के अत्याचार इस प्रक्रिया को और तीव्र बनायेंगे।

**वैचारिक प्रक्रिया**

युद्ध वैचारिक व पहचानपरक समस्याएं उत्पन्न करता है। दो विश्वयुद्धों ने संस्थानवादी साम्राज्यों को कमजोर बनाया, संस्थान स्वतंत्र होते गए और परोक्ष संस्थानवादी वर्चस्व बढ़ता गया। राष्ट्र-राज्यों की प्रजा बढ़ती गई। नए राष्ट्र और नई पहचान इस युद्ध की वजह से जन्मे। लेकिन सत्ता, राजनीतिक वर्चस्व, पूंजीवाद और आधुनिक युद्धों के बीच के संबंध को इस संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। जो शांति और विकास चाहने वाले हैं वे हमेशा यह कहते हुए युद्ध का विरोध करते हैं कि युद्ध अतार्किक और अनैतिक घटना है। युद्ध सामान्यतया युद्ध को ही जन्म देता है। निरंतर होने वाले युद्ध मानव सभ्यता के समक्ष खतरा पैदा करते हैं। युद्ध मानव विकास, मानवधिकार, पर्यावरण सुरक्षा, ऐतिहासिक विरासत, स्त्रियों, बालकों, स्त्री-पुरुष समानता के विरोधी हैं। युद्ध बहुधा वंश-निकंदन, कौमवाद, सामूहिक हत्याओं, और वंशीय-दुश्मनी को जन्म देते हैं। कम्बोडिया, अफगानिस्तान, चेचन्या, यूगोस्लाविया, अफ्रीका, श्रीलंका और कश्मीर इत्यादि सब इसी के उदाहरण हैं। युद्ध महामारी की तरह फैल रहे हैं और आधुनिकता

उन्हें थाम नहीं सकती। शस्त्रों के व्यापार ने ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी है मानो दुनिया युद्ध करने के लिए तैयार है। युद्धों में लाखों लोग मारे गये हैं और लाखों की दशा खराब हुई है। अतः आधुनिकता जिन धारणाणों के साथ चलती है उसके सामने ही प्रश्न खड़े हुए हैं। वास्तव में, आधुनिकीकरण, आधुनिकता और पाश्चात्यीकरण के बीच का अंतर ही इस वक्त मिट गया है। वहां से जो रास्ता निकलता है उसे भारत में कौमवाद से असरग्रस्त लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद, धार्मिक संकुचितताावाद, अमुक लोगों को घटाने वाला राष्ट्रवाद आदि उसी के परिणाम हैं। युद्ध का आधुनिक इतिहास हमें इस तरह कहता है कि राजनीतिक व सामाजिक समस्या के समाधान के साधन के रूप में संघर्षों का उपयोग किया जाता है। तब वह समस्याओं के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है, समस्याओं के कारणों पर नहीं। कारगिल व अफगानिस्तान में पाकिस्तान का निष्फल प्रयास और भारतीय उपमहाद्वीप में अणु शस्त्रों की व्यापकता में बढ़ोतरी इसी के परिणाम हैं। राजनीतिक समस्याएं हल करने के लिए जब फौज का उपयोग होता है, तब वह राजनीतिक अस्थिरता को ही जन्म देता है और जनहानि पैदा करता है। १९७९ से अफगानिस्तान में यही हुआ है। ईराक में भी यही होगा। एक बार फौजी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, फिर हमला, आक्रमण, घुसपैठ, बमबारी, निर्वासित और मानव अधिकारों का हनन का चक्र शुरू हो जाता है। अंत में साधन व साध्य के बीच उलझाव पैदा हो जाता है, और फौजी व्यवस्था को टिकाये रखने के लिए ही आर्थिक संसाधन काम में लाये जाते हैं।

इसके उपरांत, कई बार राष्ट्रभक्ति के नाम पर प्रचार करने के लिए संचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रभक्ति, प्रचार और युद्ध सहोदर व सहगामी हैं। १९९१ के खाड़ी युद्ध और अफगानिस्तान पर हुए अमरीकी आक्रमण के समय युद्ध का यह पहलू उपस्थित हुआ था। मीडिया के साथ सांठगांठ के परिणामस्वरूप स्थापित हितों के द्वारा शुरू हुए युद्ध को राष्ट्रीय हित के नाम पर उचित ठहराया गया। फौजी हेतुओं के साथ राष्ट्रीय हित की पहचान कराने के लिए संचार माध्यम काम करते हैं, और संघर्षों को मुनाफा कमाने के उद्देश्य से केबल नेटवर्क पर धूमधड़ाके के साथ बेचा जाता है। कई बार समाचार के स्वतंत्र स्रोतों पर काट-छांट की जाती है अथवा उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अफगान युद्ध के समय अमेरिका ने 'अल जजीरा' के साथ यही किया था कि जिससे अमेरिकी सरकार को अमेरिकी नागारिकों का संपूर्ण और शर्तहीन समर्थन मिलता रहे। ईराक पर आक्रमण के समय भी इसी प्रकार का आश्रय लिया गया था। लगभग ५०० पत्रकारों को ईराक में हाल के युद्ध के समय अमेरिकी फौज के साथ रखा गया था, ताकि युद्ध संबंध अमेरिकी दृष्टिकोण दुनिया को बराबर मिलता रहे।

टी.वी. के परदे पर ग्राहकों को युद्ध एक पवित्र वस्तु के रूप में बताई जाती है। अपने लाभ के लिए जो युद्ध करते हैं वे लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए संचार माध्यमों द्वारा प्रयत्न करते हैं। लोग अपने देश का ध्वज, फौज और भाइयों को देखकर यों समझते हैं कि युद्ध में वे भी शामिल हैं। बमबारी के लिए उड़ते विमानों के जितनी ही रफतार से बम का असर जिन पर होता है, उनको टी.वी. बताते नहीं। इसलिए लोग बम फेंकने वाले पायलट के साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं। पिछले २० वर्षों से चलने वाले युद्ध के परिणामस्वरूप अफगान बालकों की जो शारीरिक व मानसिक हालत हुई है उस पर यदि कैमरे की आँखे टिकी होतीं तो युद्ध का असर कुछ अलग ही पड़ा होता। टीवी और रेडियो पर अफगान लेखकों, कलाकारों व शिक्षकों के मंतव्य दर्शाए गये होते तब भी अफगानिस्तान के बारे में अलग ही प्रभाव पड़ा होता। इसी प्रकार प्रतिबंधों की वजह से दवाओं के प्रभाव के परिणामस्वरूप मरते बालकों को टी.वी. के परदे पर दिखाया गया होता तो ईराक पर अमेरिकी आक्रमण के विरुद्ध हाल की तुलना में ज्यादा विरोध हुआ होता। इस प्रकार, युद्ध की तरफ जन समूह की रुचि उत्पन्न करने में संचार माध्यम महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

सामान्यतया राज्य की नीति वर्चस्ववादी समूहों और वे जिस व्यवस्था पर अंकुश रखते हैं, उसमें से उत्पन्न होती है। अतः उनकी विचारधारा और सहायता से उसे अलग नहीं किया जा सकता। वैश्विक धार्मिक आतंकवाद के विरुद्ध अमेरिका का युद्ध उसकी

**शेष पृष्ठ 36 पर**

# लोकतंत्र में लोगों की सत्ता

यह लेख उन्नति में प्रोग्राम एसोसियेट के रूप में कार्यरत **सुश्री स्वाति सिन्हा** द्वारा लिखा गया है। यह लेख मई-२००३ के दौरान अहमदाबाद में एसोसियेशन फॉर डेम्रोक्रेटिक रिफोर्म्स द्वारा आयोजित चुनाव सुधार और सूचना अधिकार संबंधी प्रथम राष्ट्रीय कार्यशाला के निष्कर्षों पर आधारित है। इसमें मुख्य रूप से चुनाव सुधार की आवश्यकता, कानूनी संशोधन के द्वारा किये गए प्रयासों और उन्हें क्रियान्वित करने हेतु समुदाय आधारित संगठनों द्वारा किये गए प्रयासों की चर्चा की गई हैं।

**प्रस्तावना**

भारत का संविधान भारत को एक सार्वभौम राष्ट्र के रूप में प्रकट करता है, अर्थात् यह पूर्णतया स्वतंत्र है, किसी भी सत्ता का इस पर अंकुश नहीं। संविधान भारत में लोकतांत्रिक समाज हेतु व्यवस्था भी करता है। एक व्याख्या के अनुसार लोकतंत्र सरकार का ऐसा स्वरूप है कि जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित रहती है और मुक्त चुनाव व्यवस्था के अधीन जनता द्वारा या उसके चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा उसका उपयोग होता है। वह एक गणतांत्रिक राज्य भी है जिसमें सर्वोच्च सत्ता मताधिकार उपयोग करने वाले नागरिकों में निहित रहती है और उनके द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष विधि से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा उसका उपयोग होता है। प्रजातांत्रिक ढांचों में सरकार तभी तक सत्ता में रहती है, जब तक कि लोग वैसा चाहते हों। वह सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और राजनीतिक समानता का भरोसा देता है। इस लेख में यह बात स्पष्ट की गई है कि भारत में किस हद तक लोगों की सत्ता का उपयोग होता है।

सामान्यतया सरकार के तीन सुव्याख्यायित अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है। कार्यपालिका कानून पर अमल करती है और न्यायतंत्र वर्तमान कानून का क्रियान्वयन समुचित रूप से होता है या नहीं, यह तय करता है। भारत में कार्यपालिका निरंतर विधायिका के साथ सम्पर्क में रहती है। संसद लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और वह कार्यपालिका पर अंकुश रखती है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान हैं। औपचारिक रूप से सरकार का सम्पूर्ण कामकाज राष्ट्रपति के नाम पर होता है और सम्पूर्ण सत्ता उन्हीं के पास रहती है। वास्तव में निर्णय प्रधान मंत्री के नेतृत्व के अधीन मंत्रिमंडल लेता है, क्योंकि वे सीधे लोगों के द्वारा चुने होते हैं और लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत में न्यायतंत्र की एक संगठित व्यवस्था है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। फिर राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय हैं और उनके नीचे निचली अदालतें हैं। सैद्धांतिक रूप से कार्यपालिका न्यायतंत्र पर कोई प्रभाव नहीं रखती। परंतु वास्तव में कार्यपालिका और न्यायतंत्र विधायिका द्वारा निर्धारित किये गए तंत्र से बाहर नहीं जा सकते, और विधायिका तो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इस संदर्भ में देश का नेतृत्व करने का भार विधायिका पर है। विधायिका की प्रभावोत्पादकता विधायिका के सदस्यों पर अर्थात् निर्वाचित प्रतिनिधियों पर निर्भर करती है। अतः ऐसे प्रतिनिधि चुने जाने चाहिए, जो राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं को समझ सकें, जिनका अपना कोई अपराध का अतीत न हो और जो भ्रष्टाचार से सम्पत्ति इकठ्ठी करने के लिए सत्ता का दुरूपयोग न करें. यदि अयोग्य लोग विधायिका में प्रवेश कर जाएं तो जागरूक लोग सरकार को हंसकर उड़ा दें।

भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव करने में चुनाव व्यवस्था अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसमें सिर्फ चुनाव के आयोजन का ही समावेश नहीं होता वरन् उसमें कौन मत दे सकता है और कौन नहीं दे सकता, मतदाता सूचियां कब तैयार होनी चाहिए, सुधारी जानी चाहिए और किस तरह यह होना चाहिए, इत्यादि का भी समावेश होता है। राजनीतिक दलों का गठन, उनके कार्यों, उनकी आर्थिक व्यवस्था, कौन चुनाव लड़ सकता है, किस आधार पर विजेता तय होते हैं और चुनाव के बाद की प्रक्रियाओं आदि का समावेश भी उसमें होता है।

### मतदाताओं के उत्तरदायित्व

- मतदाता सूची में आपका नाम है या नहीं, यह पता लगाना।
- मतदान केन्द्र का नंबर, आपका क्रम और मतदान केन्द्र को पहले से जान लें। यदि आप न जानते हों तो मतदान के दिन अपने क्षेत्र के किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्त्ता से जान लो।
- आपको मतदान करने जाना ही चाहिये। यदि आप नहीं जायेंगे तो संभव है आपके बदले गैर कानूनी रूप से कोई दूसरा व्यक्ति मतदान कर दे। अतः आपके नाम पर दूसरा व्यक्ति मतदान करे तो उसकी मर्जी के उम्मीदवार को मत मिलेगा, तुम्हारी पसंद के उम्मीदवार को नहीं।
- यदि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता आपके अपने वाहन में ले जाने को आएं या आपको नगदी या वस्तु के रूप में घूंस दें तो उन्हें आप स्वीकार न करें।
- यदि आपका मत किसी दूसरे ने दे दिया हो, ऐसा आपको पता लग जाए तो आप अपनी पहचान दे दें। उसके लिए राशनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता - पहचानपत्र, पेन कार्ड आदि चलते हैं। तब आप मतपत्र पर निशान लगाकर मतदान अधिकारी को दे दें। यह टेंडर वोट है। जब चुनाव का परिणाम आता है तब इस मत को गिनती में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन बोगस मतदान के आधार पर चुनाव हेतु निवेदन करने में इसका सहारा लिया जा सकता है। कई संगठन ऐसी मांग कर रहे हैं कि किसी बूथ में हुए कुल मतदान के लगभग एक प्रतिशत यदि टेंडर वोट हों तो उस बूथ का मतदान रद्द किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने अभी इसके बारे में निर्णय नहीं किया है।
- अगर संगठन स्तर पर नियम विरुद्ध काम हुआ हो, बूथ कब्जा किया गया हो, लोगों को मतदान करने से जबरन रोका गया हो, किसी खास उम्मीदवार के लिए मतदान करने हेतु चुनाव अधिकारियों ने प्रोत्साहन दिया हो तो आप चुनाव अधिकारी को, सहायक चुनाव अधिकारी को, चुनाव निरीक्षकों को या चल अधिकारियों को उसकी जानकारी दें। यदि पर्याप्त प्रमाण हो तो चुनाव आयोग फिर से मतदान कराता है।

अभी ऐसा जानने को मिला है कि चुनाव प्रक्रिया में बहुत गंभीर कुरीतियां होने लगी है। सज़ायाक्ता अपराधी विधानसभा के चुनावों में भाग लेते हैं। धन और बल दोनों चुनाव प्रक्रिया को विकृत करते हैं। वे दोनों चुनावी स्पर्धा को गंदा करते हैं और चुनाव स्वतंत्र और न्यायी नहीं रह पाते। राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग ने ऐसा बताया है कि मनी, मसल और माफिया (तीन एम.) की ताकत तथा अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, कौमवाद और जातिवाद (चार सी) भारतीय चुनावी प्रथा को विकृत करते हैं।

जनता के प्रतिनिधि बनने के लिए जो चुनाव लड़ते हैं, उनको चुनाव लड़ने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में धन की जरूरत पड़ती है। अतः उम्मीदवारों को चुनाव में निवेश के लिए माफियाओं की मदद लेनी पड़ती है। चुने हुए प्रतिनिधियों से बाद में ये माफिया अपने पक्षपात की इच्छा रखते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि अपनी सत्ता का उपयोग करके अपराधियों या माफियाओं को पक्ष लेते हैं जिससे शासन में भ्रष्टाचार व अपराध फैलता है। चुने हुए उम्मीदवारों को चुनाव का खर्च प्राप्त करने तथा फिर से चुने जाने के लिए माफियाओं का पक्ष लेने की जरूरत पड़ती है। यह एक प्रकार का दुष्चक्र है, जिसे तोड़ा जाना जरूरी है।

कानून में विद्यमान छिद्र और कानून की तोड़मरोड़ चुनावी प्रथा के वर्तमान स्वरूप के लिए जिम्मेदार हैं। अतः चुनावी प्रथा की विकृतियां दूर करने के लिए संबंधित कानूनों में सुधार किये जाने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा अवरोध संसद खुद है जो चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी है और जिसके पास कानून बनाने और सुधारने की सत्ता है। ये चुने हुए प्रतिनिधि वर्तमान व्यवस्था से सुपरिचित हैं और यह उनको रास आ चुकी है और वे कानून बदलने के लिए तैयार नहीं हैं।

## चुनावी प्रथा सुधारने के प्रयास और अवरोध

चुनावी प्रथा सुधारने के लिए और लोग सच्चे अर्थ में अपनी सत्ता का उपयोग कर सकें, इसके लिए चुनावी प्रथा को सुधारने के प्रयास हुये हैं परंतु इन सुधारों को अमल में लाने के मार्ग में कई अवरोध हैं, फिर भी लोकतंत्र में जनता की सत्ता सुरक्षित रखने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

## जन प्रतिनिधित्व कानून - १९५१

चुनाव की वर्तमान प्रक्रिया जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा-१९५१ के मुताबिक तय है। इस कानून के नियम ७७(१) के स्पष्टीकरण (१) में चुनाव के खर्च के बारे में व्यवस्था है। उसमें चुनावी प्रथा में गैर हिसाबी राशि दाखिल न हो, ऐसी व्यवस्था है। अतः राजनीतिक दलों, मित्रों और उम्मीदवार के मददगारों द्वारा होने वाले खर्च का समावेश उम्मीदवार के चुनावी खर्च में नहीं होता। इसमें आज तक सुधार नहीं किया गया क्योंकि चुनाव जीतने हेतु बड़ी मात्रा में खर्च करने का अवसर उम्मीदवारों को प्रदान किया जाता है। अपराधियों के द्वारा यह धन प्रदान किया जाता है ताकि निर्वाचित उम्मीदवार उनकी तरफदारी करें, वे यही चाहते हैं।

नियम-७७ में ऐसी व्यवस्था है कि उम्मीदवार चुनाव संबंधी खर्च का सम्पूर्ण हिसाब रखे। उसमें उनके द्वारा या उनके चुनावी एजेंट द्वारा अधिकृत तमाम खर्च का समावेश हो। परंतु राजनीतिज्ञ ऐसा कहते हैं कि अन्यों के द्वारा होने वाला खर्च उनका न माना जाए। तब संसद ने यह आदेश पारित किया और इस तरह सर्वोच्च अदालत का निर्णय नितांत प्रभावहीन बन गया।

## विधि आयोग का प्रतिवेदन

भारत सरकार द्वारा विधि आयोग की नियुक्ति की गई थी। उसके १५ वें प्रतिवेदन में चुनावी प्रथा संबंधी कानून की समीक्षा की गई है। उसका उद्देश्य यह था कि चुनावी प्रथा अधिक न्याय संगत, पारदर्शी और समतापूर्ण बने, साथ ही भारतीय चुनाव प्रथा में जो विकृतियां और दोष घुस गये हैं, वे कम हों। आयोग ने अनेक सिफारिशें की हैं जिन्हें तीन भागों में बांटा जा सकता है।

पहली तो राजनीतिक दलों के काम के बारे में है। राजनीतिक दल संसदीय लोकतंत्र का अंतरंग भाग हैं अतः उनकी कार्यवाही में आंतरिक लोकतंत्र, वित्तीय पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लागू करने की जरूरत पर उनमें बल दिया गया है और उसके लिए कानूनी व्यवस्थाएं करने का सुझाव दिया है।

दूसरे प्रकार की सिफारिशें राजनीतिक प्रक्रिया के परिणाम के रूप में प्रतिनिधित्व बनें, उसे लेकर हैं। अनेक राजनीतिक दल हैं, अतः स्वीकृत मत का ३० प्रतिशत या उससे भी कम मत जिस उम्मीदवार को मिलते हैं, वह बहुधा जीत जाता है। बाकी ७० मत बहुमत में हैं, पर वे बेकार चल जाते हैं और निर्वाचित संस्था में उनका तो प्रतिनिधित्व ही नहीं होता। विधि आयोग ने ऐसी सिफारिश की है कि संसद में २५ प्रतिशत सीटें ऐसी हों कि जो राजनीतिक दलों की मिले मत - प्रतिशत के आधार पर भरी जाएं और उनके लिए सूची प्रथा शुरू की जाए।

तीसरे प्रकार की सिफारिश राजनीतिक शासन को स्थिरता देने के बारे में है। उसमें संसद में अविश्वास प्रस्ताव और पक्ष-परिवर्तन विरोधी धारा संबंधी सिफारिशें की गई हैं।

यह प्रतिवेदन कानून, न्याय व कंपनी संबंधी मंत्री को सौंपा गया था। अब उसे अमल में लाने का काम सरकार को करना है। इन सिफारिशों को अमल में लाने या न लाने का फैसला करने की अंतिम सत्ता राजनीतिज्ञों के पास है। हाल के राजनीतिक वातावरण को देखते हुए तो इन सिफारिशों के क्रियान्वित होने की संभावनाएं कम हैं। प्रभावशाली जनमत खड़ा होने पर ही राजनीतिज्ञों पर दबाव डाला जाना संभव है।

## सूचना के अधिकार का मसौदा

देश के प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार मिल जाने से सरकार गरीब नहीं हो जाती वरन् नागरिक शक्तिशाली बनते हैं। समाज के शासन में भागीदार बनने के लिए हरेक नागरिक के पास सूचना का अधिकार होना जरूरी है। नागरिकों को जब अधिक सूचना मिलती है तो सरकार समुदाय के प्रति अधिक प्रभावशाली बनती है। सूचनाओं से शासन में खुलापन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन मिलता है। सूचना सुशासन का एक महत्वपूर्ण भाग है और उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर सूचना का अधिकार का मसौदा तैयार किया गया। लेकिन इस समय सरकार की तरफ से नागरिकों के प्रति सूचना का प्रवाह घट गया है।

दिसंबर २००२ के दौरान सूचना अधिकार का मसौदा पारित किया गया, यह एक उल्लेखनीय घटना है। तमिलनाडु, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आसाम और दिल्ली की विधानसभाओं ने भी ऐसा कानून पारित कर दिया है।

### स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चुनाव प्रक्रिया में आये बड़े परिवर्तन

- मतदाता की योग्यता आयु २१ वर्ष घटाकर १८ की गई।
- राजनीतिक दलों का अनिवार्यतः पंजीकरण।
- बूथ कब्जे किये जाने की दशा में चुनाव आयोग का सम्पूर्ण मतदान क्षेत्र में चुनाव रद्द करने का अधिकार दिया गया।
- मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवा-शर्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर का बनाया गया और इस प्रकार उसके पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाया गया।
- चुनाव व्यय की सीमा बढ़ाई गई।
- इलेक्ट्रानिक मतदान यंत्रों का व्यापक उपयोग, मतदाताओं को पहचान पत्र तथा बोगस मतदान, बूथ कब्जे करने पर कड़ी देखरेख और मतों की गणना के समय में कटौती।

## सर्वोच्च अदालत का फैसला

सर्वोच्च अदालत के १३.३.२००३ के फैसले के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को उम्मीदवारी-पत्र भरते समय एक शपथ-पत्र में निम्न विवरण घोषित करना पड़ता है:

- भूतकाल में हुई सजायें।
- ऐसे तमाम मामले, जिनमें आरोप लगाये गए हों।
- उम्मीदवार, पति या पत्नी व आश्रित बालकों की सम्पत्ति।
- जिम्मेदारियां। उसमें सरकार व सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की जिम्मेदारियों का समावेश होता है।
- शैक्षिक योग्यता।

इस फैसले में यह बताया गया है कि मतदाताओं को सूचना का अधिकार है ताकि वे विविध उम्मीदवारों में से जानकारी-परक चयन कर सकें। मतदाताओं को विशेष रूप से अपराधों के विगत को लेकर अंधेरे में रखा जाता है तो वह मुक्त और स्वतंत्र चुनाव के संबंध में न्यायसंगत बात नहीं है।

चुनाव अधिकारी ने इसके लिए आदेश जारी किया है कि लोगों को अनुरोध करने पर जानकारी उपलब्ध हो। नगर पालिकाओं तथा पंचायतों के चुनाव में इस आदेश का पालन होगा। चुनाव आयोग के इस आदेश से कुछ सीमा तक पारदर्शिता उत्पन्न होगी। फिर भी, यह आदेश सूचना प्राप्ति हेतु नागरिकों को स्वतंत्रता देता है। नागरिक समूह जब मजबूत बनें, अपने अधिकार मांगें तथा सूचनाओं की मांग करें, यह जरूरी है।

यह आदेश सूचना प्रकट करने के बारे में है, उम्मीदवारों की अयोग्यता के बारे में नहीं। यह विधायिका को शैक्षणिक योग्यता तय करने का कानून बनाने के लिए नहीं कहता। साथ ही, यह अपराधी अतीत वाला व्यक्ति अयोग्य होगा, ऐसा भी नहीं कहता। इसके अलावा, किस तरह सम्पत्ति इकट्ठी की है, इसे लेकर भी सवाल खड़ा नहीं करता। देश का शासन करने के लिए स्वच्छ और कम खराब व्यक्ति आए, इसके बारे में सार्वजनिक जांच हो, यह जरूरी है। मतदान करना एक अभिव्यक्ति है। मतदान करके व्यक्ति उम्मीदवार के प्रति अपनी पसंदगी व्यक्त करता है। मतदाता जिस अभिव्यक्ति का अधिकार रखता है उसी में से इस प्रकार सूचना का अधिकार निकलता है। सम्पत्ति और जिम्मेदारियां प्रकट हों तो पैसा इकट्ठा करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग होना कम हो। यह दोष हमारे राजनीतिक परिवेश में बहुत व्यापक बन गया है।

## सभ्य समाज के समूहों के प्रयास

पिछले कई वर्षों के दौरान चुनाव सुधार हेतु छिटपुट प्रयास हुए हैं। सार्वजनिक हित के अनुरोधों, सूचना के अधिकार संबंधी कानून और संवैधानिक व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन आदि का इसमें समावेश होता है। ये प्रयास सफल हों, इसके लिए बहुत लंबा समय लगा है तथा सभा समाज के संगठनों ने इसके लिए बहुत प्रयत्न किये हैं। राजस्थान में 'मजदूर-किसान शक्ति संगठन', दिल्ली में 'परिवर्तन', आध्रप्रदेश में 'लोकसत्ता', महाराष्ट्र में अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, मुम्बई में 'अग्नि', बेंगलूर में पी.ए.सी. दिल्ली में 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' तथा 'कोमन वेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशियेटिव्ज' आदि ने ये प्रयत्न किये हैं। सुशासन के लिए ये प्रयत्न सही दिशा में है, पर यदि व्यापक स्तर पर ये प्रयास न हों तो ऐसे छिटपट प्रयासों से काम नहीं सधेगा। जिन चार संगठनों ने जो प्रयास किये हैं, उनका विवरण यहां दिया गया है।

## मजदूर किसान शक्ति संगठन

इस संगठन ने सूचना अधिकार हेतु अभियान चलाया तथा राजस्थान में गांव और तहसील स्तर पर सार्वजनिक कार्यों में होने वाले भ्रष्टाचार को सामने लाने के लिए 'जन सुनवाई' का विचार प्रसारित किया। संगठन मजदूरों और किसानों के साथ काम करता है। वह सहभागी लोकतंत्र की प्रक्रिया को मजबूत करता है ताकि गौरव व न्याय के साथ अपना जीवन जी सके। शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाने संबंधी अंतर्दृष्टि उसने गरीब लोगों को दी है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पैदा करने में सूचना प्राप्ति बुनियादी चीज है, यह उसने साबित कर दिखाया है। विकासपरक कोष का लाभ लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता था, क्योंकि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार और झांसापट्टी होती थी, यह भी उसने बताया था।

आरंभ में इस संगठन ने लोगों की पंचायतों के द्वारा हुए खर्चे के दस्तावेजों की नकलें मांगने हेतु प्रेरित किया। जबकि पंचायत से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए नकलें मांगने हेतु लोगों के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं था, अतः उनको अपने प्रति सहानुभूति रखने वाले अधिकारियों पर आधारित रहना पड़ता था। एक बार ये दस्तावेज मिल जायें तो फिर संबंधित पंचायत के लोगों की बारीकी से जांच-पड़ताल की जाए और तब जन सुनवाई रखी जाए। जन सुनवाई में पंचायत के द्वारा किए गए काम की जांच की जाए। इससे लोगों को पारदर्शिता व उत्तरदायित्व तय करने, अपना अधिकार स्थापित करने का अवसर मिला। लोगों का मंच स्थापित करने का वह एक साधन बन गया। वहां सभी हितैषियों को निमंत्रित किया जाता था और सूचनाओं की छानबीन की जाती थी। बार-बार लोक सुनवाई आयोजित की जाती और स्थानीय स्तर पर स्वशासन हेतु लोगों का अधिकार स्थापित किया जाता।

अंत में जुलाई-१९९७ में राजस्थान सरकार ने पंचायती राज के नियमों में संशोधन किया और मई-२००२ में सूचना का अधिकार का कानून बनाया गया। सामान्य लोग इन कानून का उपयोग कर सकें, इसके लिए सूचना के अधिकार संबंधी अभियान चालू ही रहा है।

## परिवर्तन

दिल्ली की इस संस्था ने राजस्थान के मजदूर-किसान शक्ति संगठन के साथ सहयोग साधा तथा उसने दिल्ली में सड़कों, पानी आपूर्ति, विद्युत आदि जैसी ढांचागत सुविधाओं के खराब काम के विषय में जन-सुनवाइयां आयोजित कीं। लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा। लोगों को इस बात का पता लगा कि पैसा कहां जाता है और कैसे जाता है, यह जानने का उनका अधिकार है। लोगों को ऐसा लगा कि पैसे अपने हैं और हमें हिसाब जानना ही चाहिए। इससे लोग मानसिक रूप से मजबूत बने। अपना पैसा, अपना हिसाब अभियान से लोगों को सूचना का अधिकार होने के बारे में जरूरत समझ में आई।

## लोकसत्ता

१९९८ में इस संगठन ने चुनाव पर देखरेख रखने का काम किया और उसने लोकसभा चुनावों के दौरान ४५ उम्मीदवारों के अपराध का अतीत प्रकट किया। उनके प्रयास राजनीति के अपराधीकरण से आगे बढ़े और सुशासन के लिए उन्होंने प्रयास शुरू किये। उनके अभियान का नाम थाः- लोकसत्ता, आपकी सत्ता। आंध्र प्रदेश की समस्याओं के विषय में उनस लोक में जागृति आई। लोकसत्ता की यह समझ में आया है कि चुनावी प्रथा की कुरीतियों से मुक्त और न्यायसंगत चुनाव पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। परिणामतः सुशासन के सामने अवरोध उपस्थित होता है। इसमें चुनाव की कुरीतियां, ऊंचा खर्च, सत्ता का अपराधीकरण, पारदर्शिता का अभाव, अपर्याप्त उत्तरदायित्व, प्रभावी तंत्र का अभाव आदि अवरोध हैं। अपराधी वृत्ति की जांच-पड़ताल पर राजनीतिक नियंत्रण है और भ्रष्टाचार का एक कारण यह भी है।

लोकसत्ता ने शासन सुधार हेतु चुनाव सुधार को मुख्य मुद्दा बनाया है। ये लोग उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा घोषणाओं के सख्त पद्धति की हिमायत करते हैं और अनिवार्य आडिटिंग चाहते हैं। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधि उत्पन्न हों तो ईमानदार चुनाव सुधार कहा जाए। निर्णय प्रक्रिया की सांकल की कड़ियों का घटाने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण हो तथा स्थानीय सरकारों को सत्ता मिले, यह जरूरी है। इससे लोगों को यह पता लगेगा कि सार्वजनिक पैसे का क्या हो रहा है। साथ ही, कुशासन और भ्रष्टाचार के

परिणामों का भी उन्हें पता लगेगा। अभी मत बेचने की रीति प्रचलन में है, जिसका कारण यह है कि मतदाताओं को यह लगता है कि चुनाव परिणाम से वास्तव में कहीं कुछ नहीं बदलता। अतः वे संक्षिप्त अवधि का आर्थिक लाभ ले लेना चाहते हैं। विकेन्द्रित सरकार में मतदाता अपना लंबी अवधि का हित देखते हैं और ऐसी संभावनाएं कम रहती हैं कि वे पैसों के लिए मतदान करे।

चुनाव सुधार हेतु 'लोकसत्ता' ने अनेक प्रवृत्तियां हाथ में ली हैं। लोक देख-रेख, स्वराज आंदोलन, चुनाव देख-रेख आदि। चुनाव देख-रेख का काम बहुत परिचित है। वे लोक जागृति बढ़ाने, मुक्त तथा न्याय संगत चुनाव हेतु लोक भागीदारी को प्रोत्साहन देने, ज्यादा अच्छे उम्मीदवारों के निर्वाचन को प्रोत्साहन देने तथा शासन सुधार या चुनाव सुधार पर ध्यान केन्द्रित करने जैसी अनेक प्रवृत्तियां हाथ में लेते हैं:

उनकी कुछेक मुख्य प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं:

- चुनाव पर देख-रेख के भार रूप में मैनुअल प्रकाशित करना, जो नागरिकों के लिए मार्गदर्शक बने।
- मतदाता सूचियों की छानबीन और मतदाताओं के पंजीकरण हेतु नागरिकों को शामिल करना।
- न्यायविदों, पत्रकारों और निष्णातों की बनी हुई समिति उम्मीदवारों के अपराधों के अतीत की जांच पड़ताल करेगी।
- शासन-सुधार तथा चुनाव-सुधार के लिए चुनाव के समय लोकमत खड़ा करना।
- अपने उम्मीदवार को जानें: सभी उम्मीदवारों को प्रश्नावली भेजना। उसमें राजनीतिक क्षेत्र के कार्यों, अपराधों और वित्तीय स्तरों की जानकारी देना। मतदाता सूचनाप्रद चयन करें इसके लिए उसका व्यापक प्रकाशन करना।
- सार्वजनिक मंच: १३० विधानसभा मतदान क्षेत्रों में सार्वजनिक चर्चा आयोजित करना। अखबारों और टीवी में उसे व्यापक प्रसिद्धि मिली।
- मतदाता अभियान: नागरिकों को बाहर निकलने तथा मत देने हेतु प्रोत्साहन। कोई उम्मीदवार पसंद न हो तो मत खराब करने हेतु प्रोत्साहन। जिसके कि दूसरा कोई अपना मत न दे सके।
- लगभग १०,००० प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को मतदान पर नजर रखने और नियम-विरुद्ध होने वाले कार्यों को रोकने के लिए शामिल किये गए।
- सीधा टीवी प्रसारण: राज्यस्तरीय चर्चा आयोजित की गई, जिसमें दो अग्रणी दलों के नेताओं ने भाग लिया और टीवी पर उसका सीधा प्रसारण हुआ। उससे चुनाव प्रचार का स्वरूप बदल गया।

ऐसा कहा गया है कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण का कोई विकल्प नहीं है। सूचना का अधिकार, उत्तरदायित्व और भ्रष्ट लोगों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी तंत्र - यही लोकतंत्र को मजबूत करने का तरीका है। ये सभी अनिवार्य बातें हैं, पर पर्याप्त नहीं। आर्थिक निर्णय प्रक्रिया में राजनीतिज्ञों और क्रियान्वयन कर्ताओं की सहभागिता घटाना पर्याप्त नही। यदि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने वाली परिस्थिति प्रचलित हो तो भ्रष्टाचार चालू रहेगा ही, मात्र उसका स्वरूप बदल सकता है। अनेक मोर्चों से हमला किये जाने से ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है।

## एसोसियेशन और डेमोक्रेटिक रिफोर्म्स

गुजरात में इस संस्था की स्थापना १९९९ में लोकतंत्र तथा शासन को सुधारने के लिए की गई। इसके प्रयास निम्न हैं:

- इसने दिसंबर १९९९ में कामिनी जायसवाल नामक वकील के माध्यम से दिल्ली के उच्चतम न्यायालय में एक अर्जी दी थी जिसमें उसने उम्मीदवारों की आर्थिक स्थिति, अपराध वृत्ति और शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी सार्वजनिक हो, ऐसी मांग की थी। इस सार्वजनिक हित की अर्जी को दिल्ली के उच्चतम न्यायालय ने स्वीकृत किया और सर्वोच्च अदालत ने उसका उल्लेखनीय फैसला सुनाया। उसमें उसने संविधान की धारा-१९ के अनुसार यह कहा कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वह सूचना के अधिकार के बिना संभव नहीं। दिनांक २४.८.२००२ को सरकार ने एक अध्यादेश जाहिर किया और इस फैसले को आंशिक रूप से रद्द कर दिया। उसमें अपराध-वृत्ति को सार्वजनिक करना उचित माना गया, पर शैक्षणिक योग्यता और वित्तीय सम्पत्ति की सार्वजनिकता को उचित नहीं माना गया। दिसंबर २००२ में

इस अध्यादेश को संसद में पारित किया। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने उसे रद्द किया तथा कहा कि यह कानून असंवैधानिक है, क्योंकि प्रत्याशी के बारे में सूचनाएं जानने के मतदाता के अधिकार को ही यह नियंत्रित करता है।

- गुजरात में मतदाता सूचियों की सत्यता की जांच पड़ताल हेतु, इसने एक नमूना सर्वेक्षण हाथ में लिया। दिसंबर-२००२ में गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए, उससे पहले यह सर्वेक्षण हाथ में लिया गया था। पांच मतदान केन्द्रों के मतदाताओं की सूचियों की छानबीन इसके स्वयंसेवकों ने घर-घर घूमकर की थी। उनमें से तीन शहरी मतदान केन्द्र थे और दो ग्रामीण थे। सर्वेक्षण में बताया गया था कि मतदाता सूचियों में लगभग ३२ प्रतिशत गलतियां हैं। जानबझ कर की गई हों अथवा दृष्टिदोष से हुई हों, ऐसी दोनों प्रकार की गलतियां उसमें बताई गई हैं।
- उसने चुनाव पर देख-रेख रखने का काम किया। विधानसभा के चुनाव के समय आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की सूची उसने जाहिर की। उसके कार्यकर्त्ताओं ने उम्मीदवारों के अतीत के गुनाहों के विवरण अनेक स्रोतों से प्राप्त किये थे और शपथ पत्रों के साथ उनकी छानबीन की थी। इस सूचना की छानबीन के लिए गुजरात के अग्रणी नागरिकों की एक समिति गठित की गई थी। अपराधी अतीत वाले उम्मीदवारों की सूचना के बाद प्रचार-प्रसार माध्यमों हेतु जारी की गई थी। संस्था की वेबसाइट पर भी यह सूची रखी गई थी।

## उपसंहार

सभ्य समाज के समूहों द्वारा जो प्रयास हुए हैं, वे प्रशंसनीय हैं। परंतु ये छिटपुट प्रयास पर्याप्त नहीं। सही अर्थ में परिवर्तन लाने हेतु लोगों को तथा नागरिक समाज के समूहों को जागृत करना जरूरी है। तभी भारत में सच्चा प्रजातंत्र और सच्चा सुशासन आ सकेगा। वैसे, यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और विविध स्वैच्छिक संस्थाओं ने इसके लिए कार्यलक्ष्यी योजना गठित की है। उसमें नागरिकों की चुनाव सतर्कता समितियां बनाने, उम्मीदवारों के संबंध में सूचनाएं इकट्ठी करने और वितरित करने, जागृति हेतु अभियान चलाने, भ्रष्टाचार व लोगों के जीवन के बीच संबंध स्थापित करने व मतदाता सूची की छानबीन करने आदि कार्यों का समावेश होता है। ये तमाम प्रवृत्तियां अंत में तो सुशासन लाने का उद्देश्य सिद्ध करने के लिए हैं।

## अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें:

(१) मजदूर किसान शक्ति संगठन, देवडूंगरी, पो. बारार, तहसील भीम, राजसमंद-३१३ ३४१. राजस्थान, फोनः ०२९५१-२५०१८० ईमेलः mkssrajasthan@yahoo.com

(२) परिवर्तन, ई-१०९, पांडव नगर, दिल्ली-११० ०९२. फोनः ०११-५५२५४०७७, ईमेलः parivartan@parivartan.com

(३) लोकसत्ता, ४०१-४०८, निर्मल टावर्स, द्वारकापुरी कालोनी, पुंजागुट्टा, हैदराबाद-५०० ०८२, फोनः ०४०-२३३५०७७८/ २३३५०७९०, ईमेलः loksatta@satyam.net.in

(४) एसोसियेशन फोर डेमोक्रेटिक रिफोर्म्स, विंग नं. १२, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वस्त्रापुर, अहमदाबाद-३८० ०१५. फोनः ०७९-६३२४९१३, ईमेलः adr@icenet.net

**पृष्ठ 7 का शेष भाग**

के हल हेतु संभावित शक्ति मौजूद है। परंतु उनके पास संसाधनों का अभाव है, उनकी कोई विश्वसनीयता अभी तक बनी नहीं है। इसके अतिरिक्त, ग्राम विकास के काम करने के लिए उनके पास प्रशासनिक अधिकार ही नहीं हैं। मोटे रूप में वे सरकारी कार्यक्रमों पर आधार रखने वाली संस्थाएं हैं। इन समस्याओं का मुख्य कारण यह है कि समुदाय और सरकारी व्यवस्था में राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव है, और उनकी लोक-स्वीकृति खड़ी हुई नहीं।

## उपसंहार

विपत्ति का सामना करने की तैयारी के संबंध में अभी जो व्यवस्था तय हुई हैं उसमें मोटे रूप से ऊपर से नीचे का अभिगम देखने में आता है। सरकार केंद्रित रूप से विपत्ति का सामना करने हेतु आयोजन करती है और लोगों को फिर उस पर अमल करना होता है। वास्तव में ऐसा आयोजन लोगों के द्वारा हो, स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं उसमें सक्रिय भूमिका अदा करे और लोग ही उसका क्रियान्वयन करें, तो लोग विपत्ति का मुकाबला अधिक प्रभावोत्पादक रूप से कर सकेंगे।

# असंगठित क्षेत्र और सामाजिक सुरक्षा के बारे में मज़दूर आयोग कि सिफारिशें

केन्द्र सरकार ने २००२ में एक राष्ट्रीय मजदूर आयोग स्थापित किया था। उस मजदूर आयोग ने हाल ही में अपनी सिफारिशें केन्द्र सरकार को सौंपी हैं। असंगठित क्षेत्र के लिए और सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में उसने जो महत्त्वपूर्ण सिफारिशें अपने प्रतिवेदन में प्रस्तुत की हैं उनका सारांश यहां **श्री हेमन्तकुमार शाह** द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

## प्रस्तावना

भारत में औद्योगिक मजदूरों की स्थिति सुधारने की दृष्टि से केन्द्र सरकार अलग-अलग समय में मजदूर आयोग की स्थापना करती रही है। स्वतंत्र भारत में १९६७ और १९९१ में दो मजदूर आयोग स्थापित किये गए थे। २००२ में भारत सरकार ने भूतपूर्व श्रम मंत्री और जाने-माने सर्वोदय नेता श्री रवीन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में फिर से एक मजदूर आयोग नियुक्त किया था। इस मजदूर आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को सुपुर्द किया है। इस आयोग की नियुक्ति करने हेतु भारत सरकार ने जो प्रस्ताव पारित किया था, उसमें इस आयोग के दो मुख्य कार्य गिनाये थेः (१) संगठित क्षेत्र के मजदूरों संबंधी वर्तमान कानूनों में सुग्रथित परिवर्तन सुझाना। (२) असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ऐसे सर्वग्राही कानून सुझाना जो उनकी न्यूनतम सुरक्षा का विश्वास दिलाये ।

इस मजदूर आयोग से पहले दो आयोग भी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों हेतु पड़ताल की थी और सिफारिशें की थीं। परंतु पहली बार भारत सरकार ने इस तीसरे मजदूर आयोग से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण और सुरक्षा हेतु एक सर्वग्राही कानून सुझाने हेतु कहा था। मजदूर आयोग ने तदनुसार अपने प्रतिवेदन में एक मसौदा सुझाया है और उसके अतिरिक्त कई सिफारिशें भी की हैं।

१९९१ में भारत में नयी आर्थिक नीति का शुभारंभ हुआ। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण उसके घटक हैं। इस नये माहौल में मजदूरों के बारे में और मजदूर मंडलों के बारे में चिंतन बदला है। मजदूर मंडलों की भूमिका के संबंध में भी अब नितांत नये ही ढंग से विचार किया जा रहा है। बाजारोन्मुखी अर्थतंत्र खड़ा करने के लिए भारत में जो प्रयास हो रहे हैं उनमें जब यों कहा जाता है कि मजदूरों का कल्याण बाजार पर छोड़ देना चाहिए तो मजदूर आयोग ने मजदूरों की आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा के बारे में जो सिफारिशें की हैं उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

मजदूर आयोग ने अपने प्रतिवेदन में असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में चार बातों पर बल दिया हैः न्यूनतम वेतन, काम की सुरक्षा, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा। आयोग ने असंगठित क्षेत्र में होने वाले कामों को समूहों में विभक्त किया है और उनकी कामचलाऊ, लेकिन एक सर्वग्राही सूची दी है। उसका उपयोग वेतन तय करने के लिये किया जा सकता है, ऐसा उसने बताया है। यद्यपि सामाजिक सुरक्षा के उपायों तथा उससे संबंधित सेस उगाहने हेतु अलग समूह आधारित विचार-विमर्श होना चाहिए, ऐसा आयोग ने कहा है। इस संदर्भ में मजदूर आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उनका सारांश यहां दिया गया है।

१९९१ में जिस आयोग का गठन किया गया था, वह तो मात्र ग्राम मजदूरों के लिए था। अतः सर्वग्राही मजदूर आयोग की स्थापना देश में लगभग साढ़े तीन दशक के बाद हुई। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के नये माहौल में भी मजदूरों के कल्याण हेतु राज्य की भूमिका भारत में क्या है, यह स्पष्ट हो जाता है।

## असंगठित क्षेत्र

१. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मजदूर नहीं गिना जाता। अतः इन मजदूरों को सत्तावार सर्वेक्षणों में मजदूरों के रूप

में स्थान मिलना चाहिए।

२. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले प्रत्येक मजदूर को सत्तावार पहचान पत्र मिलना चाहिए। ऐसा पहचान-पत्र उनको कानूनी पहचान और मान्यता प्रदान करेगा।

३. काम के अधिकार को सामाजिक सुरक्षा के अधिकार के साथ ही साथ देखा जाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा में स्वास्थ्य की देखभाल, बालक की देखभाल, आवास तथा वृद्धावस्था में सहायता का समावेश हो जाता है। स्वास्थ्य की देखभाल में मातृत्व तथा चोट के समय के उपचार का भी समावेश होना चाहिए।

४. असंगठित मजदूरों संबंधी कानून में नीति-विषयक ऐसा तंत्र होना चाहिए ताकि नौकरियां खुलें, उनकी सुरक्षा हो और वे मिलें। इसके अलावा गरीबी के कारण और संगठन के अभाव में शोषण होना रुके और उनके सामने संरक्षण मिले, यथा समय वेतन मिले, न्यूनतम वेतन मिले और उन्हें अंधाधुंध नौकरी से निष्कासित न किया जाए।

५. कल्याणकारी व्यवस्था में काम के समय लगी चोट के लिए मुआवजा, प्रोविडेंट फंड, डाक्टरी इलाज, पेंशन का लाभ, मातृत्व लाभ और बाल-संभाल का समावेश होना चाहिए।

६. असंगठित क्षेत्र संबंधी कानून ऐसा होना चाहिए कि उसका आसानी से क्रियान्वयन हो सके और क्रियान्वयन पर आसानी से नजर रखी जा सके। दावों और शिकायतों का समाधान तीव्र गति से होना चाहिए और उसका स्थान मजदूर के कार्यस्थल से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए।

७. सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि मजदूर उसके खर्च में अपना योगदान दे सके। उसमें उसकी जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उसके कार्यस्थल के पास उसकी सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा, वह उबा देने वाली, खर्चीली, केंद्रित व्यवस्था वाली और प्रशासनिक उलझनों वाली नहीं होनी चाहिए।

८. सामाजिक सुरक्षा के उपायों में बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी और गैर-वाजिब श्रम संबंधों व व्यवहारों को दूर करने का समावेश होना चाहिए।

९. असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों का वर्गीकरण निरंतर किया जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि नये वर्ग बढ़ते रहें और पुराने उनसे दूर होते रहें।

१०. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का एक बोर्ड गठित होना चाहिए, और उसमें पंचायत तक की संस्थाओं का समावेश किया जाना चाहिए।

११. जो मालिक पांच मजदूरों से ज्यादा मजदूरों को काम पर रखते हों उन्हें यह देखना चाहिए कि मजदूरों का पंजीकरण उपर्युक्त बोर्ड में हो और उनको बोर्ड के द्वारा पहचान पत्र दिया जाए। जिन इकाइयों में पांच से कम मजदूर हों, वहां भी मालिकों को उनका पंजीकरण कराने और पहचान पत्र दिलाने में मदद देनी चाहिए।

## सामाजिक सुरक्षा

१. प्राथमिक अथवा बुनियादी सुरक्षा प्रदान करने का काम राज्य करे और मजदूरों को आंशिक या पूर्ण हिस्से वाली योजनाओं हेतु अवसर प्रदान करे। इसका अर्थ यह है कि मजदूरों को कुछ न्यूनतम सुरक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी है और अधिक ऊंची सुरक्षा देने का काम किसी न किसी व्यक्ति पर छोड़ा जाता है।

२. 'वर्कमैन' की बजाय 'एम्प्लोई' शब्द का प्रयोग करना ताकि मजदूर मुआवजा कानून सभी प्रकार के 'कर्मचारी' (एम्प्लोई) पर लागू हो। इस कानून की अनुसूची-२ में जो भी रोजगार दर्शाया गया है, उसमें काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति एम्प्लोई गिना जाए।

३. मजदूर मुआवजा कानून इस समय मालिक के उत्तरदायित्व की योजना है, इसके बजाय उसे सामाजिक बीमा की योजना का कानून बनाया जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इसकी व्यवस्था अधिक से अधिक कर्मचारियों पर लागू हों।

४. संगठित क्षेत्र में मातृत्व लाभ की जो व्यवस्थाएं हैं वे सभी महिला कर्मचारियों पर लागू की जानी चाहिए।

५. असंगठित क्षेत्र की महिलाओं हेतु मातृत्व लाभ की योजना के लिए अलग कानून बनाने की जरूरत है।

६. कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) योजना के हेतु और उसके कार्यक्षेत्र की समीक्षा करना।

**शेष पृष्ठ 45 पर**

# विपत्ति का सामना करने की समुदाय आधारित तैयारीः सामुदायिक आकस्मिकता योजना

'उन्नति' की प्रोग्रम कोओर्डिनेटर **सुश्री एलिस मोरिस** के द्वारा यह आलेख तैयार किया गया है। विपत्ति का सामना करने की समुदाय आधारित तैयारी में पंचायतों की क्षमता वृद्धि के बारे में कार्यलक्ष्यी शोध-परियोजना के भाग स्वरूप यह कार्य सम्पादित किया गया है और इसे यू.एन.एफ.पी. द्वारा सहयोग प्रदान किया गया है।

## प्रस्तावना

२६ जनवरी, २००१ के दिन गुजरात में आये भूकंप ने जान-माल का जबरदस्त नुकसान किया था। गुजरात के २५ जिलों में से २१ पर उसका प्रभाव पड़ा था। लगभग २०,००० लोगों ने प्राण गंवाये थे और ९,९०० करोड़ रुपयों की धन-सम्पत्ति की हानि का अनुमान लगाया गया था। भूकंप के बाद गुजरात के राहत व पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सहयोग मिला था। वह कार्यवाही अब भी जारी है।

समुदाय और पंचायतों तथा पालिकाओं जैसी स्थानीय संस्थाओं ने इस विपत्ति में सबसे पहले कार्यवाही की थी। आरंभ के दिनों में उन्होंने राहत की सामग्री इकट्ठा की थी। इस संदर्भ में विपत्ति के निवारण में स्थानीय लोगों और स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को शामिल करने पर बल दिया जाता है। स्थानीय स्तर पर जान-माल पर विनाशकारी प्रभाव कम से कम हो, इसके लिए विपत्ति का सामना करने की तैयारी और निवारण के उपाय विकसित करने हेतु उनको संवेदनशील बनाने की बात महत्वपूर्ण बन जाती है।

विपत्ति के मुकाबले की समुदाय आधारित तैयारी एक महत्व का मुद्दा बन गया है। वह अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों व संसाधनों का परिणाम है, लेकिन वह एक अलग प्रकार की क्षेत्रीय प्रवृत्ति नहीं है। इरादा तैयार होने का है अर्थात् विपत्ति की पूर्व सूचना देनी, संभव हो सके वहां उसे रोकना और यथा संभव मात्रा में कमजोर समुदाय पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को घटाना। विपत्ति का सामना प्रभावशाली ढंग से प्रभावित समुदाय कर सके, इसके लिए उसे सक्षम बनाने और बाद के प्रभावों का सामना करने का भी उसमें समावेश है। विपत्ति के मुकाबले की तैयारी में अनेक परिबलों को ध्यान में लेना पड़ता है। उसमें खतरे व कमजोरी के अनुमान, समुदाय की योजना का निर्माण, विपत्ति के संचालन हेतु विविध संगठनों के साथ नेटवर्क, कुशलता का प्रशिक्षण प्रदान करने, समुदाय में जागृति लाने, पर्याप्त आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति आदि का समावेश होता है। 'सामुदायिक आकस्मिकता योजना' (कम्युनिटी कंटिंजेंसी प्लान) तैयार करने का काम एक प्रकार से विपत्ति का सामना करने की तैयारी का काम है।

## सामुदायिक आकस्मिकता योजना

सामुदायिक आकस्मिकता योजना समुदाय द्वारा तैयार स्थानीय कार्यलक्ष्यी योजना है। विपत्ति आने पर यथासमय प्रभावशाली ढंग से बचाव, राहत एवं पुनर्वास की कार्यवाही करने हेतु उस योजना के अधीन लोग संगठित होते हैं और काम करते हैं। जान माल के नुकसान को घटाने हेतु वे विपत्ति से संबंधित सभी पक्षों पर समुदाय की तैयारी रखते हैं। आकस्मिकता योजना में जोखिम के अनुमान, कमजोरी के विश्लेषण, संसाधनों की पहचान, कार्यदल के गठन व प्रशिक्षण, निवारण व संचालन की व्यूहरचना, समुदाय की भूमिकाओं व जिम्मेदारियों के निर्धारण आदि का समावेश होता है। उसमें तूफान, भूकंप व अकाल जैसी सभी प्रकार की विपत्तियों को समेटा जाता है।

सामुदायिक आकस्मिकता योजना स्पष्ट, यथार्थ, परिवर्तनीय, क्रियान्वयन में आसान, सभी हितधारकों को अवसर प्रदान करने वाली तथा स्थानीय स्तर पर प्राप्य संसाधनों पर आधारित होनी चाहिए। विपत्ति का प्रभावी और यथा समय प्रत्युत्तर देने के लिए तथा विपत्ति के प्रभावी संचालन के लिए यह अनिवार्य है। विपत्ति संचालन कार्यक्रमों में शामिल संस्थाओं को यह मार्ग प्रदर्शन प्रदान

करता है। यह स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग करने का अवकाश, प्रवृत्तियों के समन्वय तथा सम्मिलित तमाम संस्थाओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों संबंधी पारदर्शिता प्रदान करता है। यह उपयोगी सूचनाओं के विश्लेषण द्वारा वर्तमान व भावी विपत्ति संचालन के मूल्यांकन में मदद देता है। इसके अलावा, यह योजना के स्थायित्व हेतु योजना के निर्माण, क्रियान्वयन व देखरेख में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करता है।

सामुदायिक आकस्मिकता योजना तैयार करता है। बाहर की संस्था तो इस प्रक्रिया संबंधी मार्ग उपलब्ध कराती है। समुदाय को योजना में से प्रवृत्तियों को हाथ में लेने की प्रेरणा देता है और इसके लिए उसे संवेदनसील बनाया जाता है। गांव के स्वयंसेवकों तथा समुदाय के नेताओं को उस अवधि में पहचान लिया जाता है, कि जिन्हें योजना के क्रियान्वयन के संचालन हेतु प्रशिक्षण दिया जा सके। वे विपत्ति निवारण और संचालन हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करें। योजना के सभी चरणों में समुदाय, पंचायत, सरकारी विभाग तथा अन्य तमाम स्थानीय संगठनों के शामिल करने की जरूरत है। विपत्ति का सामना करने संबंधी समग्र-लक्ष्यी योजना तैयार करने के लिए कई सहभागी प्रवृत्तियों का उपयोग किया जाता है।

भूकंप के बाद 'उन्नति' ने आपात दशा में समुदाय व पंचायतों द्वारा निभाई गई भूमिका की जांच करने हेतु तथा प्रभावी कार्यवाही करने में मददगार व अवरोधक बनने वाले परिबल कौन से हैं, यह जांचने हेतु एक कार्यलक्ष्यी शोध-अध्ययन हाथ में लिया था। बाद में ग्राम स्तर पर आकस्मिकता योजना विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। आरंभ में कच्छ की भचाऊ तहसील के लुणावा और मोरगर गांवों हेतु ऐसी योजनाएं तैयार की गई है। यहां लुणवा गांव की योजना उसकी  प्रक्रिया के साथ प्रस्तुत की गई है।

## लुणवा ग्राम की आकस्मिकता योजना

कोई भी प्राकृतिक या मनुष्य निर्मित दुर्घटना व्यापक पैमाने पर जानमाल का नुकसान करती है तो यह विपत्ति कहलाती है। लुणवा के वासी भूकंप और तूफान को विपत्ति गिनते हैं पर अकाल को ऐसी विपत्ति नहीं मानते।

## विपत्ति का इतिहास और उसका सामना करने का क्षेत्र

लुणवा अकाल, तूफान व भूकंप संभावित गांव है। गांव की विपत्तियों का विगत ४० वर्षों का इतिहास जानने हेतु और उनकी आवृत्ति एवं उसके प्रकार समझने हेतु समुदाय के बुजुर्गों और अन्य लोगों के साथ अनौपचारिक चर्चा की गई। हर विपत्ति के समय समुदाय व गांव पर हुए प्रभाव और उसके मुकाबले की व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई।

## तूफान

तूफान अधिकांशतया मार्च से मई और अक्टूबर-नवंबर के बीच आता है। गांव की अग्नि व दक्षिण दिशा में अरब सागर स्थित है। १९९८ में जब तूफान आया, तो गांव के पूर्वी अंचल को बहुत नुकसान हुआ था। कच्चे और पक्के दोनों तरह के मकान नष्ट हो गए थे। आर.सी.सी. के बने घरों पर ही उसका असर नहीं पड़ा था। तूफान के दौरान लोगों ने इन घरों में आश्रय लिया था। पेड़ गिर गए थे, और खड़ी फसल को भी नुकसान हुआ था। जनहानि कम हुई थी, पर बहुत सारे लोग घायल हुए थे। गांव के चौपाये नष्ट हो गए थे। तूफान की पहले से लोगों को चेतावनी नहीं दी गई थी, जिससे वे उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। तेज हवा के साथ वर्षा हुई थी, जिसकी वजह से घरों में रखे अनाज को नुकसान हुआ था। घर में रखा अनाज सड़ गया, इस कारण उसको उपयोग में नहीं लाया जा सका। इस तूफान के दौरान लोगों ने विपत्ति का अनुभव किया, पर उन्हें यह पता नहीं था कि क्या करने

से नुकसान नहीं होता अथवा घट सकता है। टेलिफोन की लाइनें व बिजली आपूर्ति विच्छिन्न हो चुकी थी। तीन दिनों के बाद सेंट जेवियर्स शाला की टुकड़ी गांव में पहुंची थी और उनके घरों के पुनर्निर्माण के काम में उन्हें मदद दी थी। पर भूकंप ने उन घरों को तोड़ डाला था। २००१ में समग्र कच्छ के लिए तूफान की चेतावनी दी गई थी और ग्रामवासी विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार थे। वह तो तूफान की दिशा बदल गई और कच्छ संकट से बच गया।

## भूकंप

१९५६ में लुणवा से ४ कि.मी. दूर सुखपर गांव भूकंप से पूरी तरह से नष्ट हो गया था। पर लुणवा गांव में तुलनात्मक रूप से उसका असर बहुत कम हुआ था, और मात्र कच्चे घर ही टूटे थे। जबकि २००१ के भूकंप में पूरा गांव नष्ट हो गया और जानमाल की भी जबरदस्त हानि हुई। ३७ लोग मारे गए और बहुत सारे घायल हुए और बहुत सारे लोग अंपग हो गए। भूकंप के बाद अन्न, आवास और पानी की जबरदस्त कमी हो गई। घरों में जो अनाज व खाने की चीजें भरी थीं, उन सब में धूल व पत्थर भर गए। लोगों ने थोड़ा अनाज बचाने का प्रयत्न किया और उसका उपयोग भी किया। स्थानीय दुकानों से भी खाने की चीजें प्राप्त कीं। रेत और धूल भरे दाल-भात व रोटी खाने पड़े हों, ऐसे बहुत से दिन बिताये। अन्नजल की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की गई और बच्चों व महिलाओं को उनमें प्राथमिकता दी गई।

युवक और स्थानीय नेता बचाव व राहत की कार्यवाही में लग गए। मलबे के नीचे दबे अनेक लोगों को बचाया गया। गांव के किनारे कुछ लोगों की टुकड़ी खड़ी रहती था, जो गांव में आने वाली राहत सामग्री एकत्र करती थी और जरूरत के अनुसार उनका वितरण करती रहती थी। वे यह काम इस वजह से कर सके क्योंकि उनके पास ऐसे जरूरतमंद लोगों की सूची थी।

## अकाल

पिछले आठ वर्षों से कच्छ में वर्षा कम हुई है। परिणाम स्वरूप किसान कोई फसल नहीं उगा सके। जमीन का खारापन बढ़ रहा है, जिससे खेती न करने लायक जमीन का प्रतिशत बढ़ता जाता है। लोग अभी पशुपालन और फुटकर मजदूरी के काम में ज्यादा लगे हुए हैं। स्थानांतरण भी बढ़ता जा रहा है। लोगों के अनुभव के मुताबिक वर्षा की स्थिति निम्न प्रकार से रही है:

- दस वर्षों में एक बार भारी वर्षा होती है।
- तीन से पांच वर्षों में एक बार मध्यम वर्षा होती है।
- शेष वर्षों में वर्षा बहुत कम होती है, जिससे अकाल की दशा उत्पन्न होती है।

अकाल का सामना करने के लिए कोई लंबी अवधि का आयोजन नहीं किया गया। अकाल के दौरान पेयजल की आपूर्ति टैंकर द्वारा की जाती है। इस प्रकार, गांव अनेक विपदाओं के लिए संभावित क्षेत्र है। अतः जानमाल की हानि कम से कम हो, इसके लिए विपत्ति का सामना करने की तैयारी करना जरूरी हो जाता है। विपत्ति संचालन कार्यक्रम का अमल करना और सामुदायिक आकस्मिकता योजना तैयार करना - ये इस कार्य का भाग हो सकते हैं। गांव की सामुदायिक आकस्मिकता योजना के लिए लोगों को तैयार करने हेतु ग्रामवासियों की एक सभा आयोजित की गई। गांव के सभी वर्गों के प्रतिनिधि उसमें उपस्थित रहे थे और वह सभा गांव के मुख्य चौक में आयोजित की गई थी। इस सभा के दौरान ऐसी योजना बनाने हेतु अलग-अलग देशों व अलग-अलग राज्यों के अनुभव भी बताये गये थे। तूफान और भूकंप के दौरान जिस नुकसान का लोगों को अनुभव हुआ था, उसमें लोगों को ऐसी योजना तैयार करने की जरूरत महसूस हुई।

## परिस्थिति का विश्लेषण

गांव का सामाजिक नक्शा तैयार किया जाए तो गांव की तल-भूमि, स्थल, जमीन के प्रकार, मकान, जीवन-निर्वाह की पद्धति और उपलब्ध संसाधन तथा प्रत्येक घर की ब्यौरेवार जानकारी की तस्वीर सामने आ जाए। उससे यह पता लगे के कौनसे मकान, समूह, क्षेत्र और ढांचे विपत्ति के समय कमजोर प्रमाणित होने जैसे हैं। समयरेखा पद्धति तथा गांव में पदयात्रा के द्वारा यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है। गांव का नक्शा इसी तरह तैयार किया गया। उसमें गांव की सम्पूर्ण जानकारी इकट्ठी की गई। इसके अलावा समुदाय के खतरों और कमजोरियों को भी पहचान लिया गया - जो समुदाय के मंतव्यों के आधार पर थे।

**स्थान व इतिहास**

लुणवा गांव के लोकगीत यह बताते हैं कि गांव ३०० वर्ष पुराना है। ऐसा माना जाता है कि ३०० वर्ष पहले चंगा अहीर जाति के सात परिवार वहां रहने आए थे। समुदाय का एक कोली जाति का परिवार चिराई गांव गया और वोकरा नामक झरने के पास बस गया। लुणवा के प्रथम निवासियों ने चिराई समुदाय के साथ अपने संबंधों की बात बताई। बाद की पीढ़ियों में बिल्कुल मामूली बातों को लेकर दोनों समुदायों में झगड़ा हुआ। उससे उपजातियां बन गई। उनमें चावड़ा, वारचंद, ढीला, माता, चंगा, म्यात्रा आदि का समावेश होता है। इसके अलावा सुथार, लुहार, दलित, रैबारी, कोली, अहीर व मुस्लिम गांव में स्थायी रूप से बस गए। कच्छ में यह गांव भचाऊ से २१ कि.मी. दूर पश्चिम में ऊंची टेकड़ी पर बसा है। वह भुज-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग से ८ कि.मी. दूर है। वह बसों और निजी वाहनों से जुड़ा हुआ है। गांव का कुल इलाका २४८४.२५ हैक्टेयर का है। बाकी के क्षेत्र में खेती की जमीन, परती जमीन, गोचर भूमि, जंगल व जल-स्रोतों का समावेश होता है। गांव की सरहदें निम्नानुसार हैः

| | | |
|---|---|---|
| उत्तर | → | टेकड़ियां और खराबे की जमीन |
| ईशान | → | टेकड़ियां, नहर, खराबे की जमीन व खेत |
| पूर्व | → | सिंचाई हेतु उपयोग में ली जाने वाली नहर 'वोकरा' |
| अग्नि | → | अरब सागर, नदी व खेत |
| दक्षिण | → | पुराने गांव से २० कि.मी. दूर अरब सागर, राष्ट्रीय राजमार्ग से ८ कि.मी. दूर |
| नैऋत्य | → | खेत, बड़ा चिराई गांव |
| पश्चिम | → | टेकड़ियां व खेत |
| वायव्य | → | पुराना तालाब खेत, टेकड़ियां, सुखपर गांव |

२००१ में भूकंप के बाद गांव तीन भागों में बंट गयाः पुराना लुणवा, नया लुणवा और रामेश्वर। पुराने लुणवा में लगभग २०० घर हैं। वे अधिकांशतया कोली, रैबारी, मुस्लिम और दलितों के हैं। नया लुणवा पुराने गांव से आधा कि.मी. दूर है। वहां १३० घर हैं, जो जहीर व गोसांई समुदाय के हैं। खुली जगह का अभाव है और सघनता ज्यादा है। इसीलिए नया लुणवा गांव बसा। रामेश्वर में ६३ अहीरों के घर हैं। यह पुराने लुणवा से ३ कि.मी. दूर है। जाति के आधार पर गांव बंट गया है। पुनर्वास के लिए पुराने लुणवा को किसी ने दत्तक नहीं लिया। लोग सरकारी मुआवजे की मदद से अपने आप अपने मकान फिर से बना रहे हैं। कलकत्ता की 'ल्युथरन वर्ल्ड सर्विस' द्वारा कामचलाऊ आवास दिए गए थे। 'उन्नति' भूकंप के समक्ष टिके रहने योग्य मकान बनवाने का तकनीकी सहयोग प्रदान करती है। नया लुणवा भी लोगों के अपने पैसों और सरकारी मुआवजे की मदद से पुनः निर्मित हो रहा है। रामेश्वर को 'कासा' नामक संस्था ने गोद लिया है।

**आबादी**

२००१ के भूकंप के बाद पुराने लुणवा गांव की आबादी इस प्रकार हैः

१. १६ से ५० वर्ष की उम्र के प्रौढ़
   स्त्रियां : १९९
   पुरुष : १७०

२. ५० वर्ष से अधिक वय के लोग
   स्त्रियां : १०
   पुरुष : ०९

३. १६ वर्ष से कम उम्र के बालक
   स्त्रियां : १३७
   पुरुष : १६६

४. विकलांग
   स्त्रियां : ०४
   पुरुष : ०५

५. विधवाएं : ३३

६. सगर्भा स्त्रियां : ०६

७. कुल : ७३९

**घर**

भूकंप से पहले गांव में लगभग सारे घर कच्चे अथवा आधे कच्चे थे। भूकंप में सभी घर नष्ट हो गए थे। भूकंप के बाद गांव तीन भागों में बंट गया : पुराना लुणवा, नया लुणवा और रामेश्वर। नया लुणवा और रामेश्वर का पुनर्निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

**घर की संख्या**

| प्रकार | संख्या |
|---|---|
| पतरे वाले घर (काम चलाऊ) | १५६ |
| निर्माण कार्य चालू है | ८२ |
| पूरे बने टाइल्स वाले घर | ९१ |
| पूरे बने आर.सी.सी.वाले घर | २०० |

कई घरों का पुनर्निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ और ये परिवार काम चलाऊ आवास में रह रहे हैं। जिन घरों का निर्माण कार्य चल रहा है, उनमें से ज्यादातर मुस्लिम व कोली समुदाय वालों के घर हैं।

## जीवन निर्वाह

### खेती

जीवन निर्वाह का मुख्य स्रोत खेती है। मात्र ७ कोली परिवार ही ऐसे हैं जो स्वयं खेती करते हैं। गेहूं, राई, कपास, ज्वार और तिल मुख्य फसलें हैं। वैसे १५३ लोग खेत मजदूरी व आकस्मिक मजदूरी पर जीवन निर्वाह करते हैं। ये कोली, रैबारी, मुस्लिम व दलित समुदाय से हैं।

**फसल के प्रकार**

| ऋतु | मुख्य फसल | उपयोग |
|---|---|---|
| खरीफ | तिल | बेचने हेतु |
| | बाजरी | स्व-उपयोग हेतु |
| | मूंग | स्व-उपयोग हेतु |
| | कपास | बेचने हेतु |
| | एरंडी | बेचने हेतु |
| | गंवार | पशुओं हेतु |
| रबी | गेहूं | स्व-उपयोग हेतु |
| | जीरा | बेचने हेतु तथा स्व-उपयोग हेतु |
| | ईसबगोल | बेचने हेतु तथा स्व-उपयोग हेतु |
| चौमासा | मूंगफली | तेल बेचने हेतु |

**पशुओं की संख्या**

| पशु | संख्या |
|---|---|
| बकरी-भेड़ें | ८५६ |
| गाय, भैंस, बैल | २३ |
| **कुल** | **८७९** |

रैबारियों के पास भेड़-बकरियां है और उनके लिए वही जीवन निर्वाह का साधन है। वे पशु-पालक हैं और बकरी का दूध व भेड़ों की ऊन बेचते हैं। अहीर रैबारी, कोली और मुस्लिम सामान्यतया गाय, भेंस व बैल पालते हैं। उनका उपयोग व्यापार के प्रयोजन से नहीं होता।

### जीवन निर्वाह के अन्य स्रोत

कई फुटकर मजदूरी करते हैं। वे चेज़ारे के रूप में काम करते हैं तथा हमाली का काम करते हैं। अधिकांशतया गांव के बाहर और भचाऊ नगर में मजदूरी का काम मिल जाता है। एक आदमी ही नौकरी करता है। ३६ आदमी अपना रोजगार करते हैं। उनमें से कइयों के पास छोटी दुकानें हैं। गांव में तीन दुकानें हैं। एक चक्की है और एक राशन की दुकान है। चार जने छकड़ा चलाते हैं और गांव के लोगों को अन्य गांवों में या भचाऊ जाने हेतु परिवहन सेवा प्रदान करते हैं।

### जोखिम का अंदाज

भूकंप और तूफान के दौरान जिन लोगों या ढांचों को नुकसान पहुंचने का जोखिम है, जिनका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है। उसमें क्या और किसके द्वारा करने की जरूरत है तथा कौन से साधन उपलब्ध हैं और कमजोरी घटाने के लिए क्या करना जरूरी है तथा कार्यदल की क्या भूमिका हो सकती है, इसका विवरण दिया गया है:

| विपत्ति का प्रकार | खतरा किन्हें है? | क्या करने की जरूरत है? | संसाधन | | कौन करेगा? |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | उपलब्ध | जरूरी | |
| तूफान | वृद्ध-१९ | तूफान की चेतावनी देते समय उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचायें | सामना करने का वर्तमान तंत्र और अतीत का अनुभव | शोध, बचाव एवं स्थान त्यागने संबंधी कौशल एवं पद्धतियों के बारे में क्षमता वृद्धि | सरकार तथा उस अंचल में काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाएं |
| भूकंप | विकलांग-९ | भूकंप के बाद के बारंबार कंपन के बाद उन्हें भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित मकान में पहुंचायें | | आकस्मिकता के मामले में प्राथमिक उपचार की पद्धतियां | |
| | विधवा और एकाकी स्त्रियां-३३ | | | उपरोक्त | |
| | सगर्भा स्त्रियां-६ | चिकित्सा सहायता | | उपरोक्त | |
| | बालक और विशेष रूप से नवजात शिशु | आहार एवं पेयजल | | उपरोक्त | |
| | बीमार व्यक्ति | चिकित्सा सहायता | | उपरोक्त | |
| | पिछड़े तथा अल्प संख्यक समुदायों के परिवार | | | | |
| तूफान | छत पर से उड़ते टीन व खपरैल | हुक के द्वारा उनको मजबूत बांधना | विपत्त के दौरान काम करने का अतीत का अनुभव | हुक के द्वारा बांधने का प्रशिक्षण | स्वैच्छिक संस्थाएं छोटे समूह को इसके लिए प्रशिक्षण देते हैं और वे दूसरों को भी प्रशिक्षण देंगे। |

| विपत्ति का प्रकार | खतरा किन्हें है? | क्या करने की जरूरत है? | संसाधन उपलब्ध | संसाधन जरूरी | कौन करेगा? |
|---|---|---|---|---|---|
| तूफान | पुराने पेड़ | तूफान के समय, समय से पहले पुराने पेड़ों की डालियों को काट देना। | समुदाय के लोग | | |
| | खड़ी फसल | फसल तैयार हो तो लुनाई में देरी न करना | फसल की वर्तमान विधि का ज्ञान | तूफान की के मौसम से पहले लुनाई कर लेना और माल इकट्टा कर लेना | फसल के वैकल्पिक प्रकार के बारे में जानकारी |
| | नलकूप और पंप | इन्हें सुरक्षित ऊंचाई पर बनाना | | नलकूप के मरम्मत कार्य का प्रशिक्षण | ऐसा प्रशिक्षण देने हेतु विशिष्ट संस्था |
| | पशु | इनके लिए आश्रय स्थल, घास-चारे का संग्रह | सुरक्षित स्थान की जानकारी, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध घास-चारा | घास-चारे के कोठार के बारे में जानकारी | स्थानीय संस्थाएं व पंचायतें जानकारी दे सकती हैं |
| | गांव और घर के महत्वपूर्ण दस्तावेज | सुरक्षित स्थान में रखना, भारी वर्षा में पानी से बचे ऐसे स्थान में रखना | सुरक्षित स्थान का पता | | |
| | मूल्यवान चीजें | सुरक्षित जगह रखें | सुरक्षित स्थान का पता | | |
| | पेयजल स्रोत को नुकसान | आवास में पेय-जल का संग्रह | | | संचालन के बारे में प्रशिक्षण, पानी के टैंकर के लिए तहसील व जिले स्तर पर सम्पर्क |
| | संग्रहित अनाज को नुकसान | सुरक्षित स्थान पर संग्रह | तीन स्थानीय दुकानें और राशन की दुकानें | | बाहर की संस्थाओं के साथ सम्पर्क |

| विपत्ति का प्रकार | खतरा किन्हें है? | क्या करने की जरूरत है? | संसाधन उपलब्ध | संसाधन जरूरी | कौन करेगा? |
|---|---|---|---|---|---|
| | बिजली की लाइनें | बिजली की आपूर्ति भंग होने की संभावना। मोमबत्ती, माचिस, टार्च आदि रखें | | | |
| | टेलिफोन लाइन को नुकसान | | | | |
| | रोगों का फैलाव | प्राथमिक उपचार-मंजूषा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल का पता | प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संबंधी प्रशिक्षण और रोगों के प्रसार हेतु प्रतिरोधात्मक उपाय | | |

| विपत्ति का प्रकार | खतरा किन्हें है? | क्या करने की जरूरत है? | संसाधन उपलब्ध | संसाधन जरूरी | कौन करेगा? |
|---|---|---|---|---|---|
| भूकंप | निर्माणाधीन घर | ऐसे घरों में आश्रय न लेने हेतु समुदाय को सूचना देना, भूकंप की दृष्टि से सुरक्षात्मक निर्माण कराना | स्थानीय संस्थाएं सुरक्षा के बारे में जानकारी दें, इसके लिए समुदाय को प्रशिक्षण दिया जाए | अतिरिक्त प्रशिक्षण | स्वैच्छिक संस्थाएं, पंचायतें, जिला स्तरीय सरकारी विभाग |
| | टेलिफोन लाइन | इनसे दूर रहें | जानकारी | | |
| | बिजली के तार | इनसे दूर रहें | जानकारी | | |
| | पेयजल के स्रोत और अनाज का संग्रह | सुरक्षित स्थानों में संग्रह | स्थानी दुकानों व राशन की दुकानों से सम्पर्क | अतिरिक्त अनाज हेतु अन्य संस्थाओं से सम्पर्क | पंचायतें व अन्य स्थानीय संस्थाएं |
| | रोगों का प्रसार | सुरक्षित स्थान पर प्राथमिक उपचार की पेटी | प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारी | अतिरिक्त आपात सेवायें | |

**कमजोरी**

**सामाजिक व भावनात्मक कमजोरी**

गांव में अनेक कमजोर समूह हैं। उनमें वृद्धों, बालकों, विकलांगों, विधवाओं और सगर्भा स्त्रियों का समावेश होता है। वर्तमान कमजोर समूहों का विवरण नीचे दिया गया है। यह विवरण हमेशा बदलते रहना पड़ता है। इसमें दलितों व समुदाय के अन्य दुर्बल वर्गों का भी समावेश होता है। विपत्ति के विविध पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता का अभाव है। साथ ही, आपातकाल के समय कैसे व्यवहार किया, इसका भी लोगों को पता नहीं होता। गांव में कौशल और विश्वास की कमी रहती है। इससे उनकी कमजोरी बढ़ती है।

| कमजोर वर्ग | संख्या | |
|---|---|---|
| | स्त्री | पुरुष |
| ५० से अधिक उम्र के वृद्ध | १० | ०९ |
| १६ से कम आयु के बालक | १३७ | १६६ |
| विकलांग | ०४ | ०५ |
| विधवाएं | ३३ | - |
| सगर्भा स्त्रियां | ०६ | - |

**भौतिक कमजोरी**

खपरैल और टीन वाले घरों में ज्यादा नुकसान होता है। अधिकांश पक्के घरों में भी खपरैल बंधे हुये नहीं होते, अतः उनको भी नुकसान होने का भय रहता है। भूकंप की दृष्टि से सुरक्षा के मार्गदर्शक सूत्रों का अनुकरण करते हुए निर्माण कार्य न हुआ हो, ऐसे घरों को भी नुकसान हो सकता है। अभी आर.सी.सी. के पक्के १७ घर ही तूफान और भूकंप में सुरक्षित हैं।

**जोखिम का नक्शा**

समुदाय की भागीदारी से जोखिम वाले स्थानों को पहचान लिया गया और सामाजिक नक्शे में उनको चिन्हित कर लिया गया है। यह काम करते समय हमने भूतकाल की विपत्तियों के दौरान समुदाय के अपने अनुभवों की जानकारी के साथ उनका संबंध जोड़ने का भी प्रयत्न किया। जिन घरों की छत पर टीन व खपरैल नहीं बांधे गए, उनको तूफान में ज्यादा नुकसान का डर रहता है। बड़े वृक्षों के आसपास का इलाका भी खतरे में रहता है। तूफान व भूकंप के दौरान बिजली के ट्रांसफार्मर और बिजली के खंभों के आसपास का क्षेत्र जोखिम बन जाता है। वे खंभे उखड़ सकते हैं और उनसे शार्ट सर्किट हो सकता है। समुदाय ने जो एक सकारात्मक मुद्दा बताया, वह यह था कि गांव ऊंचाई पर था, जिससे पानी तालाब और नदी में बह जाता था, रास्ते पर पानी नहीं भरता था। तालाब, नहर और नदी के आसपास का क्षेत्र, भारी वर्षा होने पर खतरनाक बन जाता है, और जाना टालना पड़ता है।

**संसाधनों की पहचान**

**गांव में उपलब्ध जमीन इस प्रकार हैः**

| जमीन का प्रकार | फैलाव हैक्टेयर में |
|---|---|
| गांव का फैलाव | १४८६.७ |
| न जोता जाने योग्य इलाका | ७९७.६ |
| खराबे की जमीन | ९६.६९ |
| पानी के स्रोत | १९.३१ |
| ग्राम तल | ७.९२ |
| गोचर | ४०.०४ |
| तालाब | ३१.५४ |
| श्मशान | १.२३ |
| एप्रोच रोड | १.११ |
| खाल वाड़ | २.९७ |
| गलियां | ०.०८ |
| **कुल** | **२४८५.१९** |

**प्राकृतिक संसाधन**

**नहरः** वोकरा नहर गांव की उत्तरी दिशा में है और सिंचाई के लिए उसका उपयोग होता है।

**जंगलः** गांव के पश्चिम में जंगल हैं। ८० प्रतिशत जंगल का क्षेत्र बबूल का है और शेष इलाके में मिन्दिया और वुड है। इनका उपयोग ईंधन के रूप में होता है और कुछेक वनस्पतियां औषधि के रूप में काम आती हैं।

**तालाबः** गांव में दो तालाब हैं। पुराना तालाब दक्षिण में है जिसका उपयोग पशुओं के लिए होता है। इस तालाब में पर्याप्त पानी है।

नया तालाब पश्चिम में है। वह पूरी तरह से सूख गया है और किसी भी प्रयोजन हेतु इसका उपयोग नहीं होता।

**गोचर व खराबाः** गोचर की जमीन गांव के दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में है। पशु को चराने के लिए इसका उपयोग होता है। खराबा पथरीला है, जिसका उपयोग नहीं होता।

**अन्य संसाधन**

**मंदिरः** गांव में कई छोट-बड़े मंदिर हैं। अमुक समुदाय अमुक निश्चित मंदिर का उपयोग करता है। लोग ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं और रीति-रिवाजों में उनका पक्का विश्वास है।

**कम्युनिटी सेंटरः** गांव में दो सामुदायिक केंद्र हैं। एक सरकार ने बनवाया है और दूसरा 'उन्नति' ने बनवाया है। विविध सामाजिक प्रसंगों पर लोग उसका उपयोग करते हैं। अन्य प्रवृत्तियां भी वहां होती हैं, तथा समुदाय की सभायें वहां आयोजित की जाती हैं।

**ढोरवाड़ाः** यह गांव के बीचोंबीच था पर भूकंप में नष्ट हो गया, अब उसे फिर से बनाया गया है।

**पानी की टंकीः** गांव के उत्तर में पानी की टंकी है, जिसे सरकार ने बनवाया है। यह गांववासियों को जल की आपूर्ति करती है। इसमें जल इकट्टा होता है और गांव में दो स्टेंड पोस्ट हैं।

**संस्थायें और सेवायें**

**पंचायतः** पुराना पंचायतघर गांव के बीच में था, लेकिन वह भूकंप में नष्ट हो गया। नया पंचायतघर उसी स्थान पर बनवाना तय हुआ है, पर अभी बना नहीं है। तहसील पंचायत भचाऊ में है और जिला पंचायत भुज में है।

**स्वैच्छिक संगठनः** भूकंप के बाद कई स्वैच्छिक संस्थाओं ने गांव में काम किया है। यद्यपि किसी संस्था ने गांव को गोद नहीं लिया। परंतु 'उन्नति' और अन्य संगठनों ने कमजोर वर्गों को राहत व पुनर्वास में सहयोग प्रदान किया है।

**स्वास्थ्य की देखभालः** गांव में स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता शायद ही गांव को देखने आते हैं। लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर संतोष नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनफत गांव में है और वह लुणवा से ५० कि.मी. दूर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भचाऊ में है जो २१ कि.मी. दूर है। यह लुणवा गांव के लिए उपयोगी है।

**शैक्षणिक संस्थाएंः** आंगनवाड़ी गांव के उत्तर में स्थित है। वह सरकार द्वारा संचालित है। भूकंप के बाद उसका भवन फिर से बनवाया जा रहा है। वर्तमान में वह पुराने आंगनवाड़ी केंद्र के समीप कामचलाऊ भवन में चल रहा है। गांव में १ से ७ वीं कक्षा तक की प्राथमिक शाला थी, पर भूकंप में नष्ट हो गई। अभी शाला के नए भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। गांव में काम चलाऊ निर्माण कार्य हुआ है और वहां शाला लगती है। गांव के और पास के गांवों के बालक वहां पढ़ने जाते हैं। अभी उसमें १२० बालक हैं, लेकिन सिर्फ दो ही अध्यापक हैं। माध्यमिक शाला तथा कॉलेज भचाऊ, गांधीधाम और अंजार में हैं।

**संचारः** गांव के लोग प्रायः पोस्ट आफिस का उपयोग करते हैं। वह गांव से ८ कि.मी. दूर चोपाड़वा में स्थित है। गांव में तीन निजी टेलिफोन हैं और दो मोबाइल फोन हैं, लेकिन गांव में पब्लिक फोन नहीं हैं। सबसे नजदीकी पब्लिक फोन बूथ चोपाड़वा में हैं। गांव के एक घर में वीडियो थियेटर है। जो 'उन्नति' ने दिया है। इस घर में मां और बेटी दोनों लकवाग्रस्त हैं। उन दोनों के लिए यह जीवन निर्वाह का साधन बन गया है। अभी वे प्रायः रोजाना शाम को सिनेमा दिखाते हैं।

**परिवहनः** ग्रामवासी परिवहन के लिए बस का उपयोग करते हैं। इसके अलावा गांव में तीन स्कूटर हैं, एक मोटर बाइक है और एक जीप है। गांव में तीन छकड़े हैं और चार ट्रेक्टर हैं। वे लुणवा से भचाऊ और अन्य गांवों के बीच प्रायः उपयोग में लाये जाते हैं। आपात दशा में उनका उपयोग हो सकता है।

**बाजारः** गांव के लिए भचाऊ ही मुख्य बाजार है। यद्यपि गांव में तीन छोटी दुकानें हैं, एक राशन की दुकान है और एक चक्की है।

**सार्वजनिक सुरक्षाः** पास का पुलिस स्टेशन भचाऊ में है। सबसे पास का अग्नि-शमन-केंद्र गांधीधाम में है और वह लुणवा से ४४ कि.मी. दूर है।

**बिजली की सुविधाः** गांव में बिजली की सुविधा है। गुजरात विद्युत बोर्ड कार्यालय भचाऊ में है। बिजली का बिल भरने के लिए लोगों को भचाऊ आना पड़ता है। कोई शिकायत भी करनी हो तो भचाऊ आना पड़ता है।

**कार्यदल का गठन और काम का आवंटन**

**कार्यदल गठित करने का मापदंड**

सामुदायिक आकस्मिक योजना की समग्र प्रक्रिया में कार्यदल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वे विपत्ति आने से पहले, विपत्ति के दौरान तथा विपत्ति के बाद समुदाय स्तर पर निश्चित भूमिकाएं व जिम्मेदारियां निभाता है। इस तरह, जिम्मेदारियां अदा करने के लिए उसे सक्रिय, जिम्मेदार व तैयार होना चाहिए। कार्यदल के गठन हेतु कई मापदंड निम्नानुसार हैं:

• सदस्य उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। • समुदाय के प्रत्येक वर्ग का उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। • सामुदायिक आकस्मिकता योजना की जरूरत उनको समझनी चाहिए। • स्थानीय परिस्थिति के बारे में उनको जानकार होना चाहिए। • उन्हें सक्रिय होना चाहिए तथा पहल करने हेतु रुचि लेने योग्य होना चाहिए।

**कार्यदल की रचना प्रक्रिया**

दल को गठन की प्रक्रिया गांव की दुर्बलता, संसाधनों व अवसरों के बारे में जानकारी एकत्र करने के साथ-ही-साथ चलती रही है। समुदाय को विपत्ति का असर घटाने हेतु सामुदायिक आकस्मिकता योजना बनाने की जरूरत समझने का काम भी साथ-साथ चलता रहा है। पंचायत के सदस्यों, स्थानीय नेताओं तथा समुदाय का इसके लिए सम्पर्क किया गया और इस बात की चर्चा की गई कि

| क्रम | मुख्य कार्य | विपत्ति | | | सदस्य | संसाधन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पहले | मध्य में | बाद में | | |
| १. | चेतावनी और सूचना | | | | बीजलभाई, बाबूभाई मोहनभाई, लक्ष्मणभाई | टीवी, रेडियो, पुलिस स्टेशन, साइकिल, मोबाइल फोन |
| २. | शोध, बचाव, स्थान छोड़ना | | | | वेलजीभाई कोली रमेशभाई कोली | सूचना, कमजोर वर्गों की सूची, सुरक्षित आश्रय स्थल, जोखिमी स्थान, सुरक्षित मार्ग, अंतर का विवरण |
| ३. | स्वास्थ्य और सफाई | | | | बाबूभाई वीरमभाई | स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले ४ कार्यकर्त्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र |
| ४. | आश्रय और समग्र संचालन | | | | करमसिंह शामजीभाई | १७ सुरक्षित आश्रय स्थल, सामुदायिक केंद्र तथा पंचायत के साथ सम्पर्क |
| ५. | नुकसान का अनुमान | | | | नारणभाई रावजीभाई | ऐसा अनुमान लगाने की समझ व सूचना |

विपत्ति के समय जानमाल की हानि किस प्रकार कम से कम हो। बचाव और राहत के कामों में समुदाय को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनकी भी चर्चा की गई। यह भी समझाया गया कि विपत्ति के कुछ समय बाद बाहरी संस्थाएं आती ही हैं। हाल के भूकंप के दौरान समुदाय ने बाहरी संस्थाओं के आने तक, खुद ही उसका सामना किया। सामुदायिक आकस्मिकता योजना तैयार करने हेतु जरूरी जानकारी सहभागी अभिगम से इकट्ठी की गई। समुदाय की बैठक की गई और जानकारी इकट्ठी की गई और उसका विश्लेषण भी किया गया।

सभा में यह स्पष्ट किया गया कि स्थानीय स्तर पर कार्यदल गठन इस योजना का एक हिस्सा है। कार्यदल योजना बनाने में, उसका क्रियान्वयन करने में और उसे आनुषंगिक प्रवृत्तियां करने में किस तरह शामिल करेगें, इसकी चर्चा की गई। उनकी भूमिका व जिम्मेदारियां तय की गई। उनको जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यदल की रचना के मापदंड फिर से तय किए गए। लोगों ने ही बाद में स्थानीय युवकों के नाम सौंपे और वे स्वैच्छिक रूप से दल में काम करने को तैयार हुए। इस प्रकार, कामचलाऊ स्तर पर कार्यदल का गठन किया गया।

**लुणवा गांव का कार्यदल**

कार्यदल के सदस्य इस प्रकार हैं: बीजल वास्ता कोली, रमेश मोनजी कोली, रावजी मोनजी कोली, नानजी सामंत कोली, करमसिंह मनुभाई कोली, हरजी जावा कोली, नारण वास्ता कोली, रणकोर भचाऊ कोली, लक्ष्मण हीरा कोली, सामंत हीरा कोली, रासंग रामा कोली, बाबू सुमर कोली, सामजी छगन कोली, बीजल सालु कोली, बाबू भचाऊ कोली, मोहनभाई, मेला धना कोली, खेता धना, वीरन खेला कोली, ववहा कानजी।

**कार्यदल की भूमिका तथा जिम्मेदारियां**

कार्यदल के गठन के बाद उन के साथ कम्युनिटी सेंटर में चर्चा की गई। जो कुछ सूचनाएं इकट्ठा की गई हैं उनका उपयोग सामुदायिक आकस्मिकता योजना बनाने में कैसे किया जाए और फिर क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, इसकी चर्चा की गई। उनको बताया गया कि उन्हें उनकी कुशलता व क्षमता के अनुसार भूमिकायें व जिम्मेदारियां दी जायेंगी। विपत्ति से पहले, विपत्ति के मध्य और विपत्ति के बाद कार्यदल की भूमिका ऊपर वाली तालिका के अनुसार तय की गई। प्रत्येक भूमिका के लिए दल में से दो नेता तय किए गए। विपत्ति की कार्यवाही, वर्तमान क्षमता और आंतरिक व बाह्य संसाधनों तथा जरूरी संसाधनों के लिए एक-एक कार्यलक्ष्यी समूह गठित किया गया।

**पृष्ठ 15 का शेष भाग**

इच्छा के अनुरूप है। इसे अमेरिका की लंबी अवधि की नीति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। अमेरिका की विदेश नीति ने इजरायल और पाकिस्तान को जो भूमिका दी है, उसके परिणामस्वरूप जिहादी और जाओनिस्ट आतंक खड़ा हुआ है। धार्मिक जुनून और आधुनिकता के बीच का संघर्ष उसमें समझा जा सकता है। इस समय अमेरिका विश्व स्तर पर फौजी और आर्थिक सत्ता है। दुनिया के अनेक क्षेत्रों में उसे आधुनिकता के तारणहार के रूप में देखा जाता है। इस कारण अंतरराष्ट्रीय इतिहास पर उसका प्रभाव बहुत है। पूर्व और पश्चिम दोनों में यह माना जाता है कि अमेरिका धार्मिक आतंकवाद के विरुद्ध आधुनिकता का युद्ध लड़ रहा है और उसका नेतृत्व कर ले रहा है। लेकिन आधुनिकता की पश्चिमी आकांक्षाओं और समकालीन आतंकवाद के बीच के कार्य-कारण संबंधों को इस बारे में आसानी से नजरंदाज कर दिया जाता है। संस्थानवादी और नवसंस्थानवादी आधुनिकता और धार्मिक आतंकवाद की समस्या इसी वैश्विक व्यवस्था में से उत्पन्न हुई है, यह समझना चाहिए।

हालांकि आतंकवाद का उपाय युद्ध या राज्य प्रेरित आतंकवाद नहीं, परंतु प्रजातंत्र का विकास है और सामाजिक-आर्थिक विकास का उचित रूप है। इसमें इतिहास का भी प्रामाणिक मूल्यांकन होना चाहिए। भारत में अभी अवसरवाद और व्यावहारिकता के दिन हैं। अतः आदर्शों को सेक्युलर बकवास समझा जाता है। अमेरिका के प्रति मित्रता रखने वाले मध्यम वर्ग का यह दृष्टिकोण है। गुजरात में २००२ में जो कत्लेआम हुआ, उसमें राजनीतिक अवसरवाद है और ऐतिहासिक रूप से बदले की भावना है, मुस्लिम-विरोधी प्रचार की निरंतरता है और उसमें आतंकवाद की खास निश्चित व्याख्या की जाती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईराक पर आक्रमण को सभ्यता के साधन और वाहन के रूप में देखा जा रहा है, जबकि वास्तव में वह साम्राज्यवाद के प्रसार के लिए हांका गया रथ है।

# गतिविधियां

## 'संयुक्त राष्ट्र' में विकलांगों के संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जायेगा

विकलांग लोगों के अधिकारों व गौरव की रक्षा के लिए और उनको प्रोत्साहन देने के लिए एक विशेष प्रस्ताव तैयार करने हेतु 'संयुक्त राष्ट्र' (युनाइटेड नेशंस - यू.एन.) की महासभा ने २००१ में एक अस्थायी समिति का गठन किया था। उसकी दूसरी बैठक न्यूयार्क में १६-१७ जून २००३ के मध्य हुई थी और उसमें प्रस्ताव के ब्यौरे के बारे में चर्चा हुई थी। दिसंबर २००१ में 'विकलांगों संबंधी वैश्विक कार्यक्रम' के मूल्यांकन के बाद 'संयुक्त राष्ट्र' की महासभा ने सैद्धांतिक रूप से इस विषय को स्वीकार किया था कि विकलांगों के गौरव तथा अधिकारों की रक्षा के लिए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव की जरूरत है। मानवाधिकारों संबंधी वर्तमान संधियों में विकलांग लोगों के अधिकारों का समावेश हो जाता है। अतः वह पर्याप्त है, ऐसा नहीं, परंतु इन संधियों के क्रियान्वयन पर देखरेख रखने वाली संस्थाओं के पास अत्यंत सीमित समय व संसाधन हैं, अतः वे विकलांगों के बारे में मानवाधिकारों के संदर्भ में समन्वित अभिगम अपनाने की स्थिति में नहीं हैं। अतः विकलांग लोगों की समस्याओं पर ज्यादा व निरंतर ध्यान देने के लिए यह प्रस्ताव लाया जा रहा है।

इस प्रस्ताव को तैयार करने की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है। मेक्सिको के अनुरोध के आधार पर महासभा के द्वारा २००१ में अस्थायी समिति बनाई गई थी। उसके बाद वह दो बार सम्पन्न हुई थीः जुलाई-अगस्त, २००२ में और जून २००३ में। उसमें सूचित प्रस्ताव के प्रयोजन और कार्यक्षेत्र के विषय में तथा वर्तमान प्रस्तावों और अन्य बातों के साथ उसके संबंध के विषय में चर्चा हुई थी। साधारण सभा ने १९९३ में विकलांगों के लिए समान अवसरों के बारे में निर्धारण नियम भी बनाए थे और उनके साथ इस प्रस्ताव का क्या संबंध होगा, इस बारे में भी चर्चा हुई थी।

जून २००३ की बैठक के दौरान उभरे महत्त्वपूर्ण मुद्दे निम्नानुसार थेः

- विकलांगता संबंधी मानवाधिकार संधि की स्वीकृति विकलांग लोगों की अपनी सहभागिता पर निर्भर करती है।
- भेदभाव-रहितता, अवसर की समानता, स्वायत्तता, सहभागिता तथा समन्वय के सिद्धांतों का समावेश इस प्रस्ताव में होना चाहिए।
- विकलांगों को समान अवसर मिले और सहभागिता का आधार मिले ऐसे व्यापक संदर्भ में विकलांगों हेतु अनुकूलताएं उपस्थित करने के सवाल को समझना चाहिए।
- प्रस्ताव में रक्षा एवं अधिकार पर बल देना चाहिए।
- मात्र कानून बनाने की नहीं, वरन् विकलांगों के अधिकारों के क्रियान्वयन तंत्र पर सख्त देखरेख रखने की जरूरत है।
- जो विकलांग अल्पसंख्यक होते हैं, स्त्रियां व बालक होते हैं, और जो ज्यादा अपंग होते हैं उनके प्रति भेदभाव दुहराया जाता है। तब उनके अधिकारों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत हो जाती है।

न्यूयार्क में हाल ही सम्पन्न बैठक में समिति ने २७ प्रतिनिधियों का एक कार्यकारी दल बनाना तय किया है। उसमें एशिया के प्रादेशिक दलों, ग्रुलेक, डब्ल्यू.ई.ओ.जी., ई.ई.जी. आदि अफ्रीका के सरकारी प्रतिनिधियों का समावेश है। इसके अलावा, उसमें स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी होंगे। यह दल प्रस्ताव का मसौदा तैयार करेगा और उसे अस्थायी समिति को सुपुर्द करेगा।

## सामाजिक विकास के क्षेत्र में उपलब्धि

'सेंट जेवियर्स नोन-फॉरमल एज्युकेशन सोसाइटी' विगत चार वर्षों से 'पोस्ट ग्रेज्युएट प्रोग्राम इन डेवलपमेंट मैनेजमेंट' नामक अंग्रेजी माध्यम में चलने वाला पूर्णकालिक कोर्स शुरू किया है। सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य कर सकें तथा विविध दायित्व निभा सकें ऐसे कार्यकर्त्ता तैयार करना इस कोर्स का मुख्य आशय है। यह कोर्स शुरू करने का एक दूसरा कारण १९९४ में कराये गए सर्वेक्षण पर आधारित है। इस सर्वेक्षण से यह तथ्य प्रकाश में आया

## स्व. श्री ओम श्रीवास्तव

१५ जून, २००३ को जयपुर रेलवे स्टेशन से उदयपुर जाने वाली ट्रेन चेतक एक्सप्रेस में यात्रा की शुरूआत के समय हुई दुर्घटना में उदयपुर की जानीमानी संस्था 'आस्था' के अध्यक्ष श्री ओम श्रीवास्तव का अत्यंत दारुण व आकस्मिक अवसान हो गया। उनके आकस्मिक निधन से राजस्थान ने ही नहीं वरन् सम्पूर्ण देश ने एक कर्मठ व्यक्ति को गंवा दिया, जिसने गरीबों के विकास को अपना जीवन-ध्येय बनाया था।

उनका जन्म १६.१.१९३९ को जयपुर में हुआ था और जयपुर में ही उन्होंने प्रशासन विषय के साथ अनुस्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। लेकिन बाद में उन्होंने कनाडा में शिक्षा के क्षेत्र में अनुस्नातक तथा विद्यावाचस्पति की उपाधि प्राप्त की थी। १९७० के दशक में उन्होंने सेवा मंदिर में रहते हुए उदयपुर के आसपास के गांवों में प्रौढ़ शिक्षा का काम किया था। फिर १९८० और १९९० के दशकों के मध्य उन्होंने राजस्थान व देशभर में सामुदायिक कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण का काम किया। जल, जमीन व जंगल जैसे प्राकृतिक साधनों पर समुदाय का अधिकार बना रहे और उनका विस्थापन न हो इस हेतु से दक्षिणी राजस्थान में उन्होंने आदिवासियों को जागृत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। हाल ही में उन्होंने पिछले चार वर्षों के भयंकर अकाल के दौरान अन्न के अधिकारों के लिए राजस्थान के लोगों को जागृत किया था। रोजगार की गारंटी हेतु उनका आंदोलन उनका सबसे अंतिम कार्य था।

'सेवा मंदिर' में उन्होंने प्रौढ़-शिक्षा कार्यक्रम को नया मोड़ दिया था। मात्र सामान्य साक्षरता के बदले उन्होंने कार्यकारी साक्षरता के 'यूनेस्को' के अभिगम को विकसित किया था, ऊपर से नीचे के शिक्षण अभिगम के बदले समूहगत शिक्षण पद्धति अपनाई और उसमें सजगता व संवेदनशीलता के तत्त्वों को शामिल किया। इस प्रकार उन्होंने ग्राम-विकास हेतु कार्यकर्त्ताओं का एक दल तैयार किया था। शिक्षा के क्षेत्र में अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 'एशियन साउथ पैसेफिक ब्यूरो ऑव् एडल्ट एज्युकेशन' के दक्षिण एशिया के वे संयोजक थे। अफ्रीका की स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया था, और विकास व प्रौढ़ शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारे मैनुअल लिखे थे। १९८६ में उन्होंने अधिकारों पर आधारित कार्य हेतु एक प्रशिक्षण एवं संसाधन केन्द्र 'आस्था' की स्थापना की थी। उन्होंने आदिवासियों के जीवन निर्वाह के अधिकारों हेतु संघर्ष का समर्थन दिया था। इसके अलावा कारखानों, अभयारण्यों और जन-विरोधी वन कानूनों के कारण होने वाले विस्थापन के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। १९९० के दशक में उन्होंने वंचित लोगों के अनेक संगठन बनाए। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली और राजसमंद जिलों में ऐसे संगठनों को प्रशिक्षण व आर्थिक सहयोग प्रदान किया था।

आदिवासियों के जीवन निर्वाह के अधिकारों, रोजगार तथा वेतन की समस्याओं तथा जमीन के अधिकारों संबंधी-संघर्ष में 'आस्था' के माध्यम से श्री ओम श्रीवास्तव की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। उन्होंने महिलाओं, दलितों व आदिवासियों की क्षमता-वृद्धि पर बल दिया था। चुने हुए प्रतिनिधियों को उन्होंने प्रशिक्षण दिया था तथा उनके महामंडलों की स्थापना की थी। विगत अकाल के दौरान उन्होंने राजस्थान में 'अकाल संघर्ष समिति' गठित की थी तथा अन्न संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया था। आदिवासियों को काम व वेतन की गारंटी मिले, ऐसे उनके प्रयास रहे हैं। अपने देहांत के दिन ही उन्होंने राजस्थान के मुख्य मंत्री से मिलकर रोजगार गारंटी अधिनियम लाने तथा २०,००० आदिवासियों को जमीन दिलाने हेतु हिमायत की थी।

उनके चले जाने से राजस्थान में काम करने वाले विकासलक्ष्यी कार्यकर्त्ताओं को एक मार्गदर्शक की क्षति हो गई है और आदिवासियों, दलितों, महिलाओं व अन्य वंचित वर्गों हेतु उनके हमदर्द की क्षति हो गई है।

था कि सामाजिक विकास में दलित, आदिवासी, व अन्य तथाकथित वंचित जातियों के लोगों का प्रभाव और इस क्षेत्र में जिम्मेदारियों के स्थानों पर इन का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। इस संदर्भ में इन समाजों के लोग ऐसा कोर्स करके सामाजिक विकास के क्षेत्र में दायित्वपूर्ण स्थान पर सकें, यह भी इस कोर्स का एक प्रयास है। पी.पी.डी.एम. का यह कोर्स अनोखा है, क्योंकि यह विकास तथा

## श्रीमती सूरज कंवर को विशिष्ट महिला पंचायत प्रतिनिधि सम्मान

दिल्ली की 'इंस्टीट्यूट ऑव् सोशियल साइंसेस' द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिला संरपंच को 'विशिष्ट महिला पंचायत प्रतिनिधि सम्मान' से सम्मानित किया जाता है। २३ अप्रैल १९९३ का ७३वां संविधान संशोधन अमल में शुरू हुआ था। अतः उस दिन 'इंस्टीट्यूट ऑव सोशियल साइंसेस' द्वारा प्रतिवर्ष 'महिला राजनीतिक सशक्तिकरण दिवस' मनाया जाता है और इस उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में उक्त सम्मान पारितोषिक प्रदान किया जाता है।

इस वर्ष भी राजस्थान के जोधपुर जिले की ओसियां तहसील के नेतर गांव पंचायत की सरपंच श्रीमती सूरज कंवर को यह सम्मान इस दिन दिया गया। इसमें एक स्मृति चिह्न, प्रशस्ति पत्र और १०,००० रु. का समावेश है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्या श्रीमती सुजाता मनोहर के हाथों उन्हे यह पारितोषिक दिया गया।

आठवीं कक्षा तक पढ़ी-लिखी श्रीमती सूरज कंवर ऐसी राजपूत हैं जिनकी जाति में आज भी घूंघट प्रथा अस्तित्व में हैं। इसके बावजूद आत्मविश्वास, साहस और निर्भयता से पिछले १५ वर्षों से ग्रामीण अंचल में और विशेष रूप से अपने गांव और आसपास के गांवों में महिलाओं को प्रभावित करने वाले जुल्म, बाल विवाह, नशाबंदी, बारहवां-तैरहवां जैसी कुरीतियों के विरुद्ध महिलाओं को संगठित करने का काम किया है।

७३वें संविधान संशोधन के अनुसार १९९५ में उन्होंने पहली बार पंचायत की सदस्यता प्राप्त की, तदुपरांत २००० में वे सरपंच चुनी गई। उन्होंने १५० गरीब व असहाय परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया है। ग्रामसभा व वार्ड सभा में महिलायें सहभागी बनें, इस तरफ ध्यान दिलाया। बालिकाओं के उच्च शिक्षण के लिए उन्होंने अपनी पंचायत में उच्चतर माध्यमिक शाला शुरू कराई ताकि आठवीं कक्षा के बाद बालिकाएं शिक्षा से वंचित न रहें। ऐसे कामों के अतिरिक्त उन्होंने महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करने और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया तथा उन्हें बैंकों के द्वारा ऋण दिलाया। एक निश्चित दिन बैंकवालों को अपने गांव में बुलाकर ऋण वापिस चुकवाया।

संचालन दोनों के विविध पहलुओं की विस्तृत छानबीन करता है। वर्तमान में उपलब्ध तमाम कोर्सों में या तो विकास की बात की जाती है। (बी.एस.डब्ल्यू., एम.एस.डब्ल्यू., बी.आर.एस. कोर्स में) या मात्र मैनेजमेंट (एम.बी.ए, बी.बी.ए. जैसे कोर्स में) की बात की जाती है। पर यह एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसमें विकास और संचालन को संग्रथित करके विकास की जटिल प्रक्रिया को समझ कर उसके व्यवस्थित संचालन हेतु जरूरी ज्ञान व जानकारी प्रदान की जाती है। यह कोर्स विकास के क्षेत्र में जुड़ने के इच्छुक अथवा इस क्षेत्र के साथ सम्बद्ध कार्यकर्त्ताओं को सामाजिक-विकास के क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियों एवं जटिलताओं का व्यवस्थित रूप से सामना करने में सक्षम बनाता है। अतः यह कोर्स विकास के क्षेत्र में रुचि लेने वाले व्यक्तियों के लिए ही नहीं वरन् इस क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्त्ताओं के लिए भी आदर्श है।

एक वर्ष के कोर्स में किसी भी विषय के साथ उत्तीर्ण स्नातक/अनु-स्नातक जुड़ सकता है। इस कोर्स में दलित, पिछड़े आदिवासी व अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को खास प्राथमिकता दी जाएगी। बहनों को इस कोर्स में प्रवेश हेतु विशेष अग्रिमता दी जाएगी।

इस कोर्स की कुल फीस १२,०००/- है। आर्थिक मुसीबत महसूस करने वाले उम्मीदवारों के लिए दोनों - फीस माफी/स्कॉलरशिप उपलब्ध हैं। यह स्कॉलरशिप कोर्स की कुल फीस में ५० प्रतिशत से ७५ प्रतिशत तक की माफी के रूप में दी जाती है। अभी तक पी.पी.डी.एम. के चार बैच में से बाहर निकलने वाले कुल ४३ विद्यार्थी भाई-बहनों में से ८० प्रतिशत लोग गुजरात की अग्रणी सामाजिक संस्थाओं (कारीतास इंडिया, मारग, केथोलिक रिलीफ सर्विस, संचेतना, सृष्टि, बी.एस.सी., असाग, विकास, गणतर, कच्छ विकास ट्रस्ट आदि) में सामाजिक विकास कार्यकर्त्ता के रूप में उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। कोर्स का पांचवां बैच जून माह में बाहर आने वाला है। कोर्स के विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें अंग्रेजी भाषा का विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ प्रत्येक विद्यार्थी को कम्प्युटर का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस प्रकार सामाजिक विकास के क्षेत्र में रुचि रखने वाले विद्यार्थी भाई-बहनों के लिए यह कोर्स एक अत्यंत उम्दा विकल्प है। इसके लिए सम्पर्क करें: सेंट जेवियर्स, नोन-फोरमल एज्युकेशन सोसाइटी, बिहेवियेरल साइंस सेंटर, सेंट जेवियर्स कॉलेज कैम्पस, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-३८० ००९. फोन: ०७९-६३०४९२८, ६३०३५७७, फेक्स: ६३०७८४५, ईमेल: ppdmbsc@icenet.net

## 'रामपातर छोड़ो, भीम पात्र अपनाओ': पदयात्रा

गुजरात से छुआछूत का समूल उन्मूलन करने के इरादे से यह पदयात्रा २५ जनवरी, २००३ को खंभात तहसील के गोलाणा से शुरू हुई थी और वह गुजरात के स्थापना दिवस १ मई को अहमदाबाद जिले की साणंद तहसील के नानी देवत्ती गांव में पूरी हुई थी। यह पदयात्रा गुजरात की ४५ तहसीलों के ५०० गांवों में घूमी थी। आज भी गांवों में दलितों को अलग रकाबी में चाय दिलाई जाती है। उसे 'रामपातर' कहा जाता है। अस्पृश्यता के प्रतीक इस 'रामपातर' को छोडकर 'भीमपात्र' अपनाने हेतु यह पदयात्रा शुरू की गई थी। 'भीमपात्र' समानता के प्रतीक के रूप में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के नाम के साथ जुड़ा शब्द है। इस पदयात्रा के दौरान सामाजिक भेदभाव की समाप्ति उपजातिवाद का विरोध, स्त्री-पुरुष समानता और शिक्षा-प्रसार आदि-प्रयोजन रखे गए थे और पदयात्रा के दौरान लगभग डेढ़ लाख से अधिक लोगों से सम्पर्क किया गया था।

इस पदयात्रा में तथा आंदोलन में जुड़ने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से यह प्रतिज्ञा लेनी थी कि 'मैं आज से जीवित रहने तक रामपातर में चाय नहीं पीऊंगा और किसी को भी नहीं पिलाऊंगा।' जिस दिन व जिस स्थान से यह पदयात्रा शुरू हुई थी, उसका भी महत्त्व था। २५ जनवरी को ही १९८६ में गोलाणा में चार दलितों की हत्या हुई थी। उस दिन शहीदों की समाधि पर श्रद्धांजलि दी गई थी तथा गोलाणा ग्राम पंचायत के सामने के चौक में सार्वजनिक सभा आयोजित की गई थी। इस आंदोलन में जुड़ने वाले सदस्यों ने आगे आकर अपने द्वारा उपयोग में लिये जाने वाले रामपातर को सब के सामने फेंक कर उसका त्याग किया था। उसके बाद भीमपात्र में चाय या प्रसाद लेकर इस आंदोलन की शुरूआत की थी। मनुष्य-मनुष्य के बीच की समानता में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए यह कार्यक्रम खुला था। अधिक जानकारी हेतु लिखें: रश्मि जे. पंड्या, राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान, २ रुचित एपार्टमेंट्स, धरणीधर देरासर के पीछे, सूरज पार्टी प्लोट के सामने, बासणा, अहमदाबाद-३८० ००७. फोन: ६६०७३५२, फैक्स: ६६३०८७२, ईमेल: martin@icenet.net.

## पुलिस हिरासत में आदिवासी की मृत्यु

मध्य प्रदेश के बडवानी जिले की निवाली तहसील के गुमड़िया खुर्द गांव के ३५ वर्षीय युवक खेमला की पुलिस हिरासत में पुलिस की मार से मृत्य हो गई थी। वह सेंधवाना 'आदिवासी मुक्ति संगठन' का सदस्य था। खेमला पर चोरी का आरोप लगाया गया था। पुलिस उसको १४ जून को प्रातःकाल उसके घर से पकड़कर ले गई थी। उसे हथकड़ी पहनाई थी और जिन दूसरों को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया गया था, उनके सामने ही उसे बुरी तरह से पीटा गया था। उसके भाई को भी उसी आरोप में पुलिस हिरासत में रखा गया था। उसका नाम सायबा है। खेमला के साथ जो हुआ था, उसे सायबा ने अपनी आंखों से देखा था। अब सायबा ने खेमला को पीने का पानी देने का प्रयास किया, तो सब-डिवीजनल पुलिस अफसर ने उसके पेट में लात मारी थ। सायबा ने ये सारी बातें 'आदिवासी मुक्ति संगठन' को बताई थी।

खेमला तब तुरंत बेहोश हो गया था। पुलिस तब उसे लॉक-अप से बाहर घसीट कर लाई थी। बाद में उसे स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया था और वहां से बाद में बडवानी के सरकारी अस्पताल

में ले जाया गया था। हालांकि उसी समय डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह मरा हुआ था। 'आदिवासी मुक्ति संगठन' द्वारा जो निवेदन प्रकाशित किया गया उसमें बताया था कि बाद में पुलिस खेमला के घर गई और उनकी पत्नी से कहा कि वह गंभीर बीमार है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। बाद में उसे बडवानी के सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में ले जाया गया और खेमला की लाश को पहचानने को कहा गया। ऐसा भी आक्षेप लगाया गया है कि पुलिस ने जबरन उससे कोर्ट कागज पर अंगूठा लगवा लिया और लाश उसे सौंप दी। बाद में पुलिस हिरासत में से दूसरे लोगों को छोड़ दिया गया, जिन लोगों ने अपनी नजरों से खेमला को पीटने की घटना देखी थी। पुलिस ने उनको बहुत दूर चले जाने और तीन-चार महीने तथा उस इलाके में न आने को कहा।

खेमला की मृत्यु के संदेहास्पद संयोग से उस इलाके के रहने वाले सभी आदिवासी उत्तेजित थे। उन्होंने अपना रोष प्रकट करने के लिए कलैक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया। अभी यह जानने को मिला है कि खेमला की पिटाई करने के समय जो पुलिस अधिकारी उपस्थित थे, वे छिपते फिर रहे हैं। आदिवासी उन पुलिस अधिकारियों की तत्काल धरपकड़ की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष इसकी शिकायत की गई। साथ ही, 'आदिवासी मुक्ति संगठन' द्वारा स्थानीय पुलिस केंद्र में शिकायत दर्ज करवाई है। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी आरोपी अधिकारियों की धरपकड़ नहीं की, यह गंभीर बात है। इस केस के संदर्भ में तत्काल जांच-पड़ताल व धरपकड़ की मांग आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मुख्यमंत्री और एस.सी., एस.टी. आयोग के सामने दर्ज करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें: श्री बिजय पंडा, 'आदिवासी मुक्ति संगठन', हाडसिंग बोर्ड कोलोनी, सेंधवा, जि. खारगोन, मध्य प्रदेश. फोनः ०७२८१-२२२१८४.

## राजस्थान में पंचायतों को मजबूत करने के प्रयास

राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने पंचायतों को मजबूत करने के लिए हाल ही में जो निर्णय लिये हैं, उनका क्रियान्वयन तीन महीनों में हों, इसके लिए आदेश दिये हैं। निर्णय के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया गया है। १६ जून को एक उच्चस्तरीय बैठक में पंचायतों को अधिक अधिकार देने के बारे में राज्य सरकार ने निर्णय लिया था। राज्य मंत्रिमंडल के ६ एवं ७ जून के बीच आयोजित 'चिंतन शिविर' के पश्चात् वह बैठक हुई थी। नयी योजना के अनुसार जिला परिषद ग्राम विकास के केन्द्र में रहेगी जिला ग्राम विकास संस्थाओं को जिला परिषद में मिला देने का प्रस्ताव है। इसके उपरांत, पंचायत को कार्य-सक्षम प्रशासन व तकनीकी अधिकारी मिलें, इसके लिए राजस्थान विकास एवं इंजीनियरी सेवाओं की स्थापना की जाएगी। ग्राम-विकास विभाग पंचायत राज विभाग में मिला दिया जाएगा और वार्षिक निजी प्रतिवेदन लिखने का जो अधिकार इस समय मुख्य प्रशासनिक अधिकारीयों और विकास अधिकारियों के पास है वह क्रमशः जिला परिषद के प्रमुखों और तहसील पंचायत के प्रमुखों को दी जाएगी।

एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि प्राथमिक शिक्षा को पूरी तरह से पंचायतों के नियंत्रण में ले लिया गया है। शिक्षकों की भर्ती जिला परिषद की स्थायी समिति के द्वारा होगी। इसी प्रकार भूमि संरक्षण व जलस्राव विकास विषयक तमाम प्रवृत्तियां भी जिला परिषद को सौंपी जाएगी। ग्राम पंचायतें आंगनवाड़ी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगी और बाल विकास अधिकारी तहसील पंचायत के नियंत्रण में काम करेंगे। तहसील पंचायतें राशनिंग दुकानों का आंवटन करेंगी और सरकारी मकानों के निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य व देखभाल का काम करेंगी।

जिला आयोजन समितियों को विकास के क्षेत्र में ग्रामीण व शहरी अंचलों में समन्वय हेतु मजबूत बनाया जाएगा। विविध विकासपरक योजनाओं और कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा तथा एकीकृत कोष पंचायतों को मिले, इसका प्रयत्न किया जाएगा। राजस्थान सरकार नें पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए पिछले चार वर्षों में अनेक प्रयत्न किये हैं और इस संदर्भ में चर्चा करने के लिए अगस्त २००२ में विधानसभा की एक खास बैठक आयोजित की थी। मंत्रिमंडल की एक उप समिति ने इस बारे में सरकार से अनेक अनुशंसायें की हैं।

## रोजगार तथा भोजन योजना के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की रोजगार योजना के बारे में

एक महत्वपूर्ण आदेश २-५-२००३ को जारी किया है। उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं, वे इस प्रकार हैं: (१) आरंभ में तीन माह की अवधि हेतु एस.जे.आर.वाई. (स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना) के अनुसार अनाज व नगद राशि का आवंटन दुगना करना, (२) अनाज-आधारित सामाजिक सुरक्षा के अंत्योदय कार्यक्रम में छः समूहों की वृद्धि करना। उसमें आदि जातियों व आश्रयविहीन विधवाओं का समावेश होता है। ये आदेश विशेष रूप से अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमेशा की तरह यदि लोगों का दबाव न आए तो उनका क्रियान्वयन भी न हो। एस.जी.आर.वाई. का विस्तार तत्काल न हो, यह देखा जाना जरूरी है। राहत कार्य में यह बात ध्यान में रखी जाए, यह आवश्यक है। पंचायतें नियमित रूप से तमाम विद्यार्थियों को पकाया हुआ स्वास्थ्यप्रद भोजन दे, इसके लिए उनकी क्षमता बढ़ानी जरूरी है।

बिहार सरकार के द्वारा अदालत में जो एफिडेविट दर्ज किया गया था, उसी के संदर्भ में सर्वोच्च अदालत ने ये आदेश दिये थे। १० जिलों में मध्याह्न भोजन योजना का अमल हो, इसके लिए भी उसने आदेश दिया था। वे बिहार के सबसे गरीब जिले हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड और अन्य राज्यों को उनके एक चौथाई जिलों में मध्याह्न भोजन योजना का क्रियान्वयन करने की बात कही गई है।

## 'विश्व व्यापार संगठन' को स्वैच्छिक संस्थाओं की चुनौती

'विश्व व्यापार संगठन' (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन-डब्ल्यू.टी.ओ.) की प्रधान परिषद् सितंबर २००३ में मेक्सिको के केन्कुन शहर में मिल रही है, तब स्वैच्छिक संस्थाएं इस परिषद् में भारत सरकार व अन्य गरीब देशों की सरकारें गरीबों के हितों की रक्षा करें, इसके लिए प्रयास किये हैं। विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में यह समझौता हुआ है कि उसके क्रियान्वयन हेतु जो एक नया मसौदा तैयार किया गया है, उसका स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा विरोध किया गया है। दुनियाभर की लगभग ५० संस्थाओं ने एक संयुक्त अनुरोध प्रकाशित करके उसका विरोध किया है। अनुरोध में निम्न मुद्दों का समावेश है:

(१) मसौदा खेती की पैदाइशों के व्यापार के नियम-ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं सुझाता। यह नियम किसानों का जबरदस्त नुकसान करता है और खेती हेतु न टिकने वाला मॉडल खड़ा करता है।

(२) मसौदा डम्पिंग को कानूनी ठहराता है। वास्तव में, उससे स्थानीय किसानों का बाजार नष्ट होता है और 'विश्व व्यापार संगठन' में इस गंभीर समस्या के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा गया।

(३) महिलाएं परिवार एवं समुदाय के पोषण में तथा अन्न उत्पादन में जो भूमिका अदा करती हैं, उनको भी ध्यान में नहीं लेता। मसौदे के क्रियान्वयन से महिला किसानों का विस्थापन हो, पारिवारिक व राष्ट्रीय स्तर पर अधिक अन्न असुरक्षा पैदा हो जाए, ऐसी संभावनाएं हैं।

(४) खेती की पैदावार पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण बढ़े तथा खेती की पैदावार के भाव किसानों हेतु दुनिया भर में हानिकारक ढंग से घटें, ऐसी व्यवस्था इस मसौदे में है।

इस अनुरोध में अमेरिका व यूरोपीय संघ के द्वारा खेती के क्षेत्र में जो शोषण हो रहा है, उसकी निंदा की गई है तथा यह मांग की गई है कि देशों को खेती की पैदावार के आयात पर कर लगाने व नियंत्रण रखने की छूट मिले। अधिक विवरण हेतु सम्पर्क करें: 'पैरवी', ई-२१/२२४-२२५, दूसरी मंजिल, सेक्टर-३, रोहिणी, नई दिल्ली-११००८५, फोनः ०११-२२५११३८५, ईमेलः paidvidelhi @rediffmail.com

## स्वैच्छिक संस्थाओं में सुशासन विषयक पद्धतियों के संबंध में कार्यशाला

भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है परंतु उसे लोगों का उतना विश्वास नहीं मिला है। कंपनियां सुव्यवस्थित नियमों, नियमनकारी संस्थाओं तथा निम्नतम ध्येयों के आधार पर लोकस्वीकृति रखती हैं। सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा लोगों के प्रति दायित्व निभाती है। परंतु दुर्भाग्यवश स्वैच्छिक क्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या किया जाना अभी बाकी है और नियमनकारी व्यवस्था भी नहीं है। अतः उसकी विश्वसनीयता नहीं बन पाती। अतः स्वैच्छिक क्षेत्र आत्मनियमन हेतु तंत्र निर्मित करे, ऐसा जरूरी हो गया है। उसके लिए पद्धतियां बने, वे स्वीकृत हों, उन्हें प्रोत्साहन मिले और प्रामाणिक हों, यह आवश्यक है। इस बारे में चर्चा करने

हेतु २१.६.२००३ को अहमदाबाद में अंधजन मंडल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के उद्देश्य इस प्रकार थे: (१) बुनियादी क्षेत्रों में काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं में पारदर्शिता व विश्वसनीयता बढ़ाने की जरूरत (२) 'क्रेडिबिलिटी एलायन्स' द्वारा निर्मित लघुतम पद्धतियों का परिचय कराते हुए उनका महत्व समझना। (३) 'क्रेडिबिलिटी एलायंस' के हेतुओं के साथ सहभागी बनने विषयक तत्परता। (४) सहभागी संस्थाओं की इस प्रक्रिया हेतु प्रतिक्रिया और उनकी प्रतिबद्धता।

'क्रेडिबिलिटी एलायंस' सौ से भी अधिक स्वैच्छिक संस्थाओं का मंच है। यह स्वैच्छिक संस्थाओं में विश्वसनीयता का स्तर स्थापित करने हेतु स्थापित की गई है। उसकी प्रथम बैठक दिसंबर २००१ में आयोजित की गई थी। उसके बाद उसकी पहली बैठक राजकोट में हुई थी। उसमें शामिल होने से स्वैच्छिक संस्थाओं को इस प्रकार लाभ हो सकता है: (१) संघ भावना उत्पन्न होगी। (२) सदस्य के पद का स्तर व प्रतिबद्धता उत्पन्न होगी, जिसके कारण से कुशलता आएगी और प्रभावी विश्वसनीयता जन्मेगी। (३) संस्थाओं को अपनी जरूरत के मुताबिक क्षमता बढ़ाने हेतु सहायता दी जाएगी। (४) आर्थिक व अन्य सहायता की संभावना बढ़ेगी और उसके लिए स्वैच्छिक संस्थाओं की प्रार्थना पर ध्यान दिया जाएगा। (५) स्वैच्छिक संस्थाओं को अधिक सूचनाएं मिलेंगी। प्रस्तुत कार्यशाला का आयोजन 'अंधजन मंडल' और 'गिव फाउंडेशन' द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें: सुश्री पुष्पा अमनसिंह, गिव फाउंडेशन, ६१३-६१५, जे.बी. टावर, ड्राइव इन रोड, अहमदाबाद-३८००५४. फोन: ०७९-६८५३९५६, ६८५५६६७. फैक्स: ०७९-६८५५६१०. ईमेल: info@givefoundation.org

## पंचायत महिला सम्मेलन

शिहोर तहसील में पंतायती राज में महिलाओं की भूमिका विकासलक्ष्यी तथा सक्रिय बनाने हेतु, १९९९ में 'आनंदी' संस्था के द्वारा पंचायत महिला सूचना केन्द्र का आरंभ किया। उसके द्वारा सतत जागृति अभियान और पंचायती राज द्वारा जुड़ी महिलाओं की जागृति तथा क्षमता बढ़ाने वाले कार्यक्रम हाथ में लिये गए और हाल के चुनावों के दौरान उनके परिणाम स्पष्ट रूप से उभर कर आए। शिहोर तहसील के १२ गांवों में सरपंच हमेशा निर्विरोध चुनकर आते थे। उनमें से ९ गांवों में महिला सरपंच उम्मीदवार हेतु पहली बार चुनाव किये गए। यही नहीं पंचायत महिला सूचना केंद्र के प्रयत्नों से १८ महिला उम्मीदवारों ने सरपंच के रूप में चुनाव लड़ा था। उनमें से ९ महिला उम्मीदवार सरपंच के रूप में चुनी गई।

महिलाओं की मूल्य आधारित राजनीतिक प्रतिभा उभरने हेतु 'पंचायत महिला सूचना केन्द्र' तथा 'आनंदी' संस्था द्वारा राज्य भर की १५ संस्थाओं के सहयोग से पंचायत महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। देवगढ़ (देवगढ़ बारिया), ग्राम्य विकास ट्रस्ट (द्वारका), नवज्योत महिला विकास कार्यक्रम (गढडा), स्वराज (जसदण), माहिती (भावनगर), कच्छ महिला विकास संगठन (भुज), मानव कल्याण ट्रस्ट (खेडब्रह्मा), बिरादरी (जामनगर), प्रतिकार ट्रस्ट (सावली), महिला स्वराज अभिया (अहमदाबाद), असाग (अहमदाबाद), जनपथ (अहमदाबाद), हंगर प्रोजेक्ट (अहमदाबाद), वेडछी प्रदेश सेवा समिति (सूरत), उन्नति (अहमदाबाद) के सहयोग से 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' के लिए से ७ व ८ मार्च को शिहोर के पास बण्डावड गांव में सच्चिदानंद गुरुकुल में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें पूरे जिले से लगभग २५० महिला पंचायत सदस्यों, सरपंचों तथा लगभग २५० महिला संगठनों के सदस्यों को मिलाकर लगभग ५०० महिलाओं ने भाग लिया था तथा पंचायती राज में मूल्य आधारित स्वच्छ, न्यायप्रिय राजनीति के क्रियान्वयन के बारें में उसमें चर्चा-परिचर्चा की थी। ७ मार्च को प्रातः ११ बजे शिहोर तहसील पंचायत कार्यालय से महिलाओं की

विशाल रैली का आयोजन किया गया था। जबकि १२.३० से १.३० के मध्य सम्मेलन का उद्घाटन दीप-प्रज्वलन विधि से सम्पन्न हुआ। हाल में चुनावों की विजेता महिला सरपंचों को ताज पहना कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व सरपंच प्रकाशबा, 'पश्चिम भारत पंचायती राज मंच' के प्रतिनिधि श्री राजेशभाई भट्ट, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की सुश्री ईलाबेन मेहता, 'नया मार्ग' के तंत्री श्री इंदुकुमार जानी, भावनगर के जिला समाहर्ता श्री कांतिलाल जे. पटेल, शिक्षाविद् सुश्री दमयंतीबेन, महिला स्वराज अभियान के श्री लल्लुभाई देसाई विशेष रूप से उपस्थित थे।

'चूल्हे से चौक तक' शीर्षक के अधीन महिलाओं ने अलग-अलग समूह में अग्रणियों, विचारकों एवं विद्वानों के साथ चर्चाएं की तथा परस्पर अनुभव का आदान-प्रदान किया था। रात को ८ से १० के बीच सुश्री सरूप ध्रुव का लिखा तथा श्री राजू बारोट का निर्देशित सरपंच महिलाओं के संघर्ष व सफलता की गाथा कहा जाने वाला नाटक 'कंचन करेगी गांव को कंचन' मंचित किया गया था। सम्मेलन के अंतिम दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सरपंचों ने अपनी-अपनी अनुभव गाथा कही थी। सुश्री मीराबेन भट्ट ने विशेष भाषण दिया था। इस सम्मेलन के अंत में 'आनंदी' संस्था द्वारा किये गए पंचायती राज में सक्रिय महिलाओं के अनुभव तथा 'चूल्हे से चौक तक' व महिला सूचना केंद्र से मंच तक की विकासयात्रा के दस्तावेज स्वरूप 'महिला एवं स्वशासनः समान अवसर की खोज में' नामक पुस्तिका का लोकार्पण आयोजित किया गया था।

## राजस्थान में कालबेलिया समुदाय का धरना

कालबेलिया नामक समुदाय मदारियों का समुदाय है। वह जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जालोर जिलों में देखा जाता है। जोधपुर जिले में वे ९ तहसीलों में रहते हैं। जोधपुर जिले में उनकी आबादी लगभग ६००० है। मदारी के व्यवसाय के अलावा वे बीन बजाते हैं। बाकी की आर्थिक प्रवृत्तियां समुदाय की महिलायें करती हैं। बालिकाएं बीन के स्वर पर नाचती हैं और लोगों का मनोरंजन करती हैं। कालबेलिया नृत्य दुनियाभर में विख्यात है। बहुत कम कालबेलियों के पास जमीन होती है अतः वे खेती नहीं करते। यह जाति घुमंतू है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। मदारी का खेल दिखाती है और भीख मांगती है। उनकी मुख्य समस्या पहचान का संकट है। उनको 'अन्य पिछड़ी जाति' (ओबीसी) में गिना जाता, जबकि उन्हें अनुसूचित जाति (एस.सी.) का गिना जाना चाहिए। उनके नाम के पीछे 'नाथ' लगता है, और 'नाथ' को ओबीसी में समावेश किया गया है। परिणाम स्वरूप अनुसूचित जाति संबंधी सरकारी कार्यक्रमों का लाभ उन्हें नहीं मिलता।

दूसरा एक सवाल यह है कि उनको ओबीसी गिना जाता है, अतः उनकी जमीन ओबीसी के तथा सवर्ण लोगों ने खरीद ली। यदि वे अनुसूचित जाति में गिने जाते तो उनकी जमीन बेची न जाती, क्योंकि उनकी जमीन दूसरा कोई खरीद नहीं सकता, ऐसी कानूनी व्यवस्था है। साथ ही, समुदाय की लड़कियां नृत्य के लिए विदेश यात्रा पर जाती हैं। यह नृत्य कार्यक्रम एजेंटों द्वारा आयोजित किया जाता है, इस कारण से उनका शोषण होता है। 'दलित संसाधन तथा सूचना केंद्र' द्वारा उनकी पहचान का प्रश्न उठाया गया है। सितंबर २००२ से जोधपुर जिले की मंडोर, ओसियां, बिलाड़ी व शेरगढ़ तहसीलों में केन्द्र के सदस्यों ने एक सर्वेक्षण हाथ में लिया था। जिनके पास अनुसूचित जाति का जाति-प्रमाणपत्र न हो ऐसे ५० परिवार ढूंढ निकाले गए थे। सर्वेक्षण के दौरान ओसियां तहसील में रामपुरा ग्राम पंचायत में भोमनाथ सरदारनाथ कालबेलिया को जिला प्रशासन तंत्र द्वारा अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र दिया जा चुका है, ऐसा पता लगा। अतः ऐसा लगा कि कालबेलिया समुदाय को अनुसूचित जाति का माना जा सकता है।

३१.५.२००३ को जिला स्तर पर कालबेलिया समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग के साथ धरना आयोजित किया गया। ऐसी मांग की गई कि जोधपुर जिला प्रशासन इस प्रकार का प्रमाणपत्र जारी करने की जिम्मेदारी ले। जिला कलेक्टर ने सभी तहसीलों के तहसीलदारों को कालबेलिया समुदाय को जाति प्रमाणपत्र तैयार करने का आदेश दिया। उसने नया आदेश दिया कि 'नाथ' शब्द नाम में आने वाला ओबीसी का 'नाथ' समुदाय नहीं होता, वरन् वह कालबेलिया समुदाय का होगा, ऐसा ध्यान रखा जाए। पटवारी व ग्राम पंचायत इस बारे में सावधानी बरत सकते हैं।

## ग्राम-पंचायत पारितोषिक-२००३ हेतु नामांकन

डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर (डी.एस.सी.) अहमदाबाद बाद पिछले ९ वर्षों से ग्राम विकास के क्षेत्र में कार्यरत है। डी.एस.सी. संस्था प्राकृतिक संसाधनों के विकास के साथ सम्बद्ध लोक केंद्रित संस्थाओं, कार्यक्रमों तथा नीति-नियमों को समर्थन देती है। संस्था के अध्यक्ष के रूप में श्री अनिलभाई हैं, जो पांच दशकों से भी अधिक समय से ग्राम विकास के विविध स्तर पर कार्यरत रहे हैं। श्री अनिलभाई के ७५ के होने पर उनके परिजनों, मित्रों व शुभचिंतकों के सहयोग से डी.एस.सी. के उपक्रम से ग्राम-विकास-पारितोषिक फंड शुरू किया गया है। उसमें से तीन योजनाएं सोची गई हैं: (१) ग्राम विकास पारितोषिक (२) ग्राम विकास फेलोशिप (३) जीवन में प्रतिभावान एवं कार्यशील व्यक्तियों को अपने सार्वजनिक जीवन, समाज-जीवन के संस्मरण लिखने हेतु सहायता योजना। वर्ष २००३ के ग्राम विकास पारितोषिक हेतु नामांकन मंगाये गए हैं। उसका विवरण १० अगस्त २००३ तक डी.एस.सी. को भिजवाने हैं।

### ग्राम विकास पारितोषिक

ग्राम विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्थाओं को प्रति वर्ष ५०,०००/- का पारितोषिक और प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। व्यक्तिगत पारितोषिक हेतु ३०-४५ आयु वर्ग तय किया गया है। पारितोषिक का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को शेष कार्यकाल के दौरान अधिक उत्तम काम करने हेतु प्रोत्साहन करना है। संस्था की स्थिति में, अच्छा काम करने वाली कम जानी-पहचानी, लेकिन उल्लेखनीय काम करने वाली संस्थाओं की सिद्धियों को प्रकाश में लाकर दूसरों को प्रेरित करने का प्रयोजन है।

१. सार्वजनिक, निजी व स्वैच्छिक सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति संस्थाएं पारितोषिक के पात्र माने जायेंगे।
२. गुजरात राज्य के किसी भी भाग में ग्राम विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाला व्यक्ति/संस्था इस पारितोषिक के पात्र माने जाएंगे।
३. व्यक्ति कम से कम ७ से १० वर्ष तक और संस्था १० से १५ वर्ष तक काम कर चुके होने चाहिए।

अधिक विवरण के लिए सम्पर्क करें: डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर, २ प्रकृति एपार्टमेंट्स, रेड रोज रेस्टोरेंट के सामने, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-३८० ००९, फोन: ०७९-६३०५२५५

## पृष्ठ 24 का शेष भाग

७. प्रोविडेंट फंड कानून सभी प्रकार की इकाइयों पर लागू हो, यह जरूरी है। उसमें रोजगार की मर्यादा १० वर्ष की करनी चाहिए। तदुपरांत ३ से ५ वर्ष में ५ वर्ष की करनी चाहिए और उसके बाद की संक्षिप्त अवधि में उसे १ वर्ष का करना चाहिए।
८. कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) में से राशि पहले निकलवाने हेतु मर्यादित व्यवस्था की जानी चाहिए।
९. ग्रेच्युटी भुगतान कानून को कर्मचारी भविष्यनिधि कानून में समाहित कर लेना चाहिए और उसका सामाजिक बीमा योजना में रूपांतरण होना चाहिए।
१०. ग्रेच्युटी, बेकारी लाभ, ले-ऑफ तथा छंटनी के मुआवजे हेतु व्यवस्था की जाने वाली एक समन्वित बीमा योजना बनानी चाहिए। उसका क्रियान्वयन भविष्य निधि संगठन करे।
११. वृद्धावस्था के लिए बचत के साथ जुड़ी पेंशन योजना तैयार की जानी चाहिए। वृद्धों हेतु राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए।
१२. कृषि मजदूरों हेतु कल्याण-कोष और रोजगार बोर्ड का गठन करना।
१३. शारीरिक दृष्टि से अपंग लोगों हेतु पेंशन की एक राष्ट्रीय योजना बनाना। इसी भांति रक्तपित्त वालों के लिए भी राष्ट्रीय योजना बनाना और उसमें मासिक पेंशन २०० रु. तय करना।
१४. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्राधिकरण' का गठन करना। वह सामाजिक सुरक्षा के बारे में राष्ट्रीय नीति बनाये और केंद्र तथा राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का संचालन करे। श्रम मंत्रालय में भी सामाजिक सुरक्षा विभाग शुरू किया जाए।
१५. अलग-अलग मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा सामाजिक सुरक्षा विषयक जो विविध कार्यक्रम चलते हैं उन सबको समेटती हुई सामाजिक सुरक्षा खड़ी की जानी चाहिए।
१६. 'भारतीय सामाजिक सुरक्षा कोष' का गठन केंद्रीय स्तर पर हो। उसी नीति से प्रत्येक राज्य के स्तर पर ऐसे कोष की स्थापना की जाए।

# संदर्भ सामग्री

## द राइट टू नो - ए वोटर्स गाइड

भारत में राजनीति के अपराधीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही है। अपराधी चुनावों में खड़े हो जाते हैं और सत्ता में आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को रोकने हेतु मतदाता उम्मीदवारों के बारे में तथा चुनाव की समग्र प्रक्रिया के बारे में जानकार बनें, यह जरूरी है। हरेक आदमी यह जानना चाहता है कि वह किसे वोट दे रहा है। इस संदर्भ में यह पुस्तक मतदाताओं को मार्गदर्शन देने का प्रयास करती है। चुनाव की राजनीति को स्वच्छ बनाने में जिनकी रुचि है, जो अपने अधिकार व जिम्मेदारियां समझना चाहते हैं और चुनाव-सुधार संबंधी वर्तमान चर्चा के बारें में जो जानकार होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मददगार होने का उद्देश्य इस पुस्तक का है। स्वच्छ प्रतिभा वाले उम्मीदवार संसद तथा विधानसभाओं में चुने जायें, इस तरह के राष्ट्रव्यापी अभियान में जुड़ने हेतु यह पुस्तक नागरिकों को प्रेरणा देती है। सुशासन संबंधी नागरिकों के अधिकार विषयक स्वैच्छिक संस्थाओं के अनुभव, शोध, प्रतिबद्धता के आधार पर यह पुस्तक तैयार की गई है।

प्रथम प्रकरण भारत में चुनावों के बारे में है। उसमें चुनाव प्रथा, मतदाता सूचियों, चुनाव प्रथा में धन की ताकत, सुधार हेतु प्रयासों आदि मुद्दों का समावेश किया गया है। उसमें मतदाता सूची की छानबीन किस तरह की जाति है, इसका परिशिष्ट भी दिया गया है।

दूसरा प्रकरण चुनाव में पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों के बारे में हैं। उसमें समस्या क्या है, नागरिकों द्वारा सुधारों हेतु किये गए प्रयासों, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, राजनीतिक दलों के मंतव्य, सरकार के झुकाव आदि की चर्चा की गई है।

तीसरा प्रकरण मतदाताओं के सूचना अधिकार व चुनाव कानून के बारे में है। उसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, उसमें २००० में किये गए सुधारों, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश तथा चुनाव आयोग के आदेश व मतदाताओं की जिम्मेदारियों के विषय में ब्यौरा दिया गया है। चौथा प्रकरण सुधार हेतु नागरिक समाज के प्रयासों के विषय में है। उसमें 'एसोशियेशन ऑव् डेमोक्रेटिक रिफोर्म्स' (एडीआर) द्वारा २००२ के गुजरात के चुनावों के समय किये गए प्रयासों का विवरण दिया गया है। उसमें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का विश्लेषण भी किया गया है।

सम्पूर्ण पुस्तक में तालिका व बॉक्स आइटम दिये गए हैं। उसमें लगभग १७ फोटो व ११ कार्टून दिये गए हैं। प्रजातंत्र और उसे मजबूत बनाने में रुचि लेने वाले तमाम लोगों के लिए यह उपयोगी सिद्ध होगी।

लेखक: माजा दारूवाला, बिभू मोहपात्र, वेंकटेश नायक। प्रकाशक: कोमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशियेटिव तथा वाणी। पृष्ठ ४८, प्राप्ति स्थान: ४५७, तीसरी मंजिल, चिराग दिल्ली, नई दिल्ली-११० ०१७. फोन: ०११-२६४४३२६१, २६४४३२६०, ईमेल: vani@nda.vsnl.net.in.

## धर्मवाद की राजनीति

यह पुस्तक भारत में धर्मवाद और कौमवाद की राजनीति कैसे-कैसे मोड़ ले रही है, उसकी विशद समझ प्रदान करती है। मुख्य रूप से इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे प्रेरित संस्थाओं की नीति-रीतियों पर प्रहार किया गया है। लेखक कहता है कि 'संघ परिवार के सामाजिक आधार किस तरह विस्तृत हुए, इसका सचित्र विवेचन इस पुस्तक में' हुआ है। यह पुस्तक मूल मराठी भाषा में लिखी गई थी और मराठी भाषा में इसकी दो आवृत्तियां प्रकाशित हो चुकी थीं।

पुस्तक में १० प्रकरण हैं:

(१) बाबरी मस्जिद तोड़ी गई

(२) मस्जिद तोड़े जाने के बाद की हिंसा

(३) भारतीय समाज: समन्वयी संस्कृति

(४) धर्मवाद: उदय और विकास
(५) मुस्लिम धर्मवाद की राजनीति
(६) हिंदू महासभा और संघ परिवार
(७) सामाजिक जागृति पर प्रभाव
(८) हिन्दुत्व और शोषित-पीड़ित-उपेक्षित समाज
(९) हिन्दुत्ववादी राजनीति आखिर क्या है?
(१०) धर्म निरपेक्षता के आंदोलन के समक्ष चुनौतियां।

मूल लेखक: राम पुनियानी. अनुवादक: तलसी बोडा, सहायक: जगदीश पटेल और जगदीश शाह. प्रकाशक: वडोदरा शांति अभियान. मुख्य विक्रेता: यज्ञ प्रकाशन समिति, भूमिपुत्र, हुजरतपागा, वडोदरा-३९० ००१, मूल्य ३० रु.

## भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र पर विश्वास को बढ़ाने के लिए मानवदंडों का प्रारूप

'क्रेडिबिलिटी एलायन्स' नामक स्वैच्छिक संस्थाओं तथा नेटवर्क्स का एक संघ है, जो स्वैच्छिक क्षेत्र में उत्तम प्रशासन को प्रोत्साहन देता है और सामान्य लोगों की नजर में स्वैच्छिक क्षेत्र की विश्वसनीयता बढ़ाने हेतु प्रयत्नशील है। हिन्दी में प्रकाशित इस पुस्तक में उसने विश्वसनीयता को बढ़ाने वाले कई मानदंडों की रूपरेखा दी है। वह कइ मानदंड निर्धारित करना चाहता है। इसके लिए पिछले अनुभवों का अध्ययन कराया गया है। इसके अलावा, फरवरी २००२ में बेंगलूर में और जुलाई २००२ में मुंबई में जो दो कार्यशालाएं इस विषय में आयोजित की गई थी, उसमें किये गए विचार-विमर्श को भी इसे ध्यान में रखा गया है।

देश की लगभग १५००० स्वैच्छिक संस्थाओं में मानदंडों की एक रूपरेखा बाद में वितरित की गई थी और उसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। अगस्त २००३ तक में देश की लगभग २००० संस्थाओं के सम्पर्क करके इन मापदंडों के विषय में जानकारी देने का आयोजन है। उनका अभिप्राय भी इस बारे में मांगा जाएगा। इस पुस्तिका में नौ प्रकरण हैं: 'क्रेडिबिलिटी एलायन्स' के बारे में पूछे जाने वाले सवालों के उत्तर, प्रक्रिया, मूल्य, मापदंड, काम की उत्तम रीति (वार्षिक विवरण, कार्यवाहियां, हिसाबी पद्धति, हिसाब-किताब का वार्षिक विवरण), फीडबैक फार्म, मापदंडों के बारे में प्रतिबद्धता, मापदंडों की रूपरेखा तैयार करने में शामिल संस्थाओं और क्रेडिबिलिटी एलायन्स का सम्पर्क किस तरह करेंगे।
सम्पर्क: 'क्रेडिबिलिटी एलायन्स', वोलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया, ४५७, तीसरी मंजिल, चिराग दिल्ली, नइ दिल्ली-११० ०१७. फोन: ०११-२६४४३२६०, २६४४३२६१, २६२१५२६८ फैक्स: २६६८१६७८, ईमेल: info@credibilityalliance.org.

## आर्गेनाइजेशनल बिहेवियर

गैर-सरकारी विकासलक्ष्यी संस्थाओं हेतु एक तंत्र इस अंग्रेजी पुस्तक में दिया गया है। इसका आमुख नीदरलैंड्स के 'नोबिब' के प्रशासनिक निर्देशक सुश्री सिल्विया बहन द्वारा लिखा गया है और इसकी प्रस्तावना 'दक्षिण के स्वैच्छिक विकासलक्ष्यी संगठनों के संदर्भ में ज्ञान निर्माण' शीर्षक के अंतर्गत दिल्ली की 'प्रिया' के अध्यक्ष श्री राजेश टंडन द्वारा लिखा गया है। पुस्तक में कुल छह प्रकरण हैं:
(१) गैर-सरकारी विकासपरक संगठनों का स्वरूप
(२) संगठनात्मक व्यवहार और गैर-सरकारी विकासपरक संगठनों का भविष्य
(३) गैर सरकारी विकासपरक संगठनों की संगठनात्मक समस्याएं
(४) गैर-सरकारी विकासपरक संगठनों की प्रभावोत्पादकता की समझ
(५) संगठनात्मक विकास और उसकी प्रक्रियाएं
(६) संगठनात्मक विश्लेषण की जरूरत: संगठन के प्रभावी विकास हेतु पूर्व शर्त।

पुस्तक में लगभग १६ चार्ट्स देकर प्रस्तुति की गई है। पुस्तक के अंत में लगभग १५ परिशिष्ट दिये गए हैं। इसके अलावा ८५ पारिभाषिक शब्दों की सूची दी गई है और संक्षेप में उन्हें समझाया गया है। बाद में इसी विषय से संबंधित विविध पुस्तकों की संदर्भ सूची दी गई है। स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं के लिए यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी है। साथ ही संस्था के विकास संबंधी प्रशिक्षण के लिए भी यह पुस्तक बहुत उपयोगी है।

लेखक: प्रेम चड्ढा, जगदनंदा, गायत्रीलाल, प्रकाशक: सेंटर फोरयूथ एंड सोशियल डेवलपमेंट, ई-१, इंस्टीट्यूशनल एरिया, भुवनेश्वर-७५१ ०१३.

विगत तीन माह के दौरान 'उन्नति' के वर्तमान कार्यक्रमों एवं ढांचे की समीक्षा की गई। कार्यक्रमों का पुनर्गठन निम्न प्रकार से किया गया है। अब तीन कार्यक्रम होंगे:

**(१) सामाजिक जुड़ाव एवं सशक्तिकरण इकाई** (सेंटर फॉर सोशियल इंक्लुजन एंड एम्पावरमेंट- सी.एस.आई.ई.)। विकास की प्रक्रिया में दलित, महिलाओं, विकलांगों तथा अल्पसंख्यक वर्गों के सामाजिक समावेश से जुड़े प्रश्नों व मुद्दों पर विभिन्न कार्यकर्ताओं को अधिक संवेदनशील तथा सक्षम बनाने के लिए यह केन्द्र अनेक गतिविधियाँ आयोजित करता है। **(२) स्थानीय स्वशासन इकाई** (सेंटर फॉर स्ट्रेंथनिंग लोकल सेल्फ गवर्नेन्स - सी.एस.एल.जी.)। यह केन्द्र लोक सहभागिता को बढ़ावा देने तथा उसे जवाबदेह व पारदर्शी स्थानीय स्वशासन के निर्माण हेतु प्रयासरत है जिससे सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो। **(३) विशेष क्षेत्रीय परियोजना** (स्पेशियल एरिया प्रोजेक्ट्स - एस.ए.पी.)। इस परियोजना के अंतर्गत गुजरात में ज़िला कच्छ, साबरकांठा और अहमदाबाद तथा राजस्थान में ज़िला बाड़मेर व जोधपुर में कुछ अंचल की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं तथा समुदाय के साथ प्रत्यक्ष काम किया जाता है। पिछले तीन माह में की गई गतिविधि इस प्रकार हैं:

## (१) सामाजिक जुड़ाव एवं सशक्तिकरण इकाई

### विकलांगता के मुद्दे पर समावेश हेतु सभ्य समाज की भागीदारी

गुजरात में विकलांगता के मुद्दे पर समावेश के बारे में सभ्य समाज में समूहों को अभिमुख करना और संवेदनशील बनाने की हमारी व्यूहरचना के भाग रूप में 'चरखा' के सहयोग से विकलांगता व विकास के बारे में मीडिया के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इसके परिणाम स्वरूप मुद्रित माध्यमों में इस मुद्दे पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले अनेक लेख प्रकाशित हुए।

विकलांगों हेतु अवरोधमुक्त स्थान खड़े करने हेतु एक सभा के अनुसंधान में उपस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैंट को अवरोधमुक्त बनाने संबंधी व्यवस्था उपस्थित हुई।

राज्य के चार जिलों के ५२ गांवों में १३ सहभागी संस्थाओं द्वारा पी.आर.ए. कराया। विकलांगता संबंधी स्थिति तथा विचार संबंधी सूचना का अब विश्लेषण किया जा रहा है।

### दृष्टिकोण निर्माण के बारे में प्रशिक्षण

गुजरात तथा राजस्थान के कार्यकर्ताओं हेतु ७-९ अप्रैल २००३ के दौरान दृष्टिकोण निर्माण के बारे में एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। उसका मुख्य उद्देश्य दलितों, विकलांगों और महिलाओं जैसे वंचित समूहों का समावेश करने के विषय में उनको अभिमुख करना था। विकास की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़े, यह उसका उद्देश्य था। इसमें १२ संगठनों से ३७ सहभागियों ने भाग लिया।

### शांति एवं संवादिता को प्रोत्साहन

'केयर' के 'गुजरात हार्मनी प्रोजेक्ट' हेतु हमने कार्यक्रम के आयोजन के लिए सहयोग देना जारी रखा है। देखरेख के लिए सूचक विकसित करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। समुदाय के स्तर पर संवाद पैदा करने के लिए एक प्रशिक्षण कार्य निर्मित किया गया था। प्रो. टी. के. ऊमेन और प्रो. देवव्रत पाठक जैसे अग्रणी विद्वानों ने यह कार्यक्रम निर्मित करने में योगदान दिया था। 'केयर' और 'त्रिभुवनदास फाउंडेशन' द्वारा इस कार्यशाल का आयोजन हुआ था।

## (२) स्थानीय स्वशासन इकाई

### रेडियो कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण स्वशासन संबंधी जनशिक्षण

ग्राम सभा में लोगों की भागीदारी बढ़ाने हेतु एक जागृति कार्यक्रम बनाया और उसका प्रसारण गुजरात में आकाशवाणी के माध्यम से हुआ। वह १० प्रसंगों में प्रसारित हुआ। उसमें ७३वें संविधान संशोधन की उपयोगिता, निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्य, पंचायतों में आयोजन, गांव की आंतरिक राजनीति आदि मुद्दे प्रस्तुत किये गए। वह प्रति शनिवार रात ८ बजे प्रसारित हुआ था। प्रसंग की प्रस्तुति के बाद फौरन टेलिफोन पर प्रश्न पूछे जा रहे थे। उनको पोस्टकार्ड द्वारा उत्तर दिये गए हैं। श्रोताओं की रुचि बनी रहे इसके लिए प्रत्येक प्रसंग के अंत में एक प्रश्न पूछा जाता था और पोस्ट कार्ड द्वारा उसके उत्तर प्राप्त किये जाते थे। विगत तीन माह के दौरान ऐसे ११ प्रसंग प्रसारित हुए थे।

लॉटरी ड्रा के द्वारा विजेताओं को ट्रांजिस्टर रेडियो जैसे इनाम भी दिये गए थे। प्रश्नों के रूप में जो विविध किस्से प्रस्तुत हुए थे, उनको संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा गया था और कई मामलों में ठोस कदम उठाये गए थे। उदाहरणार्थ, अहमदाबाद में वारणा गांव में सरदार आवास योजना के अधीन लगभग ८० घर बनावाये गए थे। उनकी गुणवत्ता निम्न थी और वे आवंटित भी नहीं किए थे। इस मामले को तत्काल विकास कमिश्नर के सामने रखा गया और उसने उसके बारे में एक जांच आयोजित की गई।

### शहरी शासन की समस्याओं संबंधी निदर्शन प्रवास

गुजरात व राजस्थान में शहरी शासन के क्षेत्र में काम करने वाले दलों का दृष्टिकोण व्यापक बने, इसके लिए गुजरात में सूरत जिले की व्यारा नगरपालिका तथा महाराष्ट्र में पिंपरी - चिंचवाड तथा पुणे नगर परिषद, के अवलोकन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन दोनों के प्रयास उल्लेखनीय हैं कि वहां ठोस कचरे की निकासी, जैव-चिकित्सा सुविधा केन्द्र,कचरे के ट्रीटमेंट प्लांट, सफाई आदि के बारे में सघन व संनिष्ठ प्रयास हुए हैं। साणंद, धोलका व बिलाड़ा के सक्रिय कोर्पोरेटर भी हमारे साथ जुड़े थे। इस मुलाकात से हमें यह जानने को मिला कि किसी एक नगर में किस तरह विविध हितैषी विकासपरक प्रवृत्तियों का आयोजन करते हैं व उनका क्रियान्वयन करते हैं।

## (३) विशेष क्षेत्रीय परियोजना

भचाऊ नगर में 'भाडा' के सहयोग से ११ बस्तियों में २२९५ प्लाट में जमीन नियमित करने हेतु एक सर्वेक्षण हाथ में लिया गया। उसकी सूचना जांच के लिये तहसीलदार कार्यालय को सौंपी गई है। सभी परिवारों को इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। जिनके पास कानूनी रूप से जमीन का पट्टा नहीं, उनको ५० वर्ग मी. का नियमित पट्टा वहां दिया जाएगा जहां वे वर्तमान में रहते हैं। नागरिकों को सहारा देने वाले विभाग द्वारा भचाऊ में स्थलांतरण, मुआवजे एवं निर्माण कार्य की अनुमति के संबंध में लोगों को वार्ड के अनुसार बैठकें करके मार्गदर्शन दिया गया है। लोगों को समस्याओं में अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करके निर्माण कार्य की अनुमति संबंधी सवालों का समाधान किया गया है, क्योंकि उनकी कार्यवाही के विषय में बहुत सारी अस्पष्टताएं मौजूद हैं। ३५० दुकानों को वैकल्पिक जमीन प्रदान करने की कार्यवाही भी की गई। 'भाडा' के इंजीनियरों ने स्तरानुरूप मकान को निर्माण कार्य हुआ है या नहीं, यह पता लगाया है, जिससे शोषणकर्ता कन्सल्टेंट बीच में से हट गए हैं। तीसरी किस्त प्राप्त करने हेतु गेबल बेंड होना जरूरी है। उसे समग्र घर में डालने के बजाय सिर्फ बाहर ही रखा जाता है। अतः लगभग ३० चेज़ारों को भूकंप से सुरक्षित घर बनाने हेतु उसी स्थान पर प्रशिक्षण दिया गया। घर के लिए मुआवजे की तीसरी किस्त जारी करने के बारे में सरकार ने कड़े नियम बनाये हैं और उसमें मुख्य गेबल बेंड की जरूरत है।

बाजार की मांग पूरी करने हेतु नई पैदावार विकसित करने के उपरांत 'दोरी' ब्रांड नाम के अंतर्गत एक प्रदर्शन का आयोजन दो दिनों हेतु इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रांगण में किया गया था। 'फिक्की-केयर' के सहयोग से भूकंपग्रस्त लोगों द्वारा निर्मित हस्तकला की

वस्तुएं बेचने हेतु गांधीधाम में शर्मा रिसोर्ट्स द्वारा प्रदत्त स्थान में एक दुकान खोली जाएगी।

**साबरकांठा**

वाघरोटा गांव में डॉ. अम्बेडकर के जन्म दिन को समान विचारधारा वाले अन्य संगठनों के सहयोग से सामाजिक न्याय मंच द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वहां २८ दलित परिवारों का सामाजिक बहिष्कार हुआ है और उनके जीवन-निर्वाह का ही संकट खड़ा हो गया है क्योंकि उसके लिए वे सवर्णों पर अवलम्बित हैं।

सामाजिक न्याय समितियों के सदस्यों में नेतृत्व कौशल बढ़ाने हेतु पांच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए। सामाजिक न्याय संबंधी प्रश्न उठाने में उनका आत्मविश्वास जागृत हो, यही उसका प्रयोजन था। साबरकांठा में सामाजिक न्याय समितियों को मजबूत करने के अनुभव के आधार पर अहमदाबाद जिले में ऐसे ही प्रयास किये गए हैं तथा दसक्रोई तहसील में ऐसी समितियां पुनर्जीवित की गई हैं।

इसके अलावा, खेड़ब्रह्मा के 'पंचायत संदर्भ केन्द्र' द्वारा निर्वाचित महिला एवं दलित सदस्यों को सहयोग प्रदान किया गया ताकि वे समुदाय की समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकें। गांवों में सक्रिय तथा उत्साही युवकों की पंचायत विकास समितियां गठित की गई हैं ताकि वे ग्राम सभा में उपस्थिति दें और उसमें भागीदार बनें।

**अहमदाबाद**

साणंद नगर हेतु लोककेंद्री विकास योजना 'औडा' के वरिष्ठ नगर आयोजकों के समक्ष रखी गई है। इस संबंध में सम्मति दी गई है कि साणंद हेतु 'औडा' नगर योजना तैयार करेगा और हम उसके सहयोग में काम करेंगे। साणंद के नव निर्वाचित काउंसिलरों के साथ अमल की व्यूहरचना के बारे में एक चर्चासभा आयोजित की गई थी। जरूरत के आधार पर सड़कों, भूमिगत गटर व्यवस्था एवं जलापूर्ति संबंधी निवेदन तैयार करना तय हुआ है। नगरपालिका काउंसिलर, समुदाय तथा 'उन्नति' - इस प्रकार प्रत्येक शुभचिंतक की भूमिका के बारे में उसमें चर्चा की गई।

**जोधपुर और बाड़मेर**

**अकाल का सामना**

राजस्थान में जबर्दस्त अकाल के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोगों को राहत कार्यों में रोजगार प्रदान किया जाता है। ३-५-२००३ को पश्चिमी राजस्थान की ३० संस्थाओं के सहयोग से मजदूर दिवस मनाया गया था। उसमें विविध मजदूर-कानूनों तथा अकाल राहत संबंधी विविध सरकारी प्रस्तावों के विषय में सहभागियों को अभिमुख किया गया था। तदुपरांत राहत कार्य स्थलों पर ही लगभग ५० जागृति शिविरों का आयोजन किया गया था।

राहत कार्यों में आने वाले मजदूरों की स्थिति के बारे में एक सामान्य सर्वेक्षण हाथ में लिया गया था और उसमें मजदूर बदलें नहीं, हरिजनों व आदिवासियों के लिए ७०:३० का अनुपात अनाज और वेतन में ने रखा जाए, गलत नाम न हों, हरिजनों व आदिवासियों को पानी देने में भेदभाव न किया जाए, महिला मजदूरों को रखने के प्रयास न हों- आदि बातों पर ध्यान गया। पंचायत संदर्भ केंद्रों द्वारा निरंतर इन राहत कार्यों पर नजर रखी गई। जिला कलैक्टर के साथ हमारे सहभागी संगठनों ने बातचीत शुरू की है ताकि ये मुसीबतें दूर हों।

बाड़मेर जिले के नौ गांवों में लंबी अवधि के पेयजल संरक्षण के संदर्भ में तालाब, छोटे गड्ढों, नालियों, घर की छतों से बरसात के जल-

संग्रह की व्यवस्था की गई। उसके लिए ग्राम स्तरीय समितियां बनाई गई। जोधपुर जिले में ८ ग्राम पंचायतों के १०० परिवारों को खेती हेतु बीजों की मदद प्रदान की गई और अनाज की सहायता की गई। ग्राम स्तरीय बैठक करके सबसे गरीब की पहचान की गई है। अन्न सहायता का उचित उपयोग हो, इसके लिए नियमित देखरेख रखी जाती है। जब सहायता बंद हो तब भी वह बनी रहे इसका ध्यान रखा जाता है। इसके लिए एक बार बरसात के बाद बुवाई के लिए बीजों के उपयोग हो, इस पर ध्यान दिया जाता है।

**दलित अधिकार अभियान**

इस तीन माह की अवधि के दौरान अत्याचार संबंधी मामले उठाने की प्रवृत्ति के उपरांत जोधपुर के जिला क्लैक्टर कार्यालय में कालबेलिया समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग के साथ धरना दिया गया था। राज्य के कई अन्य भागों में यह समुदाय अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) में गिना जाता है और कुछ अन्य भागों में अनुसूचित जाति में गिना जाता है, अतः यह समुदाय पहचान के संकट का सामना कर रहा है। इससे पहले ४ तहसीलों के ५० गावों में एक सर्वेक्षण किया गया था। सिर्फ दो गांवों में ही उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है। ऐसे में वे सरकारी योजनाओं के तमाम लाभ गंवा रहे हैं।

'फ्रैंड्स ऑफ वीमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग' के सहयोग में चार सहभागी संस्थाओं हेतु स्वसहायता समूह के बारे में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य सहभागियों को स्वयं सहायता समूह के विचार व काम से परिचित कराना था। इस प्रशिक्षण में १५ स्वैच्छिक संस्थाओं के ३३ प्रतिभागियों ने भाग लिया था। १४ अप्रैल को अंबेडकर के जन्म दिन पर 'दलित अधिकार अभियान' के सदस्यों ने अपने क्षेत्रों में रैलियों जैसे विविध कार्यक्रमों के आयोजित किए थे।

**ग्रामीण शासन**

२५-६-२००३ को गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले परिवारों की सूची तैयार करने हेतु राजस्थान मे विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई थी। इसके अलावा, इसका उद्देश्य अगस्त २००२ के अकाल राहत कार्यों की समीक्षा भी करना था। हमारी समझ बढ़ाने के लिए हमने इनमें से दो ग्राम सभाओं में उपस्थिति दी। इसके अलावा मंडोर के 'पंचायत संदर्भ केन्द्र' (पी.आर.सी.) के मार्फत २५ ग्राम पंचायतों में गरीब रेखा के नीचे जीने वाले परिवारों को सूची बनाने पर जोर दिया, क्योंकि यह सूची पांच वर्षों तक उपयोग में ली जाएगी। ग्राम सभा को इस सूची में से किसी का नाम रद्द करने का अधिकार है, पर एक बार सूची तैयार हो जाने पर कोई नाम जोड़ने की सत्ता नहीं है। गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले के परिवारों को विविध सरकारी योजनाओं का लाल मिला करता है।

७ महिलाओं और ५ दलितों के नेतृत्व के अधीन तहसील पंचायतों को मडोर पंचायत संदर्भ केन्द्र के मार्फत विशेष मदद की गई है ताकि गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में कमजोर परिवारों का समावेश हो। रिवाज के मुताबिक आयोजित की जानी वाली ग्राम सभा मजदूर दिवस १ मई को आयोजित की गई। इस ग्राम सभा में अकाल राहत के कामों में संलग्न मजदूरों की स्थिति की चर्चा की गई।

**शहरी शासन**

राजस्थान के बिलाड़ा नगर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके लिए शहरी अकाल राहत योजना के अधीन काम करने वाले सभी कर्मचारियों को लगाया गया। इस काम पर देखरेख रखने तथा काम को छह भागों में बिभक्त करने हेतु छह माह की एक योजना तैयार की गई। प्रत्येक सफाई समिति के पांच सदस्य संबंधित विभाग पर देखरेख रखने का काम करेंगे। गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले परिवारों का इस सूची में समावेश करने हेतु वार्डवार प्रयत्न किया गया। विविध सेवाएं अच्छी तरह से उपलब्ध हों, इसके लिए सूक्ष्मस्तरीय आयोजन हाथ में लिया गया। वार्ड नं. २३ में सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) हाथ में लिया गया।

## 'चरखा' की प्रृत्तियां

इन तीन महीनों के दौरान १७ लेख तैयार किए गए थे। इस समय अन्य मुद्दों के अलावा गुजरात की अकाल की परिस्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया। अहमदाबाद में जनपथ और ए.के.आर.एस.पी. तथा सूरत के एल.एच.आर.सी. हेतु तीन समाचार पत्रों का अब नियमित स्तर पर संपादन किया जाता है। 'सदगुरु वाटर एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन' को अपना परिपत्र तैयार करने में तथा 'उन्नति' को गुजराती में विकलांगता के संबंध में एक फिल्म डब करने में तथा पंचायती राज के बारे में एक चित्रवार्ता तैयार करने में मदद दी गई। जल-संचालन, दलितों पर हुए अत्याचारों, जैविक खेती, राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम तथा विकलांगता के प्रश्नों के बारे में पांच संगठनों को मीडिया की मदद दी गई। 'डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर' के कार्यकर्ताओं के लिए दो दिनों की लेखन-कौशल्य कार्यशाला आयोजित की गई।

उन्नति

**उन्नति**

**विकास शिक्षण संस्थान**

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-6746145, 6733296 फैक्सः 079-6743752 email: unnatiad1@sancharnet.in

**राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय**

जी-55, शास्त्री नगर, जोधपुर-342 003 राजस्थान

फोनः 0291-2642185, फैक्सः 0291-2643248 email: unnati@datainfosys.net

**डिज़ाइनः** रमेश पटेल, उन्नति **गुजराती से अनुवादः** रामनरेश सोनी

**मुद्रकः** कलरमैन प्रिन्टर्स, अहमदाबाद. फोन नं. मो. 98251-56402

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।